खण्ड-182, अंक-7
गुरूवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1879
(18 अप्रैल, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 182 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	२६१
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	२६१
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	२६२
उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	२६२
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	२६२
उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (जारी)	२६२–२६५
राज्य मंत्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के संबंध में वैधानिक आपत्ति	२६५
उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (जारी)	२६६–२८०
गढ़वाल विश्वविद्यालय की सीनेट और मद्य-निषेध बोर्ड के निर्वाचन के लिये नामांकन-पत्र प्राप्त करने की तिथि में समय की वृद्धि ..	२८१
उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (जारी) ..	२८१–२८७
राज्य मंत्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के संबंध में वैधानिक आपत्ति	२८७–२९७
उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	२९७–३०७
सदन का आगामी कार्य-क्रम	३०७–३०८
बत्तियां	३०९–३३८

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ चैत्र, शकाब्द १८७९ (१८ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्र भूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र , श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चांद्रकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्बरराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ अप्रैल, १९५७ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी जिलों में गन्ने की पेराई की उचित व्यवस्था के लिए प्रार्थना

**१—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों में लाखों मन गन्ना चीनी मिलों की पेराई की शक्ति से इस वर्ष अधिक पैदा हो गया है ?

उद्योग उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—यदि प्रश्न का मतलब मेरठ कमिश्नरी और बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं और एटा जिलों से है तो इस साल ऐसी कोई नाजुक हालत नहीं है। वहां पर ज्यादातर चीनी मिलें पिछले सीजन की बनिस्बत ज्यादा मिक़दार में गन्ना पेर कर और जल्दी बन्द हो जायंगी ऐसी उम्मीद है।

**२—श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या गन्ना पूर्वीय जिलों की शीघ्र बन्द हो जाने वाली चीनी मिलों को भेजवाने के बारे में सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ व २ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

श्री रऊफ़ जाफ़री—सवाल नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह कौन-कौन क्षेत्र हैं जहां पर चीनी मिलों की पेराई से अधिक गन्ना पैदा होता है ?

श्री रऊफ जाफरी—वैसे तो गन्ना हर जगह मिलों की पेराई की शक्ति से ज्यादा पैदा होता है लेकिन जिस वक्त गुड़ की कम कीमत होती है उस हालत में मिलों पर ज्यादा गन्ना पहुंचने लगता है। इस वक्त जैसा कि जवाब में बतलाया गया है मेरठ कमिश्नरी में तथा जिन जिलों के नाम लिये गये, इनमें नैनीताल का जिला भी शामिल है। गन्ना मिलों की पेराई से ज्यादा हो गया है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी मिलों में अनुमानत: कब तक उस गन्ने को पेरा जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये कोई तारीख मुकर्रर करना मुश्किल है लेकिन यह उम्मीद है कि पिछले वर्ष जब मिलें बन्द हुई थीं उससे पहले वे गन्ना पेर लेंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि नैनीताल जिला, तराई भाबर, लखीमपुर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली जिलों में अधिक गन्ना खेतों में मौजूद है और मिल एरिया में ही मौजूद है किन्तु उसकी पेराई का कोई इन्तजाम नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उसकी पेराई का क्या विशेष प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—इनमें से कुछ जिलों में गन्ना ज्यादा है। उसका इन्तजाम हो रहा है। केन कमिश्नर वक्तनफवक्तन रिव्यू करते रहते हैं। नैनीताल का गन्ना सहारनपुर और रामपुर का ८ लाख मन गन्ना मुरादाबाद मिलों में भेजा जा रहा है। इस तरह से इसका इन्तजाम हो रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे यह मालूम है कि शाहजहांपुर जिले में लाखों मन गन्ना अभी खेतों में खड़ा हुआ है और वह मिल एरिया का गन्ना है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—लाखों मन कहना ठीक नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सहारनपुर जिले का गन्ना पहले ही अधिक है, इसलिये वहां बाहर से भेजने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी—उम्मीद यह है कि वह भी पेर लेंगे और कुछ और बाहर का भी पेर लेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे एरियाज में जहां गन्ने की उपज वहां की मिलों की शक्ति से अधिक है वहां पर क्या सरकार गुड़ और खांडसारी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई सक्रिय कदम उठाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो हो ही रहा है जहां-जहां संभव है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने यह भी फैसला किया है कि रामपुर क्षेत्र का गन्ना जगाधरी मिल को स्पेशल ट्रेन द्वारा भेजा जाय, तो क्या इसी प्रकार जो पूर्वी जिलों की फैक्ट्रियां बन्द हो गयी हैं वहां क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री रऊफ जाफरी---इसमें दिक्कत की बात है। अव्वल तो पूर्वी जिलों की मिलें नैरो गेज के ऊपर हैं, ब्राड गेज पर नहीं हैं। दूसरे यह कि बहुत दूर गन्ना ले जाने में उसकी रिकवरी कम हो जाती है। उससे मिलों को भी नुक्सान होता है और काश्तकारों को भी। इसलिये आस-पास में ही जो इन्तजाम किया जा सकेगा, वह किया जायगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जो गन्ने का रेट है, कोटा पूरा हो जाने के बाद मिलें कहती हैं कि अब गन्ना उससे कम कीमत में लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो नियम के अनुसार होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि मेरठ कमिश्नरी के खतौली शुगर मिल क्षेत्र में गन्ने की बहुतायत होने की वजह से वहां किसानों की स्ट्राइक चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई हमारे पास बाकायदा इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि रामपुर व तराई भावर से जगाधरी को स्पेशल ट्रेन के जरिये गन्ना भेजने का इन्तजाम किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा रामपुर के बारे में कहा गया कि वहां से बाहर गन्ना भेजने का इन्तजाम किया जा रहा है।

कुमायूं डिवीजन में अन्नाभाव से अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---माननीय नारायणदत्त जी ने एक कामरोको प्रस्ताव की नोटिस दी है। इसी प्रकार का एक ऐडजर्नमेंट मोशन पहले भी आया था जिसको मैंने अस्वीकार कर दिया था। इस सदन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब तीन दिन तक विवाद होता रहा है और उसमें कुछ सदस्यों ने इसके बारे में जिक्र भी किया है। इसलिये मैं अर्जेंसी के प्वाइंट से और बहुत सी बातों का खयाल करके इसको अस्वीकार करता हूं, लेकिन माननीय अन्न मंत्री जी से मैं कहूंगा कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये इस पर यदि एक वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, उसको पढ़ने की इजाजत है ?

श्री अधिष्ठाता---मैं इसको पढ़ देता हूं---

"यह सदन कुमायूं डिवीजन, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल के सीमावर्ती इलाकों उदाहरणार्थ मुनस्यारी, दानपुर, मल्ला, दसौली, नन्दगांव लोभा क्षेत्रों में महीनों से अनाज की कमी के कारण भीषण अकाल हो जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कई महीनों से अकाल होने का सवाल है यह गालिबन सही नहीं है। वाकया यह है कि मार्च तक जितनी जरूरत थी और जितनी कमी थी उसके हिसाब से अनाज इन जगहों में पहुंचा दिया गया था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सयैद अली जहीर]

लेकिन उसके बाद वहां पर कुछ बारिश हुई और ओले पड़े जिसकी वजह से एकाएक मांग एक दम से बढ़ गयी। जो हमारी दूकानें थीं उनसे तकरीबन एक हजार मन के गल्ला रोजाना वहां तकसीम होता था, लेकिन उसके बाद वह मांग बढ़कर करीब करीब ५ हजार मन के पहुंच गयी। तो इससे सरकार को एहसास हुआ कि वहां कमी बहुत ज्यादा हो गयी है और हमने उसका फौरन् इन्तजाम किया और चुनांचे वहां पर काफी अनाज पहुंचा दिया गया और अभी मैं देहली भी गया था तो वहां अनाज मंत्री से बातचीत की थी और उन्होंने भी मुझे यह यकीन दिलाया है कि जितनी जरूरत होगी और जितनी कमी होगी वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टोर से हमको देते रहेंगे। गालिबन माननीय सदस्यों ने अखबारों में भी देखा होगा कि मुनस्यारी में जब अनाज की कमी हो गयी और वहां पर अनाज पहुंचाना खच्चरों, बसों और मोटर ट्रांसपोर्ट के जरिये भी नामुमकिन हो गया तो वहां पर हवाई जहाजों के जरिये अनाज गिराया गया। सरकार को उसकी पूरी इत्तला है और मैं समझता हूं कि जो कमी वहां पर है और परेशानी वहां पर हो रही है उस को दूर करने के लिये जो इमकानी तदाबीर हैं वे इस्तेमाल की जा रही हैं और जहां तक मेरा खयाल है अब वहां ज्यादा दिक्कत न होगी और वहां की जनता के लिये काफी अनाज पहुंचता रहेगा और वहां अकाल की सूरत नहीं पैदा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, चूंकि यह विषय बहुत महत्व का है, बहुत समय वहां सामग्री पहुंचने में लग जाता है और खच्चरों पर सामान भेजने में कई दिन लग जाते हैं जिस कारण हवाई जहाज से वहां सामान भेजा जा रहा है, इसलिये नियम १७२ के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा कि इस स्थिति पर विवाद के लिये समय निश्चित करें।

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न जो माननीय नारायणदत्त जी ने उठाया है इसमें शक नहीं कि वह बहुत महत्व का है, इसलिये मैं उचित समझता हूं कि इसके ऊपर बहस करने का उनको कोई समय दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह समय कब दिया जायगा?

श्री अधिष्ठाता—वह बाद को बतला दिया जायगा।

समाचार-पत्रों द्वारा सदस्यों के भाषण ठीक से न छापने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री अधिष्ठाता—दो माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि दो प्रेस के रिप्रिजेन्टेटिव्ज ने उनके भाषणों को ठीक तौर से अपने अखबार में नहीं दिया है। मैं उन प्रेसों के रिप्रिजेन्टेटिव्ज से निवेदन करूंगा कि वे कृपया जब उनको अवकाश मिले तो माननीय सदस्यों से बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा हो।

यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटी के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में, जिसका कार्यकाल ३१ मई, १९५७ को समाप्त होगा, और जिसे पुनः संगठित करना है, कार्य करने के लिये इस सदन के तीन सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में, जिसका कार्यकाल ३१ मई, १९५७ को समाप्त होगा और जिसे पुनः संगठित करना है, कार्य करने के लिये इस सदन के तीन सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य के लिये समय निर्धारित किया है जो मैं सदन को सुनाये देता हूं —

"नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय—५ मई, १९५७ को १ बजे मध्यान्ह तक।"

"नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा, ५ मई, १९५७ को ३ बज अपराह्न तक।"

"नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—७ मई, १९५७ को ३ बजे अपराह्न तक।"

प्राक्कलन समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता—अभी दो समितियों के बारे में मुझे और घोषणा करनी है। एक है प्राक्कलन समिति जिसके लिये नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ३० अप्रैल, १९५७ को सायंकाल ४ बजे तक, नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ३० अप्रैल, १९५७ को सायंकाल ५ १/२ बजे तक और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ७ मई, १९५७ को सायंकाल ५ बजे तक निर्धारित किया गया ह। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो उसकी सूचना बाद को दी जायगी।

लोक-लेखा समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता—दूसरी है सार्वजनिक लेखा समिति जिसका कार्यक्रम है कि नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ३० अप्रैल, १९५७ को ४ बजे सायंकाल तक, नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ३० अप्रैल, १९५७ को ५ १/२ बजे सायंकाल तक और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ७ मई, १९५७ को ५ बजे सायंकाल तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो उसकी सूचना बाद में दी जायगी।

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

मादक-कर राज्यमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१० पर)

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ट ३११–३३१ पर)

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७*

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३२–३३८ पर।)

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७†

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यदि हम उसके उद्देश्य और कारणों को देखें तो उसमें हम किसी भी प्रकार का इस विधेयक के द्वारा नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं बल्कि भारतवर्ष में जो डेसिमल क्वायनेज इत्यादि हमारे यहां एक प्रणाली आरम्भ हुई है, जो नये सिक्के इत्यादि आरम्भ ए हैं, उसको रेगुलराइज करने के लिये इसमें एक या दो खंडों ो लाने का प्रयत्न किया गया है आगे चल कर इस सदन के सम्मुख जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है जो इस विधेयक में बहुत सी बातें आयी हैं उसको रखने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इस सदन के माननीय सदस्यों की हमेशा यह शिकायत रहा करती है कि उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से सेल्स टैक्स के मामले में बहुत से सेल्स टैक्स का इवेजन होता है, सेल्स टैक्स की चोरी होती है और सरकार की तरफ से इस बात का प्रयत्न नहीं किया जाता है कि जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है उतना वसूल हो। तो इस विधेयक के द्वारा विशेष रूप से इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से व्यापारी अपनी भिन्न-भिन्न फर्में खोल कर तरह-तरह की गड़बड़ करके जो सेल्स टैक्स का इवेजन करते हैं, उसका प्रबन्ध किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया भारतवर्ष में नये सिक्के आरंभ किये गये हैं और उन सिक्कों का संचालन करने के लिये पुराने सिक्कों के द्वारा, हालांकि पुराने सिक्कों की वही कीमत होगी जो नये सिक्कों की है, तीन वर्ष तक कोई अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन दूकानदारों की सहूलियतों के लिए, व्यापारियों की सहूलियतों के लिये, जनता की सहूलियतों के लिये इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जो हमारे यहां नये सिक्के लागू हैं उनकी वही कीमत हो लेन-देन के मामले में ताकि व्यापारियों इत्यादि को कोई दिक्कत न हो। जो इस विधेयक के खण्ड २ और ३ में आया है जिसमें तीन पाई प्रति रुपया के स्थान पर दो प्रतिशत रखने की कोशिश की गयी है और उसकी दूसरी उपधारा में तीन प्रतिशत रख दिया गया है।

---

*छापा नहीं गया।

†१५ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

मैंने अधिष्ठाता महोदय जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और इसमें जो संशोधन पेश किय हैं उनको गौर से देखा और गौर से देखने के बाद इसमें एक संशोधन यह है जो कि नन्दकुमार-देव वाशिष्ठ जी ने पेश किया है कि खंड २ और ३ को निकाल दिया जाय। सरकार ने इसको दूसरे तरीके से देखने का प्रयत्न किया और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि २ और ३ खंड के द्वारा उस दशमलव प्रणाली को कामयाब बनाने के लिये जो हम यह लागू करने जा रहे हैं उसको डिलीट कर दें। उसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक सूची बनी हुई है जिसमें सिंगिल प्वाइंट टैक्स लिया जाता है, मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स लिया जाता है और तरह-तरह के टैक्स लिये जाते हैं ।...

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अधिष्ठाता महोदय, मैं विधान का एक प्रश्न उठाता हूं। प्रश्न यह है कि संशोधन अभी पेश नहीं हुआ है परन्तु उसके सम्बन्ध में वादविवाद मंत्री महोदय कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--मैं स्वयं इस बात पर विचार कर रहा था कि आया वक्ता महोदय संशोधनों के बारे में इस वक्त प्रश्न उठा सकते हैं या नहीं ? जहां तक नियम का सवाल है ऐसे समय में जब कि वह विचार के लिये बिल का प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें बिल के सिद्धातों ही के ऊपर अपने भाषण को सीमित करना चाहिए।

श्री धर्मसिंह--अधिष्ठाता महोदय, आप ने जो अभी रूलिंग दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन इसके साथ जहां तक मैं समझता हूं इस तरह के मामलों को, जो इस समय विधेयक से सम्बन्धित है, रेफर कर सकता हूं।

खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाता। जहां तक इसकी अन्य धाराओं का सम्बन्ध है उसमें अभी तक जो हमारे प्रदेश में विक्री-कर लिया जाता था, वह सिंगिल प्वाइंट लिया जाता है, और तरीके से भी लिया जाता है। जो धारा ३--कक, जोड़ी गई है उसमें साफ लिखा है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के अनुसार एक यहां पर टैक्स आया उसके आधार पर जो ६ चीजें हैं, जिनमें कोयला है, लोहा और इस्पात है, कच्चा पटसन, रुई तिलहन और कच्ची खालें हैं, यह अभी तक हमारे ऐक्ट में डिफ़ाइन अवश्य थीं, लेकिन भारत सरकार ने यह कहा कि यह डिफ़ाइन नहीं हैं। इनकी जो वेल्यू है वह किसी तरह से डिफाइन नहीं है। लिहाजा उन्होंने सरकारों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां भी उस को रखने का प्रयत्न करें। तो हमने व्यवस्था की है, अगर आप विधेयक को पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें लिखा है कि कच्चे मालों की क्या व्यवस्था होगी।

सन् १९४८ का जो ऐक्ट है उसमें कच्चे माल की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसकी कोई किसी प्रकार की डेफ़िनीशन नहीं थी। लोहे में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं उसकी कोई डिफिनीशन नहीं थी, इस्पात में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, इसकी कोई डेफ़ीनीशन नहीं थी। इसके साथ-साथ जो पटसन इत्यादि होता है उस की क्या डेफ़ीनीशन थी वह पुराने ऐक्ट में नहीं थी, तिलहन, आयल सीड्स की कोई डेफ़िनीशन नहीं थी उसमें। तो इसके द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि सेन्ट्रल टैक्स ऐक्ट के अनुसार, उनकी हिदायतों के अनुसार हम उन डेफ़ीनीशन्स को अपने विधेयक में लायें और नियम के अनुसार जो उन पर टैक्स लगता है उसकी बात करें। बहुत से माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा सकते हैं, जैसा कि ३--कक में लिखा हुआ है विक्री-कर नहीं लगेगा। तो कर की दर २ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो मैं आप से निवेदन करूं कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है। यह नोटिफिकेशन से तय हो सकेगा आगे चल कर के कि किस परसेन्टेज से, जो ६ चीजें हैं, इन पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर अभी तक जो टैक्स लिया जाता था, जैसे मैं प्रस्तुत करूं, कोयले पर बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाता था। उसी तरह से रुई इत्यादि पर ४ आना सैकड़ा के हिसाब से लिया जाता है, खाल तथा चमड़े पर ४ आना सैकड़ा के हिसाब से, लोहा तथा इस्पात पर तीन पाई प्रति रुपया

[श्री धर्मसिंह]

सिंगिल पौइंट के तरीक से लिया जाता है। इसी तरह से और भी जो एक, दो चीजें रह जाती हैं उन पर लिया जाता है। तो इस विधेयक के द्वारा जो किया जा रहा है वह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के मुताबिक, भारत सरकार की हिदायतों के मुताबिक किया जा रहा है। इससे आगे, अधिष्ठाता महोदय, अब तक हम यह देखते आये हैं और हाईकोर्ट की एक रूलिंग भी हुई थी। हमारे बहुत से दूकानदार भाई बहुत से फर्म वाले किसी एक व्यक्ति के नाम से किसी फर्म को आरम्भ करते हैं शुरुआत में और उसको थोड़े दिन तक वह चलाते रहते हैं। आगे चल कर के वह उसको बदल देते हैं और दूसरा नाम डाल देते हैं। आगे चलकर के तीसरा नाम डाल देते हैं। साइनबोर्ड इत्यादि भी उसका बदल देते हैं और नतीजा यह होता है कि जो विभाग सरकार के सेल्स टैक्स वसूल करना चाहते हैं उनको उसमें दिक्कत पड़ती है। इस बात की पुरानी ऐक्ट में, १९४८ के ऐक्ट में और जो उसके बाद में संशोधन आये उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम इस तरह की फर्मों के लिये, इस तरह की पार्टनर्स के लिए, इस तरह के लोगों के लिये जोकि इस प्रकार से अपनी फर्मों के नाम बदल कर के अपने भाइयों को उसमें लगाकर के और तरह-तरह के नाम बदल कर के साइनबोर्ड इत्यादि लगा कर के जो टैक्स का इवेजन करते हैं उसके लिये कोई व्यवस्था कर सकते। तो मैंने तो यहां पर दो दिन तक माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। उसमें विशेष रूप से यह बात कही गयी थी कि जितना टैक्स लगाया जाता है उतना वसूल नहीं होता। उसका बहुत इवेजन होता है। तो इस बात को रोकने के लिये और हाई कोर्ट की रूलिंग के अनुसार भी एक जजमेंट दिया गया था एक केस में कि एक व्यक्ति ने अपनी फर्म को बन्द कर दिया। दूसरी फर्म खोल ली और दूसरी फर्म खोलने के बाद जो टैक्स उस पर था वह नहीं दे सका। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिये इस बात की व्यवस्था की गई। यदि कोई गलत नामों से, दूसरे नामों से या नाम बदल कर के, अपने नौकरों के द्वारा या अपने रिश्तेदारों के द्वारा या अपने और भाइयों के द्वारा तरह-तरह की फर्म चलाता है और जो पुराना टैक्स होता है उसका इवेजन करता है, तो इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उस चीज को रोका जाय। इससे आगे चल कर अब तक हमारे प्रदेश में जहां तक टैक्स के न देने का सवाल था यह हुआ करता था कि बहुत से व्यापारी टैक्स देने का जहां तक सम्बन्ध है इस बात की कोशिश किया करते हैं कि वह टैक्स न दें।

इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि असेसिंग एथारिटी को, जोकि निर्धारित अधिकारी होगा, यह अधिकार दिया जाता है कि वह व्यापारियों पर या दूकानदारों पर इस तरह से शर्त लगा सकता है कि उनको सिक्योरिटी के रूप में इतना पैसा देना पड़ेगा चाहे कर उस पर लगता है या आगे लगने वाला है और वह इसलिये किया जा रहा है कि बहुत से भाइयों ने किसी फर्म को स्टार्ट किया। सरकार जानती है, अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि इसकी कितनी आमदनी है। लेकिन वह बीच में गड़बड़ कर दिया करता है। अब उसको एक बात और करनी पड़ेगी। उसको इस तरह से सिक्योरिटी देने से पहले सेल्स टैक्स कमिश्नर से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि इस फर्म पर या इस व्यक्ति पर या इस दूकानदार पर जमानत के रूप में इतना पैसा लगाना चाहते हैं। जब तक सेल्स टैक्स कमिश्नर परमीशन उस बात की नहीं दे देंगे। किसी भी प्रकार से वह असेसिंग अथारिटी उस पर पैसा नहीं लगा सकेगी, न जमानत मांग सकेगी। तो यह इसलिए किया गया है कि हमारी रेवेन्यू सेफ रहे। जो आमदनी होती है सेल्स टैक्स के द्वारा वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अधिष्ठाता महोदय, अगर हम इसको आगे चल कर के देखें तो जैसा कि मैंने अर्ज किया एक अमेंडमेंट बाद में आयेगा और उसका यहां पर जिक्र भी किया गया है। सरकार इस बात के लिये भी व्यवस्था करने जा रही है कि यदि किसी व्यक्ति पर सेल्स टैक्स कमिश्नर के द्वारा यह कंडीशन लगा दी जाती है कि उसको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तो वह सिक्योरिटी जमा तो करा ली जायगी, लेकिन जमा करने के बाद वह रिवाइजिंग अथारिटी को अपील कर सकता है कि

मेरे साथ में ज्यादती हुई है। इतनी आमदनी मेरी नहीं थी। यह जो जमानत मुझसे ली जा रही है वह ज्यादा है या अधिक है इस तरह की अपील वह कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया इस विधेयक के द्वारा कोई नये टैक्सेज लगने नहीं जा रहे हैं। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना हमारे सामने हैं। देश के उत्थान के लिये बहुत से मसले हमार सामने हैं। हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक चाहे छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो कुछ कुरबानी करने के बाद देश की तरक्की के लिये इन योजनाओं को सफल बनाने में सहायक हो।

ज्यादा अधिक न कहते हुए एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। अब तक एक दूकानदार के लिये मौका दिया गया था कि उसका काम अगर किसी तरह से बन्द होता है या उसकी फर्म बन्द होती है तो वह महीने के आखिर में या तीस दिन के अन्दर सेल्स टैक्स आफिसर या उस अधिकारी को जो सेल्स टैक्स वसूल करता है, लिख कर दे दिया करता था कि मैंने अपने कारोबार या फर्म को बन्द कर दिया है। इस विधेयक के द्वारा हमने यह प्राविजन किया है कि वह जिस दिन भी अपने कारोबार को बन्द करेगा उसके १५ दिन के अन्दर उसको इत्तिला दे देनी पड़ेगी उस अथारिटी को जो सेल्स टैक्स इत्यादि वसूल करता है। यह इसलिये किया जा रहा है कि सेक्शन २५ जो इंडियन इनकम-टैक्स ऐक्ट का है उसमें भी १५ दिन का ही प्राविजन है। इसलिये यहां भी १५ दिन का प्राविजन कर रहे हैं।

तो जैसा मैंने अर्ज किया दो तीन जो अमेंडमेंट्स इस विधेयक में लाये गये हैं उनमें कोई विशेष बात नहीं है। कुछ सिद्धान्तों की बातें हैं। जैसे जहां तक इवेजन का सम्बन्ध है हम उस पर किस तरह से काबू पा सकेंगे और इस सेल्स टैक्स की व्यवस्था को हम किस प्रकार से कामयाब बना सकेंगे। तो इसको प्रस्तुत करते हुए मैं आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि किसी प्रकार के सुझाव आये और कोई दलीलें पेश की गईं जिनसे इस विधेयक को लाभ पहुंच सकेगा तो उन पर पूरे तरीके से विचार किया जायगा। इन चन्द शब्दों के बाद मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वे विचार करें और विचार करने के बाद इस पर अपना निर्णय दें और इसके बारे में तय करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, एक सूचना जानना चाहता था माननीय मंत्री जी से। माननीय माननीय मंत्री जी ने यह कहा ३ दिन के बजाय १५ दिन दिया जा रहा है। मेरा खयाल है कि मूल ऐक्ट में ३० दिन है और तीस दिन के बजाय १५ दिन दिया जा रहा है।

श्री धर्मसिंह—३ दिन नहीं, ३० दिन ही मैंने कहा था, उसके बाद में १५ दिन कहा। आपने शायद सुना नहीं।

राज्य मन्त्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)—नियम १७३ के अनुसार मैं आपके सामने एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि जो हमारे मिनिस्टर्स आफ स्टेट का एप्वाइंटमेंट हुआ है जिसमें हमारे मुजफ्फर हसन, मंगला प्रसाद, डाक्टर सीताराम और राम-मूर्ति जी हैं ये लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं और ये लोग इस सदन के मेम्बर नहीं रह सकते।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को आप लंच के बाद में लें और आपको कहने का मौका दूंगा। लंच के बाद आप इसको मूव करेंगे और उस पर फिर निर्णय होगा।

श्री सैयद जरगाम हैदर—आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—इस बिल पर तीन संशोधन आये हुए हैं। एक आचार्य दीपंकर जी का है।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय।"

दूसरा माननीय भगवती सिंह विशारद तथा सैयद जरगाम हैदर का है कि—

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाय जो पंद्रह दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे। साथ ही सदन प्रवर समिति को उक्त विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है।"

तीसरा संशोधन माननीय पालीवाल जी का है कि—

"बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५७ तक दे दे। (प्रवर समिति को १ अप्रैल, १९५६ के बाद किये गये सभी बिक्री कर संशोधनों पर पुनः विचार करके उनमें समुचित संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहे।)"

मैंने इन संशोधनों को गौर से देखा और तीनों संशोधनों की नेचर करीब-करीब एक सी है। इन तीनों में माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है उसका विस्तार ज्यादा है। वह दोनों संशोधनों को कवर कर लेता है। इस वास्ते मैं पालीवाल जी के संशोधन को लेता हूं और बाकी दो संशोधन जिन सज्जनों ने दिये हैं, उनको बोलने का मौका मैं दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं—

"बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५७ तक दे दे। (प्रवर समिति को १ अप्रैल, १९५६ के बाद किये गये सभी बिक्री-कर संशोधनों पर पुनः विचार करके उनमें समुचित संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहे।)"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने पेश है उसके जो दो मुख्य उद्देश्य हैं उनसे मैं मुख्यतः सहमत हूं। मैं भी इस बात को आवश्यकता समझता हूं कि दशमलव सिक्का प्रणाली के आने से उसमें सुधार होने की आवश्यकता है और यह भी मानता हूं कि बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिए जितने भी उपाय किये जा सकें वह किये जाने चाहियें। इसलिए इस विधेयक के सिद्धान्त और उसके उद्देश्यों से मैं सहमत हूं, लेकिन वह जहां तक जाते हैं वहां तक कितना ही अच्छा हो, लेकिन वह मूल समस्या की तह में नहीं पहुंचते। इस प्रकार के संशोधन मूल समस्या के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने संशोधन की आवश्यकता सदन को समझाने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि इन संशोधनों की, जो १९५६ से हुए हैं, उनकी पृष्ठ भूमि के इतिहास का मैं थोड़ा-सा संक्षेप में उल्लख करूं। वह यह है कि पहली अप्रैल को जो स्वयं अपने में कोई बहुत अच्छा दिन नहीं माना जाता, आर्डिनेंस द्वारा, जो स्वयं भी कोई अच्छा जरिया नहीं है, टैक्स लगाये गये और ऐसे टैक्स लगाये गये कि जिनके कारण जनता में त्राहि त्राहि मच गयी। उसी के परिणाम-स्वरूप हड़तालें हुईं, ६–६, ७–७ दिन की हड़तालें प्रदेश के मुख्य-मुख्य शहरों और कस्बों में हुईं। १४४ दफा लगायी गयी, उसको तोड़ा गया। सत्याग्रह हुए, लोग जेल गये। माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि चाहे महीनों हड़ताल होती रहे उनकी सरकार झुकने वाली नहीं है, लेकिन सरकार इस विज्ञप्ति के बाद भी झुकी और पहला ही जो संशोधन आया, उसमें बहुत-सी रियायतें की गयीं। मैंने उस समय भी उन रियायतों के लिए सरकार को बधाई दी। इस समय मेरा उन बातों को दोहराने का मतलब यह है कि सरकार

कुछ भी कहती रह घोषणाओं में, कैसी भी दृढ़ता दिखाती रह, लेकिन सरकार ने यह माना है और सरकार को यह मानना पड़ेगा कि जनता में इन संशोधनों के कारण भारी असन्तोष है और इन असंतोषों को दूर करना सरकार का मुख्य काम है । लेकिन अच्छा तो यह होता कि इसके बाद सरकार तीन-तीन संशोधन लाई पिछले नौ महीने में, और इसी हिसाब से यह संशोधन आते रहे, जैसेकि अभी-अभी सरकार का संशोधन इस पहले ही सत्र में आ गया है, तो नौ महीने में तीन, साल भर में चार और पांच साल में बीस, संशोधन हो जायेंगे । यही मैं कहता हूं कि यह मूल समस्या के साथ एक खिलवाड़ है, मूल समस्या की तह में नहीं जाते हैं, उसको स्पर्श तक नहीं करते हैं, छूते भी नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि हम मूल समस्या की तह में जायं और जनता की मूल कठिनाई को दूर करें ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय यह घोषणा की थी और जनता को यह आश्वासन दिया था कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल आयेगा और उसके जरिये से वह जनता की बाकी शिकायतों को दूर कर देंगे, लेकिन वह बिल अभी तक नहीं आया । बार-बार इसी तरह से पीसमील संशोधन फौरी समस्या को हल करने के लिये आते हैं और मूल समस्या की ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया जाता । मेरा निवेदन यह है कि अब समय आ गया है कि हम मूल समस्या को हल करने की ओर ध्यान दें । अच्छा यह होता कि गांधी जी के उत्तराधिकारियों की यह कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके चरण-चिन्हों का अनुसरण करती हुई जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि अपनी हिमालय जैसी भूल को वह स्वीकार कर लेती और स्वीकार करके पहली अप्रैल को जो आर्डिनेंस लागू किया गया था, उसको पूरा का पूरा वापस ले लेती और बिक्री कर में इस तरह की बातें नहीं करती जिससे जनता में उस समय असन्तोष था और इस समय भी है ।

आजकल हालत क्या है ? आजकल हालत यह है कि व्यापारियों की हड़ताल होती है और यहां तक की पान वालों की हड़ताल होती है और ऐसी हड़ताल हुई कि लोगों को आश्चर्य हुआ कि पान लगाने वाले की, जिनका संगठन होना असंभव समझा जाता है, उन्होंने ऐसी स्पोंटेनियस हड़ताल कैसे कर दी । मुझे मालूम है और सरकार को भी मालूम होगा कि १२ हजार की जो सीमा रखी गई है, उसकी वजह से छोटे-छोटे दुकानदारों और खोमचे वालों पर क्या बीत रही है ? इंसपैक्टर्स क्या कर रहे हैं और जनता में कितना असन्तोष पैदा हो रहा है ? यह सभी बातें हैं ।

इन सभी बातों के अलावा गल्ले के व्यापारियों का सवाल अभी भी सरकार के सामने है, जनता के सामने है सरकार बराबर मुक्ति शुल्क की अवधि बढ़ाती जाती है । पहले १५ अप्रैल तक के लिये अवधि बढ़ाई गई थी और व्यापारियों की मांग है कि यह अवधि और बढ़ाई जाय । उनका एक आवेदन-पत्र जो शायद सरकार के पास आया होगा और माननीय सदस्यों के पास भी आया होगा, वह भी मेरे सामने इस समय है । अगर यह मुक्ति शुल्क नहीं हटा तो व्यापारी मर जायंगे, मिट जायंगे और नष्ट हो जायंगे । मैं नहीं कह सकता कि यह उनका कथन कहां तक ठीक है, मैं तो यह समझता हूं कि उनका मामला और सरकार का मामला थोड़ा बहुत घरेलू मामला है, इसलिये इस घरेलू मामले के बीच में मैं क्यों पड़ूं । यदि सरकार यह समझती है कि वह गलत कह रहे हैं कि वह मिट जायंगे, नष्ट हो जायंगे तो सरकार जैसा उचित समझे वैसा करे और जब व्यापारी भी सरकार के इतने भक्त हैं कि जब कि वह मर रहे हैं, मिट रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, फिर भी सरकार के साथ हैं तो इस घरेलू मामले को मैं सरकार और उनके बीच में ही तय होने के लिये छोड़े देता हूं । लेकिन उनकी एक मांग है कि तीन महीने के लिये अवधि और बढ़ा दी जाय । मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि वह इसको स्वीकार करेंगे या नहीं । उन्होंने यह धमकी भी दी है कि यदि १५ अप्रैल तक यह मुक्ति शुल्क नहीं दिया गया तो हम यह करेंगे, वह करेंगे । उसको वह कार्यान्वित करेंगे या नहीं, या यह घरेलू झगड़ा चलता रहेगा ?

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

यहां तो ऐसे खिलवाड़ करने वाले संशोधन आयेंगे और वहां व्यापारियों और सरकार में यह चलता रहेगा कि कुछ दिनों के लिये अवधि बढ़ा दी, फिर धमकी दी, फिर अवधि बढ़ाई और फिर धमकी दी और बच्चों की यह खिलवाड़ जो किसी तरह से सरकार को शोभा नहीं देती वह खेली जाती रहेगी। आखिर सरकार को किसी नीति पर दृढ़ रहना चाहिये और वह जो कार्य करे उसे अच्छी तरह सोच समझ कर करना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि उसने जो मुक्ति कर लगाया है वह ठीक है, तो ठीक है, उस पर वह दृढ़ता से अमल करे। और अगर वह समझती है कि उसके अपने मन में चोर है तो फिर व्यापारियों के साथ जिस तरह से बिल्ली चूहे के साथ खिलवाड़ करती है उस तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर कर तो न मारे कि कभी धमकी दे दी, कभी अवधि बढ़ाई। इसलिये मैं कहता हूं कि इस सब इतिहास को देखने से इस बात का पता चलता है कि इस बात की जरूरत है, कि हम उसकी तह में जायं। जैसा मैंने निवेदन किया था और आज भी मेरा मतलब यही है कि अच्छा तो यह हो कि सरकार पहली अप्रैल के आर्डिनेन्स के जरिये जितने नये कर लगाये गये और जितने पुराने कर बढ़ाये गये, उनमें से जितने अब तक नहीं हटाये गये हैं और जो बढ़ाये गये हैं और नहीं घटाये गये हैं, उन सब को वापस ले ले। लेकिन अगर सरकार यह नहीं करना चाहती तो कम से कम इतना तो करे कि इस संशोधन विधेयक पर इसी सदन की एक प्रवर समिति में अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय कि इसमें कौन-कौन ऐसे सुधार हो सकते हैं जिनकी वजह से जनता का असन्तोष, जो समुचित हो और जितना व्यावहारिक हो दूर करना, उतना दूर किया जाय।

मेरे संशोधन को स्वीकार करने में सरकार की कोई हानि नहीं है, चूंकि मेरा संशोधन यही कहता है कि ७ मई तक प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे और इसी अधिवेशन में वित्त मंत्री जी का जो प्रस्ताव है कि पारित कर लिया जाय, वह ८ मई को पूरा हो सकता है। तो हानि कुछ भी नहीं है, लाभ काफी है। एक तो यह है कि प्रवर समिति के अधिक उपयुक्त वातावरण में इस पर विचार हो सकेगा। उस वातावरण में सदन की कलेक्टिव विज्डम मुमकिन है कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिससे जनता को संतोष हो सके और दूसरी बात तो होगी ही कि ऐसा करने से सहयोग और सद्भावना का वातावरण बढ़ेगा। अगर सरकार विरोधी दल के इन रचनात्मक सुझावों को भी मान लेने की कृपा करे तो सरकार के ऊपर यह इल्जाम नहीं रहेगा और विरोधी दल के मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि सरकार ने तो यह समझ लिया है कि विरोधी दल की हमें कोई परवाह नहीं, हम तो संख्यासुर के बल पर जो चाहेंगे सो करेंगे और किसी की एक बात भी नहीं सुनेंगे। मेरा निवेदन है कि वहां भी आपका बहुमत होगा। वहां भी तो हमारी सिर्फ अर्जी होगी और आपकी मर्जी होगी। तो क्या आप हमारी अर्जी भी शांत चित्त के साथ सुनने की आवश्यकता नहीं समझते और उसके साथ फिर हमसे सहयोग की अपील करते हैं? तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी, जिसमें किसी की कोई हानि नहीं है और जिससे कुछ साइकालोजिकल सैटिस्फैक्शन विरोधी दल को होगा, जिसका जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा और सरकार एक अच्छा उदाहरण पेश करेगी। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, और इसीलिये इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता कि वह इसे स्वीकार करे।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह जो संशोधन पेश हुआ है या तो मैं इसको गलत समझा हूं और अगर सही समझा हूं तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा संशोधन तो यहां के कायदों और रूल्स के मुताबिक हो नहीं सकता है। यह एक बिल है, इसको सेलेक्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमेटी में भेजा जाय, यह अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह बात जो शामिल की गई है कि सन् १९५६ से लेकर के और अब से पहले तक जितनी तरमीमें उस कानून में हो चुकी हैं, उन सब को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, तो मैं इसको समझा नहीं कि कैसे हो सकता है और यह भी किस कायदे के मुताबिक होगा ? मैं समझता हूं कि किसी बिल के मुताल्लिक सेलेक्ट कमेटी बनेगी तो उस सेलेक्ट कमेटी का ज्यूरिस्डिक्शन उसी बिल तक महदूद होगा जो हाउस के सामने है और जो उसके पास भेजा जायगा। यह बात दूसरी है कि कोई कहे कि फलां काम गवर्नमेंट ने कभी किया है, उसके मुताल्लिक भी यह बात करो, तो वह अलग चीज है। गवर्नमेंट उसको मान सकती है और उससे इन्कार भी कर सकती है, लेकिन वह इस बिल का जुज हो कर इस सेलेक्ट कमेटी के पास जाय वह चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है और कांस्टीट्यूशनली और उन कायदों की रू से जो इस सदन के हैं, यह बात कैसे हो सकती है ? मेरे नजदीक नहीं हो सकती।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कठिनाई पेश की है उसके सम्बन्ध में मैं आप से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही कठिनाई है तो माननीय मन्त्री जी को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि जो वैधानिक प्रश्न है कि बिल का स्कोप वाइडेन नहीं हो सकता, इसके सम्बन्ध में मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले अधिवेशन में पिछले वर्ष मैंने इसी प्रकार का एक संशोधन उपस्थित किया था और इसी प्रकार की आपत्ति उस पक्ष की ओर से की गयी थी और अध्यक्ष महोदय ने प्रामाणिक, अधिकृत प्रमाण दे करके यह निर्णय दिया था कि सदन को अधिकार है कि वह विधेयक के स्कोप को प्रवर समिति में भेजते समय वाइडेन करने का अधिकार दे सकता है और रही वह वैधानिक आपत्ति, तो मैं समझता हूं कि अधिष्ठाता महोदय, उस सम्बन्ध में व्यवस्था दे ही देंगे कि नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान, जो अभी परसों ही उत्तर प्रदेश में विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन वितरित हुआ है, उसके पृष्ठ ८ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—इसी प्रश्न से सम्बन्धित है न ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसी प्रश्न से सम्बन्धित एक निर्णय माननीय अध्यक्ष का है। ६ दिसम्बर, १९५५ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन विधेयक, १९५५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव में श्री राजनारायण ने यह संशोधन करना चाहा.....

श्री अधिष्ठाता—उस पूरी रूलिंग को पढ़ने का कष्ट न करें। जो निर्णय है वह बता दें कि क्या है। मुझे उस रूलिंग का ज्ञान है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह निर्णय है कि "किसी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करते समय सदन विधेयक की परिधि बढ़ाने का उसको अधिकार दे सकता है।" इसको दृष्टि में रखते हुये आप इस संशोधन को उचित और वैधानिक करार देंगे।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के आब्जेक्शन को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी प्रकार की एक आपत्ति सन् १९५६ में भी उठाई थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय दिया था। उन्होंने उस निर्णय में यह कहा है कि अगर बिल के खंडों के सिलसिले में इस प्रकार का संशोधन आवे जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं तो वह बिल की परिधि के बाहर होगा और उसकी स्वीकृति नहीं देंगे, मगर अगर सेलेक्ट कमेटी में भेजने के सिलसिले में इस प्रकार की परिधि को बढ़ाना चाहते हों तो उसका निर्णय तो हाउस करेगा और वह अनकांस्टीट्यूशनल नहीं हो सकता। उनको इस प्रकार का संशोधन ले आने का अधिकार है और हाउस को

[श्री अधिष्ठाता]

इस बात का फैसला करने का अधिकार है कि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार किया जाय या न किया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला मैनपुरी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि यह बिल प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय, मैं उसका अनुमोदन करता हूं । वास्तव में सेल्स टैक्स ऐसा कानून, जिसका कि असर समूचे उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है और जिसके संबंध में सरकार को भी तमाम इस प्रकार की सूचनायें मिली होंगी कि इससे लोगों को कितनी परेशानियां हैं और किस प्रकार त्राहि-त्राहि मची हुई है । मेरे पास अभी एक पत्र व्यापारी समिति, लखनऊ, की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया है और यह प्रस्ताव किया है कि इस बिक्री-कर के संबंध में बहुत-सी बातों का संशोधन किया जाय । तो जब तमाम व्यापारी वर्ग और प्रदेश में होने वाली हड़तालें इस बात की सूचक हैं कि इस ऐक्ट का दायरा बढ़ाया जाय और इसको इस प्रकार से लागू किया जाय कि जिससे लोगों की परेशानियां कम हों, तो ऐसी अवस्था में यह बहुत उचित ही है कि केवल इतने से संशोधन से काम नहीं चलेगा । इस की परिधि को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस पर पूर्णत: विचार होना आवश्यक है ।

मैं अधिष्ठाता महोदय, यह भी बता देना चाहता हूं कि इसके कारण रोज की ऐसी गड़-बड़ियां पैदा हो गई हैं कि जिनकी वजह से छोटे-छोटे व्यापारी और उपभोक्ता पिसे जा रहे हैं । मैं एक उदाहरण देता हूं कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जो प्रदेश के बाहर माल भेजेंगे उन पर यह सेल्स टैक्स नहीं लागू होगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके कारण इतनी कठिनाइयां आ गई हैं कि गरीब दूकानदार अब अपने व्यापार को आगे चलाने में असमर्थ हैं । मंडियों में यह होता है कि छोटे-छोटे व्यापारी जब किसी चीज को अपना सेल्स टैक्स का पड़ता लगा कर किसी खास भाव से लेना चाहते हैं तो उस समय उसी चीज को बड़े-बड़े व्यापारी सस्ता खरीद लेते हैं, क्योंकि उन पर सेल्स टैक्स लगने का कोई सवाल नहीं है । तो जब सेल्स टैक्स का पड़ता लगाने की उनको आवश्यकता न हो, जाहिर है कि वह उस समय माल सस्ता खरीद सकते हैं और यह छोटे व्यापारियों के सामने एक बड़ी कठिनाई है कि वह कैसे अपना व्यापार चलायें । इसी प्रकार बिक्री-कर से एक और कठिनाई खड़ी हो गई है कि छोटे-छोटे व्यापारी जो गांव से माल ले कर मंडियों तक पहुंचते हैं और इस प्रकार का बीच का व्यापार करते हैं, उनको इतना मुनाफा नहीं होता है कि जिससे वह साल के अन्त में विक्रय धन पर लगने वाले टैक्स को अदा कर सकें । लेकिन यह जो बिल हमारे सामने आया है उसमें ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है और इससे छोटे वर्ग का व्यापारी परेशान है ।

इस बिल में जो क्वायनेज के हिसाब से परिवर्तन करने की बात कही गई है कि उसके कारण संशोधन करना आवश्यक हो गया है, वह भी ऐसी बात है कि दिखावे में तो सीधी-सादी मालूम होती है, लेकिन जब उसका एक्जीक्यूशन किया जायगा तो एक बहुत बड़ी कठिनाई आयेगी । इसके एक्जीक्यूशन में वही छोटा व्यापारी, जिसकी ओर, श्रीमन्, मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है, वह फिर टैक्स के बोझ से दबेगा और उपभोक्ताओं को कुल मिला कर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा । तो जब इस प्रकार से टैक्स बढ़ेगा तो उपभोक्ता उससे पीड़ित होंगे---यह दूसरी कठिनाई है ।

तीसरी बात यह है कि अगर टैक्स ३ पाई की जगह दो प्रतिशत की बात इसमें आयी है तो नयी दशमलव प्रणाली के हिसाब से ३ पाई एक रुपया का चौसठवां भाग था और अब २ फीसदी रुपये का ५० वां भाग होगा । इस प्रकार एक रुपये के चौदहवें भाग का जाकर फर्क पड़ता है । इस फर्क का बोझा उपभोक्ताओं पर और व्यापारियों पर जाकर पड़ेगा । इसी प्रकार से यह हो जाता है कि यदि २ प्रतिशत लगेगा तो छोटे व्यापारियों

पर यह लगेगा जिसका जिक्र मैंने, श्रीमन्, अभी सदन में किया है। उन छोटे व्यापारियों के सामने आज भी बहुत सी कठिनाइयां हैं और इससे और भी बढ़ जायंगी। ६ पाई से ३ प्रतिशत करने पर जो फर्क होता है वह भी छोटे व्यापारियों पर जाकर पड़ेगा और उन पर ही टैक्स बढ़ेगा।

इसी प्रकार से मेरे पास मर्चेन्ट्स असोसियेशन की तरफ से पत्र आया है। मैं नहीं कहता हूं कि उनका किस प्रकार से यह कहना है, लेकिन उनका कहना यह है कि सेल्स टैक्स का भुगतान चेक के द्वारा नहीं हो सकता है। इससे भी उनकी कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर यह बात किसी धारा के अनुसार है तो इससे उनकी परेशानी और भी बढ़ती है। मैं समझता हूं, सरकार इस कठिनाई को समझेगी और इसका निराकरण करेगी।

इसी प्रकार से सेल्स-टैक्स में एक दूसरी भी कठिनाई आ जाती है। इसका पूरा बोझ सारे प्रदेश में गरीबों पर ही जाकर पड़ता है, जिसको केवल अपनी रोटी कमाने के लिये इस तरह के रोजगार में पड़ना होता है, उसके ऊपर ही इस टैक्स का भार पड़ेगा। इस संशोधन विधेयक में इस तरह का टैक्स हटाने का कोई प्राविजन नहीं है, जिससे बेईमानी करने की प्रवृत्ति लोगों के अन्दर पैदा होगी और वह टैक्स को छिपाने की कोशिश करेंगे। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि टैक्स किसी तरह से बचाया न जाय और उसका उन्होंने प्राविजन किया कि बड़े व्यापारी टैक्स बचा न सकें, लेकिन छोटे व्यापारी लोगों की कठिनाई बढ़ने से उनका चरित्र पतन होगा और उन लोगों में बेईमानी बढ़ेगी। तो मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसी प्रकार से लोगों में चरित्र का पतन होगा जिस तरह से गरीबों पर यह टैक्स बढ़ेगा। इस प्रकार से समाज के अन्दर खोखलापन आयेगा। आज हमारे देश की जनता ९० फीसदी गरीब है। यदि उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा तो स्टेट के अन्दर कमजोरी आने से खोखलापन स्टेट में भी आयेगा।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, इसमें इस प्रकार की धारा प्रस्तुत की गयी है जिससे नौकर-शाही के हाथ मजबूत किये गये हैं। उसके हाथ में और भी ज्यादा ताकत दी जा रही है। ऐक्ट की धारा ६ में यह विधान किया गया है कि पहले वह रुपया जमा करे इसके बाद अपना आब्जेक्शन करे। मैं निवेदन करता हूं कि इसका असर बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और रिश्वत का बाजार गर्म होगा। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। जो यह हमारे सामने बिल प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करने पर यह सत्य प्रतीत होता है कि इसको इस रूप में रखना पर्याप्त नहीं है, इसलिये यह बिल पूरा का पूरा सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, ताकि इसकी परिधि को वहां पर बढ़ाया जा सके, और इस टैक्स की बुराइयां दूर हो सकें।

मंत्री जी ने कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। दूसरी बात यह कही गई कि धारा ३ (क क) का प्रयोग नहीं किया जायगा। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी बन्दूक ले कर चले और यह समझे कि उसे कोई मुसीबत नहीं आवेगी तो फिर क्यों वह बन्दूक लेकर चलता है और उसकी मुसीबत उठाता है? अगर मंत्री जी जानते हैं कि टैक्स दो प्रतिशत से कम ही रहेगा तो फिर दो प्रतिशत की मांग रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। टैक्सपेयर को भी मालूम होना चाहिये कि हमको इस सीमा से अधिक टैक्स देना नहीं है, वरना तो लोगों को इससे दिमागी परेशानी होगी। इन तमाम बातों को देखते हुये और इस विधेयक को अपूर्ण समझते हुये इसे प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना जो उन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय दिया और माननीय श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल के भाषण को बड़े आदरपूर्वक सुना। बजाय इसके कि मैं

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

बिल के बारे में पहले कुछ कहूं, मैं आपकी आज्ञा से एक और बात कहना चाहता हूं जिसका संकेत माननीय श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल ने किया था। उन्होंने सामने की ट्रेजरी बैन्चेज को उलाहना देते हुए कुछ ऐसा कहा कि सरकार और व्यापारियों का एक घरेलू सा सम्बन्ध है। उनकी इस बात में स्पष्ट गन्ध इस बात की आती थी कि कदाचित् व्यापारियों की जो उनके प्रति रेसपान्स है उससे वे आज संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक था। जिस समय कांग्रेस सरकार ने सेल्स टैक्स का बिल इस सदन में प्रस्तुत किया था तो वह जानती थी कि थोड़े महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। राष्ट्र की मांग और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस बात की परवाह नहीं की कि चुनाव में, इस टैक्स के लाने से, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। थोड़ा सा भी अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि टैक्स का स्वागत नहीं होता है और उसका विरोध होने की ही जनता में ज्यादा सम्भावना होती है। उस समय विरोधी दल से भी यह आशा थी कि वह उसकी खराबियां बताते और कमियों को पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन सदन के बाहर एक अराजकता का प्रचार किया गया। ये नारे लगाये गये कि वह सरकार निकम्मी है जो टैक्स लगावे। व्यापारियों को यह नहीं बताया गया कि इस टैक्स में किस प्रकार के संशोधन होने से अच्छा काम हो सकता है। उनसे कहा गया कि ए से जैड तक टैक्स का विरोध करें। इस भ्रम में थोड़े ही दिन व्यापारी रह सकते थे। उसके बाद ऐसा ही होना, जिसकी गन्ध पालीवाल जी के भाषण में आई, स्वाभाविक था।

अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद मैं इस प्रस्ताव के बारे में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इसकी आवश्यकता का सम्बन्ध है वह आवश्यक था ही। माननीय वित्त मंत्री जी ने जैसा संकेत किया, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला गया और उन्होंने यह निश्चय किया कि कोई भी फर्म, अगर वह डिजाल्व हो जाय, तो उसके बाद उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।

मैं, अधिष्ठाता महोदय, इस विषय में माननीय वित्तमंत्री जी से एक शिकायत अवश्य करूंगा कि उन्होंने अपनी गलती को दूसरे के सिर मंढने की कोशिश की है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में एक लेकूना था जिसकी ओर हाईकोर्ट ने सरकार का ध्यान दिलाया है। हाईकोर्ट के उस फैसले में यह बतलाया गया है कि जब तक किसी ऐक्ट में ऐसी निश्चित धारा न हो कि किसी फर्म पर उसके डिजोल्यूशन के बाद भी टैक्स लगाया जा सकता है, तब तक टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। यदि हमारे टैक्स लगाने वाले या उस धारा को बनाने वाले, जिन्होंने सेल्स टैक्स को बढ़ ने का प्रपोजल किया था, पहले के तजुरबे से फायदा उठाते, तो यह स्थिति ही पैदा नहीं होती। क्योंकि सन् ३८ Income-Tax-Act, पुराने ऐक्ट में भी धारा २५(ए) बढ़ाकर इस प्रकार की दिक्कत को दूर किया गया था। अगर उस अनुभव का लाभ उठाया गया होता तो इसकी इस वक्त आवश्यकता न होती। मेरी तो यह शिकायत है कि इस प्रवृत्ति को न ही बढ़ाया जाना चाहिये, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे सरकारी नौकरों का वर्ग हो, कि उनको होलसेल कंडेम किया जाय और कहा जाय कि इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि आज सारा व्यापारी वर्ग बेईमान होगया है, आज वह एक फर्म को बन्द करता है तो कल दूसरी फर्म को टैक्स बचाने के लिये ही चला लेता है यह कहना गलत है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी फर्म का डिजोल्यूशन, डिसकंटीन्यूयेंस अथवा रीकंस्टीट्यूशन किसी कारणवश आवश्यक हो गया हो। अगर एक फर्म के २ या ४ पार्टनर्स हैं, उनमें से एक मर जाता है या उस फर्म को किसी कारण से छोड़ता है तब भी उस फर्म को डिजोल्व करना होगा, रिकंस्टीट्यूट करना होगा। इसलिये इस प्रावीजन की आवश्यकता थी, इसी की तरफ हाईकोर्ट ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह साफतौर पर माना है कि अगर कोई फर्म डिजोल्व हो जाती है तो उसके ऊपर टैक्स जरूर

लगे, लेकिन इसके लिये ऐसा प्रावीजन आवश्यक था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले ही यह प्रावीजन होना चाहिये था, लेकिन अब तो इसकी आवश्यकता है ही। इसलिये यह बिल जो लाया गया है वह आवश्यक है और ठीक है, इस समय उसकी आवश्यकता है।

अब बिल की तरफ आगे चलते हुये, मैं, दो एक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली तो सिद्धांत की बात यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि इस बिल से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी तरह से जनता का बोझ और अधिक बढ़े। उनका अभिप्राय केवल यह है कि जो डैसीमल कोईनेज शुरू हुई हैं, जिनको केंद्रीय सरकार ने बहुत सोचसमझ कर चलाया है, देश के हित के लिये लागू किया है, उससे कन-फरमिटी में लाने के लिये जोकि पहले हमने रुपये, आना और पाई के रूप में उसे उल्लिखित किया था, उसको शनैःशनैः डैसीमल कौइनेज के रूप में करने के लिये ऐसा किया जा रहा है। इसलिये ऐसे ऐक्ट को लाने की आवश्यकता हुई। इसमें हमें यह देखना है कि अनजाने में कहीं हम यह तो नहीं कर रहे हैं कि जनता पर बोझ बढ़ रहा हो जो कि अभी इसी बोझ को भी ज्यादा समझती है। मेरा यह खयाल है कि हम चाहते हों या न चाहते हों, ऐसा हो रहा है और वह इस तरह से हो रहा है कि हम यहां पर अब तक ३ पाई फी रुपया लेते थे वहां इस बिल के द्वारा २ नये पैसे निश्चय करने जा रहे हैं। श्रीमन्, अगर आप देखें तो दो नये पैसों का विनिमय ३.८४ पाई होता है जब कि हम अब तक केवल तीन पाई कर देते थे। तो इसका परिणाम यह होता है कि हर एक रुपये पर .८४ पाई टैक्स बढता है। इसके और आगे देखेंगे तो इसका परिणाम यह होता है कि एक पैसे पर .८४ बहुत मालूम होता है। अगर आगे चल कर देखे तो यह एक हजार रुपये पर ४ रु० ६ आ० हो जाता है और एक लाख पर ४३७ रु० हो जाता है। इस तरह से .८४ की वृद्धि से भी लम्बा फर्क पड़ेगा।

तो मैं, श्रीमन्, माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और एक बात भी मैं नम्रता के साथ निवेदन करूं कि डेसिमल क्वायनेज ऐक्ट जो केंद्रीय सरकार की ओर से सन् १९५५ में पारित हुआ उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि जहां तक मेरा ध्यान गया, उसकी धारा १४ इसके बीच में आती है और गालिबन माननीय मंत्री जी इस वृद्धि के औचित्य को सिद्ध करेंगे। श्रीमन्, मैं यह भी जिक्र कर दूं कि मेरे अथक परिश्रम और प्रयत्न के बावजूद भी हमारे विधानालय की लाइब्रेरी में डेसिमल क्वायनेज ऐक्ट की कापी कल से आज तक नहीं मिली। मिल तो नहीं सका सेल्स टैक्स ऐक्ट भी। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि यदि हम चाहते हैं कि सदस्यगण से कुछ आशा की जाय तो इस विधानालय लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना ही होगा।

यह प्रसंगवश संदर्भ के बाहर की बात थी जिसका मैंने जिक्र कर दिया। अब मैं उसी बात पर आता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेसिमल क्वायनेज ऐक्ट की धारा १४ के अनुसार ही इसमें परिवर्तन जरूरी समझा गया है तो कदाचित् यह दिक्कत सामने आ सकती है कि यह कहा जाय कि एक रुपये में डेढ पैसा टैक्स किस तरह से लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि यदि कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है तो उसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि अभी इस समय इसमें संशोधन न किया जाय। जब हमारे सामने एक कम्प्रेहेंसिब बिल हो और उसका सारा ढांचा सामने हो तो उस वक्त आप इस स्थिति में होंगे कि पूरा विचार करके, पूरी स्कीम देख कर, बात कर सकें। यदि ऐसा न हो सके तो दूसरा सुझाव यह हो सकता है कि वे इस बात को देखने की कोशिश करें कि तीन पाई रुपया जिन कमोडिटीज पर दिया जाता है उनको ज्यादातर कौन लोग कंज्यूम करते हैं। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खांडसारी शुगर या गुड़, जिस पर इस समय तीन पाई फी रुपया टैक्स है, मैं इस समय उसकी हिस्टरी में नहीं जाना चाहता, बहुत संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं कि खांडसारी और गुड़ के लिये सर-कार से प्रार्थना की गयी थी कि उनको एसेंशियल कमोडिटीज मान कर टैक्स से कतई मुक्त कर दिया जाय। उसके बाद कई साल के सोचविचार के बाद सरकार ने यह निश्चय किया था कि वह उसको कतई कर मुक्त न करके सेंट्रीफ्यूगल बेसिस पर, जितना उत्पादन हो

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

उसके आधार पर टैक्स लेना चाहिये। उसमें भी काफी कठिनाई हुई और कुछ कानूनी दिक्कतें पड़ीं। उसके बाद अभी कुछ महीने हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि उस पर तीन पाई फी रुपया टैक्स लिया जाय और साथ ही यह भी निश्चय किया शीरा पर, जिसको केवल गरीब आदमी ही खाते हैं जिनको खांडसारी या गुड़ भी नहीं मिल पाता है, पता नहीं कि किसी भूल से या जान बूझकर दो पैसा फी रुपया यानी ६ पाई फी रुपया टैक्स लिया जाय और वह इस समय चालू है। तीन पाई फी रुपया टैक्स उस उद्योग के लिये एक बड़ा बोझ साबित हो रहा था। मैं इतना और स्पष्ट कर दूं कि जो लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़े होंगे उन्होंने कदाचित् यह समझा होगा कि माननीय मंत्री जी ने ६ पाई के बजाय ३ पाई टैक्स करके इस गृह उद्योग के लिये बहुत बड़ी रियायत की है। किन्तु, श्रीमन्, बात असिल यह है कि अब तक इससे पहले कायदा यह था कि वह तमाम शकर जो प्रदेश के बाहर जाती थी उस पर विशेष स्थितियों में, जो छोटी-छोटी इकाइयां हैं वह इस बात को साबित नहीं कर पाती थीं कि कैसे हिसाब देना चाहिये, जिसके द्वारा वे सिद्ध कर सकें कि इतनी शकर प्रदेश के बाहर भेजी गई। इस दिक्कत को मानते हुये विभाग ने एक साक्ष्य की मात्रा निर्धारित कर दी थी और साक्ष्य की मात्रा की उस कसौटी पर जो साबित कर देता था कि उस की शकर यू० पी० के बाहर गई है, तब तो उस को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब जब से दर कम हुई है, उसका नतीजा यह हुआ है कि जहां पहले ३ बटा ४ भाग पर कोई टैक्स नहीं था और केवल एक चौथाई पर ६ पाई की दर से लगता था वहां अब सारी शकर पर ३ पाई की दर से लग जाता है। जिस का परिणाम यह हुआ है कि वह टैक्स अब दुगुना हो गया है और इस तरह से .८४ फी रुपया बोझ बढ़ गया और वह असह्य हो गया है। अगर इसमें संशोधन मुमकिन न हो तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, कि इस तरह से जिन उद्योगों पर इस का बोझ पड़ता है, उन को किसी और तरह से कम्पेनसेट करने की कोशिश करें। उस का तरीका यह हो सकता है कि खंडसारी शकर पर जो ६ पाई का टैक्स लग रहा है, उसको अगर मुक्त कर दें तो .८४ के हिसाब से जो ज्यादा मिल रहा है वह कम्पेनसेट हो सकेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर जो ज्यादातर गरीब लोगों के काम में आती है, उस पर अगर इस प्रणाली से अनिवार्य रूप से टैक्स का बोझ पड़ा तो मंत्री जी देखेंगे कि वह उचित न होगा, जैसा मैंने कहा वह किसी न किसी तरह से पूरा भी हो जायगा और सिद्धांत तो वह स्वीकार कर ही चुके हैं। उनका मन्शा टैक्स को बढ़ाना नहीं है और यह ठीक ही है कि वह यह बिल इसलिये नहीं लाये हैं कि टैक्स का रेट बढ़ जाय। इसलिये हमें इसको केवल एक ठीक रूप देना है और एक सही रूप संशोधन के द्वारा स्वीकार करना चाहिये। एक तो मुझे यह कहना था कि किसी तरह से इस बोझ को घटाना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि इस बिल में जितने प्राविजन्स हैं वे बड़े उपयोगी प्राविजन्स हैं और हमें इस बात का यत्न करने की आवश्यकता है कि आज सारे सूबे की मांग है कि सेल्स टैक्स या कोई भी टैक्स, जो भी लगे, उसका इस तरह से निफाज हो, उसका प्रचलन ऐसा किया जाय कि हर व्यक्ति से, जिससे कि सेल्स टैक्स या कोई टैक्स देय है, उस से वह वसूल किया जा सके। यह तो कार्यप्रणाली का दोष होगा कि हम एक व्यक्ति से टैक्स वसूल कर सकें और दूसरे से न कर सकें। कल ही एक माननीय सदस्य कह रहे थे टुबेको के विषय में, कि उसके टैक्स के विषय में जो नीति है और जो उस की वसूली में कठिनाई है उसको पिछले चुनाव के सिलसिले में लोगों ने तो अराजकता की नीति फैलाकर उसको कतई न देने को कहा। तो जरूरत इस बात की है कि जिस से टैक्स सब से वसूल हो सके और इवेजन न हो। इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि इस बात की आवश्यकता थी कि इस बिल में ऐसा प्रतिबन्ध लगता जिससे टैक्स का इवेजन नामुमकिन हो जाता और इस में जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिसके द्वारा इस बात की कोशिश की गई है कि अगर सेल्स टैक्स अधिकारी यह समझें कि किसी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तो वह व्यापारी पर प्रतिबन्ध लगा सकता है कि वह अपेक्षित धन दे। इसमें कोई आपत्ति मैं नहीं समझता, कैसे हो सकती है।

इसमें यह भी सवाल अभी इस सदन के सामने आया था कि इससे सेल्स टैक्स कमिश्नर के अधिकार बढ़ जायेंगे या डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ जायगा। मैं नहीं समझ पाया कि करप्शन जहां रोकने की बात आ रही है वहां करप्शन बढ़ने की संभावना कैसे हो सकेगी ? फिर सेल्स टैक्स ऐक्ट में एक धारा ९ है और धारा १० है। धारा १० में रिवीजन जज के यहां किसी भी आर्डर के विरुद्ध रिवीजन किया जा सकता है और वह ठीक कर सकता है, संशोधित कर सकता है। तो जहां तक इस प्राविजन का संबंध है, मैं समझता हूं कि माननीय सदन के हर सदस्य का हर समय कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह इसमें ऐसे सुझाव रखें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ इसके प्राविजन्स लागू हो सकें। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, इसमें एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि इसमें जहां इस बात की कोशिश की गयी है इस व्यवस्था के संबंध में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कि वह एक फर्म पर डिजाल्व होने के बाद भी टैक्स लगा सके, वहां पर कुछ और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर ली गयी है। अगर एक फर्म डिजाल्व हो जाय तो यह तो ठीक है कि उस फर्म पर टैक्स लग सके। यह भी ठीक है कि उस फर्म के पार्टनर्स की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन, श्रीमन्, कदाचित यह तो असंगत ही नहीं वरन् कदाचित नियम विरुद्ध भी हो यदि हम यह भी कहें कि उस फर्म के बाद जो दूसरी फर्म बन जाय, बिला रिकंस्टीट्यूशन (reconstitution) की परिभाषा तक दिये हुये, कि दूसरी फर्म जिम्मेदार होगी कि पहली फर्म का रुपया दें, अगर उसके लिये आवश्यकता पड़े। तो आपको रिकंस्टीट्यूशन (reconstitution) की परिभाषा करनी पड़ेगी। इस सारे ऐक्ट में, मूल ऐक्ट में और इस संशोधन में जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है कहीं शब्द "रिकांस्टीट्युशन" की परिभाषा नहीं की गयी है। यह कह दिया गया कि जो पुनस्संगठित फर्म होगी, उस फर्म का दायित्व होगा कि अपनी सक्सेसर फर्म की लायबिलिटीज को अदा करे। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि यह अनुचित और अनियमित होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--अधिष्ठाता महोदय, बिक्री कर के संबंध में इससे पूर्व सदन में और प्रदेश में बाहर इतना कहा सुना जा चुका है कि मैं यह समझता था कि अब बिक्री कर की चर्चा विशेष रूप से नहीं होगी। लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने यह संशोधन यहां पर उपस्थित किया, तो इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि हम सब लोग उन्हीं पुराने संदर्भों से, जिन से कि बिक्रीकर की चर्चा शुरू हुई थी, इस विधेयक पर और उसके संशोधनों पर विचार करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आदरणीय सदन के सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि १ अप्रैल, १९५६ हमारे प्रदेश की जनता के लिये, व्यवसाइयों के लिये, उपभोक्ताओं के लिये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। यही वह दिन है जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी करते हुये इस बात की घोषणा की थी कि बिक्री कर इस नये रूप में अब इस प्रदेश में वसूल किया जायगा और उनके इस अध्यादेश जारी करने के बाद प्रांत में जितना असंतोष व्यक्त हुआ था मैं समझता हूं कि उतना व्यापक असंतोष इस देश में बहुत दिनों से व्यक्त नहीं हुआ था और एक सप्ताह तक निरन्तर हड़तालें चलती रहीं। जगह जगह पर सभायें होती रहीं, जगह जगह पर प्रदर्शन हुये और इसके बाद लखनऊ में इसी बिक्री कर के विरोध में एक सत्याग्रह भी हुआ, धारा १४४ तोड़ी गई जिसमें हमारे आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी सम्मिलित हुये थे। इसके बाद उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रवर समिति में वह विधेयक भेजा गया। संशोधनों के साथ, परिवर्तनों के साथ वह विधेयक स्वीकृत हुआ। लेकिन प्रदेश की जनता का असंतोष कम नहीं हुआ। उसने अपने असंतोष को प्रकट करने के लिये हर पहली तारीख को प्रदेश के कोने-कोने में हर महीने हड़ताल की, जब तक नया चुनाव नहीं हो गया। प्रदेश की जनता ने अपनी उस विरोध की भावना को व्यक्त करने के लिये, जिसको सरकार ने दफा १४४ लगाकर रोका था, विरोधी दल के १४४ आदमी चुनकर भेजे हैं, यानी सरकार पर दफा १४४ लगा दी ताकि सरकार अब अपनी कार्यवाही सावधानी से करे। लेकिन बदली हुई दृष्टि से सरकार ने किसी तरह से अपने में सुधार नहीं किया और मुझे

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मालूम होता है कि वित्त मंत्री जी इस ताक में रहते हैं कि हमें कब अवसर मिले और बिक्री-कर की छेड़-छाड़ शुरू कर दें। अब उन्होंने परिवर्तित दशमलव सिक्कों की प्रणाली का और केंद्र के बिक्री कर अधिनियम का बहाना लेकर यह बिक्री-कर का विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह विधेयक शकर में जहरीली गोली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभी तक जो अधिनियम लागू था उसके अनुसार प्रदेश के व्यवसाइयों को जो परेशानियां थीं, उनसे सब लोग परिचित हैं, सरकार के चलाने वाले भी अच्छी तरह से परिचित हैं और उसी का परिणाम था कि सरकार व्यवसाइयों को बेईमान कहती है और व्यवसायी कहते हैं कि अब चूंकि सरकार व्यवसायी हो गई इसलिये वह भी बेईमान हो गई है। यह आज अराजकता की स्थिति इस बिक्री कर की वजह से पैदा हो गई है। उसके बाद भी इस तरह का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि हम फिर से सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन करें, यह बहुत ही बेजा बात है। और फिर उन संशोधनों के द्वारा ऐसे अधिकार लिये जा रहे हैं जिनसे जनता और व्यवसाइयों की परेशानियां बढ़ेंगी। आप देखें कि जहां पर इस बात का संकेत किया गया कि हम टैक्स कम करने जा रहे हैं वहां पर आप देखें कि इसमें खंड २ के उप-खंड (१) में ७ आना प्रतिशत के हिसाब से, यानी ४४ पैसे प्रतिशत के हिसाब से टैक्स बढ़ा दिया गया है। उसके साथ अगर आप देखें कि बाजारों में जब इंसपेक्टर्स जाते हैं तो देहात के किसान जो अपना माल बेंचने के लिये आते हैं, उनके बयान लेते हैं, पकड़ कर, और बयान लेने के बाद एक साल बाद नोटिस भेजते हैं कि आपने साल भर के अन्दर १२ हजार से ज्यादा का टर्न-ओवर किया है लिहाजा आपके ऊपर इतना टैक्स बांधा जाता है। आप फलां-फलां तारीख तक टैक्स अदा कीजिये। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है, उससे सरकार परिचित नहीं है। किसान अपना माल नहीं बेंच पाता। उसका अगर कोई नजारा देखना चाहे तो वह सेल्स टैक्स दफ्तर के सामने जायं। वहां पर देखें कि किस तरह से छोटे-छोटे किसानों को अपना माल बेंचने में परेशानी पैदा होती है।

इसी तरह से फुटकर के दूकानदार हैं जो रोजमर्रा एक-दो बोरा सामान बेचते हैं, वे आज इससे बंचित किये जा रहे हैं। मैं, उदाहरण के तौर पर, एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में लगभग डेढ़ हजार रुपये का इंवेस्टमेंट होता है और यह रुपया चार दिन सरकारी खजाने में जमा रहता है और डेढ़ हजार रुपये का इस तरह से व्यवसाय होता है महीने में २६ दिन। उससे साल में लगभग २ लाख रुपये का टर्न ओवर होता है और इस २ लाख रुपये में लगभग ३ हजार रुपये का मुक्ति कर शुल्क उन दूकानदारों को देना पड़ता है। लेकिन ये सरकारी दूकानें हैं जहां पर जनता से जबरदस्ती एक पैसा रुपया वसूल कर लिया जाता है। उनका मुनाफा भी निश्चित है। यह सरकारी दूकानें अपना सेल्स टैक्स या मुक्ति-कर शुल्क देने के लिये तैयार रहती हैं और सरकार उसी नजरिये से साधारण दूकानदारों को भी जो एक बोरा, दो बोरा बेंचते हैं और उससे अपना जीवनयापन करते हैं, उनके संबंध में भी उसी तरह से हर चीज सोचती-विचारती है। लेकिन वह यह नहीं समझती कि इन सरकारी दूकानों के मुनाफे में और दूसरे छोटे-छोटे दूकानदारों के मुनाफे में बड़ा अन्तर है। यही नहीं, आज इस प्रदेश का सारा व्यवसाय चौपट हो रहा है। हमारे पड़ोस के प्रदेशों में यहां के बाजार उठ-उठ कर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो आज कानपुर से कपड़े का बाजार खत्म हो रहा है। यह बाजार धीरे-धीरे दिल्ली में शिफ्ट होता जा रहा है। अब हमारे प्रदेश से किराना का बाजार भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। यह सारे का सारा बाजार बिहार में, मध्यप्रदेश में शिफ्ट हो रहे हैं और वह इसलिये कि हम दूसरे प्रदेशों से, बंगाल से, कलकत्ते से, कटनी से, पटना से दूसरी जगहों से चीजों को मंगाते थे। बम्बई से, अहमदाबाद से कपड़ा, किराना ऐसी चीजें मंगाते थे और फिर अपने प्रदेश में बेंचते थे। वह हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाया करता था। लेकिन सरकार की इस बिक्री कर की नीति से आज उन व्यवसाइयों को परेशानी हो रही है और आज वह लोग इस प्रदेश में माल खरीदने के लिये नहीं आते। अब वह लोग सीधे

उन्हीं स्थानों से माल मंगाते हैं जहां से कि उत्तर प्रदेश के व्यवसायी माल मंगाकर वितरण किया करते थे। तो इस तरह से हमारे प्रदेश का व्यवसाय चौपट हो रहा है और हमारे पड़ोस के प्रदेशों में शिफ्ट होता जा रहा है।

इसके साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस बात की छूट है कि अगर कपड़े की मिल से कोई कपड़ा बाहर जाता है तो उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोई छोटा व्यवसायी एक गांठ न खरीद सके, दो चार दस थान खरीदता है और वह बाहर ले जाना चाहता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। इस तरह की स्थिति में सदन को इस सारे प्रश्न को एक ऐसी समिति के सिपुर्द करना चाहिये जो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैं यह भी जानता हूं कि अभी जिस समय यह प्रश्न यहां विचारार्थ आयेगा तो हमारे कुछ माननीय सदस्य खड़े होंगे और वह यह भी बतायेंगे कि साहब, बड़ी भारी आवश्यकता है अपने प्रदेश के उत्थान के लिये, प्रदेश को ऊपर उठाने के लिये इस तरह के टैक्स लगाये ही जाने चाहिये और इसलिये इस बिक्री-कर को फिर संशोधित किया जाय। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह लखनऊ की पुरानी परम्परा रही है कि कुछ दरबारगीरी हुआ करती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। लखनऊ की साधारण जनता ने उस परम्परा को तोड़ दिया है। प्रदेश की जनता ने भी उस परम्परा को तोड़ दिया है और जिस तरह से यहां पर बिरोध व्यक्त करने के लिये विरोधी सदस्यों को भेजा है उससे सरकारी पक्ष को यह सबक लेना चाहिये कि अब दरबारगीरी छोड़कर जनता की वास्तविक बातों को कहना चाहिये। क्या बात है चुनाव का जब अवसर होता है, चुनाव का जब मौका होता है तो व्यापारियों से यह वादा किया जाता है कि हम तुम्हारी तकलीफों को देखेंगे, चुनाव खत्म हो जाता है तो उन्हीं व्यवसाइयों को बेईमान कहा जाता है, यह कहने लगते हैं कि वह टैक्स चुराते हैं, वह टैक्स देने के आदी नहीं हैं? ऐसा क्यों है? एक तरफ जब उनको देशभक्त, ईमानदार कहा जाय और बाद में जब इस तरह का विधेयक पेश किया जाय और तब उनको बेईमान कहा जाय, यह गलत बात है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से इसमें कई धारायें जोड़ी जा रही हैं उससे यहां की नौकरशाही के हाथ हर तरह से मजबूत होंगे। इससे सारे प्रदेश का व्यवसाय यहां के उस रजिस्ट्रेशन आफिसर को दे दिया जायगा जिसकी मरजी पर होगा कि वह अगर किसी व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो करे और अगर न करना चाहे तो न करे। उसमें इतना अवश्य जोड़ दिया गया है कि वह कमिश्नर साहब उसके लिये आदेश देंगे। लेकिन जब तक कमिश्नर साहब की स्वीकृति नहीं होती, जब तक कमिश्नर साहब कोई अपना आदेशपत्र नहीं भेजते तब तक बीच के लिये उसका व्यवसाय रुका ही रहेगा क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इस रजिस्ट्रेशन के कारण रजिस्ट्रेशन अधिकारी महोदय को जरा सी भी शिकायत हुई, जरा सा भी गुरेज हुआ, अगर उन्होंने उसे तंग करना चाहा तो किस तरह से उसको तंग करेंगे; इसकी कल्पना आपको इंसपैक्टर साहबान की हरकतों को देखकर हो सकती है और उससे सरकार को अच्छी तरह से पता चल जायगा। बाजारों में जब इंस्पेक्टर्स जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भेड़िया आया हुआ है। सब लोग अपना माल उठा उठा कर भागते हैं और कुछ लोग वहां माल छोड़ भी जाते हैं क्योंकि वे लोग समझते हैं कि एक बार की विजिट उनके ऊपर २००,३०० रुपये का सेल्स टैक्स बांध देगी। माल ३०–४० रुपये का ही होता है इसलिये वे माल छोड़ देते हैं। इसलिये इन सारे प्रश्नों पर विचार करने के लिये यह विधेयक प्रवर समिति के सामने जाना चाहिये।

वित्त मंत्री जी ने शुरू में बताया था कि इस बात की क्या आवश्यकता है कि हम पुराने सेल्स टैक्स पर विचार करें। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा पुराने ही सेल्स टैक्स विधेयक के खंड ३ के उपखंड (१) में उस प्रतिबन्धात्मक वाक्य को देखें जिसमें कहा गया है––"प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल अथवा माल के वर्गों के संबंध में विक्रय धन पर कर की दर में इस प्रकार वृद्धि कर सकती है कि दर ६ पाई प्रति रुपये से अधिक न बढ़ने पाये, और इसी प्रकार वह उसे घटा सकती है और

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

तत्पश्चात् कर सम्बद्ध विक्रय धन पर, बढ़ाई हुई अथवा घटाई हुई दर से, जो भी लागू हो, देय होगा"। मुझे जहां तक जानकारी है अब तक जितने कानून बने हैं, जितने विधेयक पास हुए हैं उनमें जो मूल खंड होते थे और उनमें जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़े जाते थे वे उनकी शक्ति को क्षीण करते थे। लेकिन मुझे इस विधेयक के पढ़ने से यह विदित हुआ कि यहां पर दूसरी परम्परा है। यहां पर मूल खंड में जो प्रतिबन्धात्मक अंश है वह उसकी शक्ति को और बढ़ाता है। एक तरफ तो दूसरे कानूनों में प्रतिबन्धात्मक अंशों में मूल खंडों की शक्ति को क्षीण किया जाता है और दूसरी तरफ इसमें शक्ति बढ़ाई जा रही है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस बिक्रीकर कानून पर पुनः विचार किया जाय। इसके लिये मैं एक दो उद्धरण और दे देता हूं। इसमें केंद्रीय सरकार का भी जिक्र किया गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार ने हमें जो सिफारिशें समय-समय पर दी हैं उन्हें भी माननीय मंत्री अपने ध्यान में रखें। तब फिर केंद्र से जो विधेयक पास होते हैं, अधिनियम पास होते हैं और उनको लागू करने के लिये जो इस तरह के संशोधन पास किये जाते हैं तो उन सिफारिशों को भी अगर ध्यान में रक्खेंगे तो उनको सही बात के समझने में कठिनाई नहीं होगी। सेल्स टैक्स के संबंध में व्यापारियों को, सरकार को और कंज्यूमर्स को कोई तकलीफ न हो इसके लिये केंद्रीय सरकार ने अपनी रिपोर्ट में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन, १९५३-५४ के वाल्यूम ३ में यह अच्छी तरह से बताया है कि जहां पर सेल्स टैक्स जैसा कानून लागू किया जाय वहां पर जनता, सरकार और व्यवसाइयों के बीच में ऐसे संबंध बने रहें जिससे एक दूसरे की कठिनाई को समझने में किसी को तकलीफ न हो। इस वाल्यूम के पृष्ठ ७५ पर कहा गया है :

"For the maintenance of a proper liasion with the trade and industry, it is necessary that the Sales Tax Department should maintain some contact with the chambers and associations of different trades, industries and commerce and get their advice and help in administering the tax. It is obviously neither possible nor desirable that sales tax officer should directly deal with all such associations. A small committee representing the important sections of trade, industry and the consumers would serve this purpose much better. Such committees have been established in one or two states and are reported to have proved successful in meeting the grievances of traders and ensuring their co-operation in the administration of the tax. We recommend that in each State there should be a Sales Tax Advisory Committee consisting of the representatives of different trade interests. It is necessary to lay down that the sales tax matters discussed by these committees should be those of general interest to the trade and not items of individual dispute or grievance relating to particular assessments or particular dealers."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर इस तरह की ऐडवाइजरी कमेटियां बनायी जायंगी तो उससे जनता को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और व्यवसाइयों को भी लाभ होगा। आज इस सेल्स टैक्स से जनता परेशान है और उस पर सरकार भी यह कहने लगती है कि अब दुकानदार बेईमान होते जा रहे हैं, वह टैक्स इवेड कर रहे हैं, तो इन सबके लिये वह एक मीटिंग प्वाइंट होगा, जहां पर हर तरह के लोग इकट्ठे होंगे और सरकार के हित की और जनता के हित की और स्वयं व्यापारी अपने हित की बात तय करेंगे। इसलिये मैं साग्रह वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस विधेयक के साथ में जो संशोधन हम लोगों की ओर से पेश किया गया है उसको स्वीकार करें और इसको एक प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें जिसमें गम्भीरता के साथ विचार किया जाय, छोटे छोटे लोगों के इंटेरेस्टों का इसमें विचार किया जाय, जो आज इससे परेशान हैं। इससे छोटे छोटे वेतन भोगियों का ३-४

परसेंट वेतन कम हो गया है। यह वह टैक्स है जिससे आम जनता को धारणा है कि जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर मरने के बाद भी कफ़न में यही टैक्स अदा करना पड़ता है। तो इस टैक्स के सिलसिले में जो हमारी जिन्दगी और मौत दोनों से संबंधित है, इसके संबंध में हमें गहराई से विचार करना चाहिये। यही मेरा सुझाव है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं, जनाबवाला, कोई तकरीर करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, बल्कि मैं थोड़ी सी बात आपके जरिये से इस सदन के मोअज्जिज मेम्बरान की खिदमत में इत्तला के लिये पेश करने वाला हूं और वह यह है कि जो संशोधन माननीय पालीवाल जी का इस वक्त इस सदन में है, जिस पर बहस हो रही है, उसको गवर्नमेंट इस हद तक मानने के लिये तैयार है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय। उसके आगे जो उन्होंने उसमें लिखा है, उसको गवर्नमेंट मंजूर नहीं करती। अगर हाउस को यह मंजूर हो कि इस तरमीम के साथ इस बात को मंजूर कर लिया जाय तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है।

और एक दूसरी बात यह है कि.....

एक सदस्य—आवाज सुनाई नहीं देती।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मेरा कसूर नहीं है, इसका (माइक्रोफोन का) कसूर होगा कुछ। मैंने तो यह अर्ज किया कि इस संशोधन को गवर्नमेंट इस हद तक मानने के लिये तैयार है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। लेकिन १९५६ से इस वक्त तक जितने कानून बन चुके हैं, इस कमेटी के सुपुर्द वह भी किये जायं वह अवैधानिक है या नहीं, इससे मतलब नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उसको मानने से मजबूर है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो इसमें डेसीमल सिस्टम के मुताल्लिक क्लाजेज है उनके लिये एक अमेंडमेंट दिया हुआ है एक साहब का, जिसको मैंने देखा और गवर्नमेंट ने भी यह फैसला कर लिया कि गवर्नमेंट उसको मंजूर कर लेगी और वह क्लाजेज निकाल दिये जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को मानना तो सीखा, चाहे उसके पूरे उद्देश्य को विफल करने की बात हुई हो। तो जब उसको वह स्वीकार नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट है कि वह स्वीकृत नहीं होगा। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि संशोधन के तौर पर यह प्रस्ताव ले लिया जाय कि इसमें से इसको निकाल दिया जाय। दोनों संशोधनों को ले लिया जाय। पहले इस पर वोट ले लिये जायं और जब वह हो जाय तो बाकी पर वोट ले लिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—आप इसको मंजूर करते हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं मंजूर तो नहीं करता हूं लेकिन मजबूरन मंजूर हो जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो जनाब की खिदमत में और जनाब के जरिये से मेम्बरान से अर्ज किया था और मूवर की खिदमत में दरख्वास्त पेश की थी। अब जो फैसला सदन का होगा वह तो खुद होगा ही। लेकिन मैंने तो जनाब की मंजूरी के लिये अपनी गुजारिश पेश की थी मगर जनाब ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि उसको मंजूर किया जाय। यह मेरी बदकिस्मती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि बहस जारी रहनी चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में जो संशोधन स्वीकार किये गये हैं उनको भेज दिया जाय। मेरा विचार है कि इस पर बहस जारी रहे।

श्री अधिष्ठाता—बहस तो जारी रहेगी ही, यह आपको कैसे भ्रम हो गया कि बहस खत्म हो जायगी ? जब उचित समझा जायगा कि काफी बहस हो गई है तो उस समय इस पर वोट ले लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि बहस जारी है। जब तक क्लोजर मोशन न आये तब तक बहस जारी रहेगी।

श्री अधिष्ठाता—बहस तो जारी है ही।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी आज सदन में इस संशोधन विधेयक पर माननीय पालीवाल जी, दीपंकर जी, भगवती सिंह जी के प्रस्ताव के बाद कुछ ऐसा भास हुआ और पालीवाल जी के भाषण के बाद ऐसा मालूम हुआ और उन्होंने इस तरह का भाषण दिया कि जो आज की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुये, हमें ऐसा अनुमान था कि इस पर कोई बहस नहीं की जायगी। वित्त मंत्री जी ने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन इसकी परिधि बढ़ाने के प्रश्न को नहीं मंजूर किया। मैं निहायत अदब के साथ यह कहूंगा कि जब तक इस विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ाया जायगा तब तक उसका कुछ फल नहीं निकल पायेगा, जिसके लिये कि बहस चल रही है। आज सदन में मेरा बोलने का विचार नहीं था। लेकिन मुझे ऐसी बातें सुनने का मौका मिला जिनसे मेरा और मेरी पार्टी का संबंध है इसलिये मुझे बोलना पड़ा।

अभी माननीय जगदीश शरण जी ने कुछ ऐसा भाषण दिया है जिससे यह मालूम नहीं हो सका कि वह इस बिक्री कर के विरोध में हैं या इससे सहमत हैं। मुझे तो ऐसा भास होता है कि मेरी ही तरह से उनका भी संबंध गुड़ और चीनी से ज्यादा है। मेरा तो इससे संबंध इसलिये है कि मैं प्रदेश के उस कोने से आता हूं जहां गुड़ और देशी चीनी बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। लेकिन उनका संबंध चीनी और गुड़ के व्यवसाय से मालूम होता है। वह इससे मालूम होता है कि चीनी के टैक्स पर तो उनको एतराज है लेकिन गल्ले के ऊपर उनको खुशी है। इस प्रदेश में जो एक आन्दोलन हुआ था और लोगों ने इस टैक्स को गलत बतलाया था वहां उन्होंने कहा कि वह बात गलत थी। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस टैक्स के विरोधी आन्दोलन में भाग लिया था, उसमें मैं और मेरे साथी भी थे लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि टैक्स देने की बात गलत है। बिना कर लिये कोई शासन कैसे चल सकता है ? जिम्मेदारी के बाहर ऐसी बात हम कैसे कह सकते हैं ? लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सदन के सदस्यों को, विशेषतौर से उस तरफ बैठे हुये माननीय बुजुर्गों को, कहूंगा कि उस समय जो सारा एतराज और सारी लड़ाई पेश हुई थी वह इसलिये नहीं पेश हुई थी कि टैक्स नहीं देना चाहिये बल्कि महात्मा गांधी के उन उसूलों पर पेश हुई थी कि कर देने का सिद्धांत क्या है। महात्मा गांधी ने नमक कर का विरोध इसलिये नहीं किया था कि नमक में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी या कर देने के वे विरोधी थी। माननीय वित्त मंत्री जी और सदन के दूसरे सदस्य बड़े बुजुर्ग लोग हैं। अगर उनको महात्मा गांधी के कुछ लेख याद होंगे तो उनमें उन्होंने नमक कर के संबंध में जो दलीलें दी थीं, अगर वे मुझे ठीक याद हैं तो मैं समझता हूं कि ये दी थीं कि जो वस्तुयें जीवन के लिये बहुत आवश्यक वस्तुयें हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना अन्याय है और अत्याचार है। नमक को चूंकि वह जीवन के लिये एक अत्यन्त आवश्यक चीज समझते थे इसलिये प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने कर की उस विधि का विरोध किया था। इसीलिये आज जब जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तु गल्ले पर टैक्स लगा तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। माननीय अधिष्ठाता जी, इसकी व्यावहारिक दृष्टि को याद रखना चाहिये कि जब गल्ले पर टैक्स लगता है तो हम देखते हैं कि दिन भर रिक्शा चलाने वाले आदमी— मैं तो पूर्वी जिले से आता हूं, वहां दोपहर को— सत्तू खाता है तो सत्तू पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है, जहां भी रहता है, जो भी खाता है उस पर उसे टैक्स देना पड़ता है। तो आज समाज के उस अंग पर जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है जब इस टैक्स का बड़ा भार पड़ने वाला था तो उस नीति का हमने विरोध किया।

रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट और मद्य-निषेध बोर्ड के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र प्राप्त करने की तिथि में समय की वृद्धि

श्री अधिष्ठाता—मैं गौरीशंकर जी से निवेदन करूंगा कि एक मिनट के लिये वह बैठ जायं, एक बहुत जरूरी सूचना मुझे देनी है ।

(श्री गौरीशंकर जी के बैठ जाने पर)

मैं सूचना देता हूं कि रुड़की यूनिवर्सिटी के सिनेट के लिये और मद्य-निषेध बोर्ड के लिये आज एक बजे तक समय दिया गया था मेम्बरों के नामांकन-पत्र प्राप्त करने के लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका समय बढ़ा दिया है। ३० अप्रैल, १९५७ को ३ बजे तक अब दोनों समितियों के लिये नामांकन-पत्र प्राप्त किये जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मेरे विचार से यह परम्परा कुछ ऐसी होनी चाहिये जिससे आपको यह कष्ट न करना पड़े। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपने सचिवालय से और सब से इस प्रकार कह दें जिससे भविष्य में जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनको बीच में बिठाने की आवश्यकता आपको न पड़े।

श्री अधिष्ठाता—आपने मेरी दिक्कत महसूस की होगी। वह मैटर हमारे पास देर करके आया, इस वास्ते मुझे माननीय सदस्य को बैठाने की जरूरत पड़ी।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

(क्रमागत)

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, गांधी जी ने जिन सिद्धांतों के आधार पर नमक कर का विरोध किया था उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पिछले वर्ष गल्ल पर लगे हुये और जीवन की दूसरी आवश्यक वस्तुओं पर लगे हुये टैक्स का विरोध हुआ। अगर गांधीजी अराजकतावादी थे, उनके संबंध में अगर आपका ऐसा ही विश्वास है तो उस विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। माननीय सदस्य के इस भाषण पर हमें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। गुड़ और चीनी के संबंध में उनकी राय से हम सहमत हैं। लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि गल्ले और दूसरी जीवन की आवश्यक वस्तुओं के व्यापार से उनका बड़ा अलगाव है और गुड़ और चीनी से बड़ा सम्पर्क है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे उनको वोट दे कर भेजने वाले गरीब भाइयों की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करें।

अधिष्ठाता महोदय, इस कर से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी उपस्थित हो गई हैं। उनके संबंध में उन आदमियों को ज्ञान होगा जो सीधे उसके सम्पर्क में हैं। सरकार को अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है, मुझे नहीं मालूम लेकिन जिन दो अधिकारियों से मुझे इसके बारे में बात करने का मौका मिला मैंने उनसे कहा कि १२,००० की जो बात है उससे जो रास्ते पर गल्ला बेंचता है उससे क्यों रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं चुप अपना मुंह लेकर लौट आया। उन्होंने कहा कि १२,००० होता ही क्या है। एक हजार एक महीने का होता है और एक दिन का ३०,३५ रुपये होता है। तो एक बोरा अनाज लेकर बैठने की आवश्यकता है और १२,००० की फ़िगर पूरी हो जायगी।

अतः वह छोटे से छोटे व्यापारी जो रास्ते पर बैठकर बेंचते हैं उनकी व्यावहारिक कठिनाई है। इसलिये मैं सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक छोटे व्यापारी ने मुझे बताया कि हम सड़क पर गल्ला रखबेंचें और उसके लिये एक मुनीम रखें जिससे वह सारी बिक्री

[श्री गौरीशंकर राय]

का हिसाब किया करे। एक बोरी गल्ला बेंचने से ढाई रुपया तो मुनाफा हो और उसके लिये मुनीम रखें कि वह बैठकर लिखा करे कि सारे का सारा हिसाब क्या है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं प्रदेश के उस कोने से आता हूं जहां सेल्स टैक्स ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया है। बलिया के निकट एक बक्सर बाजार बिहार बार्डर पर पड़ता है। कानपुर से तेल जब बलिया आता है तो महंगा पड़ता है और बक्सर जाता है तो सस्ता पड़ता है। कपड़े की दूकानें बक्सर और उसके पास स्थित दूसरे बाजारों में खुलती जा रही हैं और यहां का बाजार खत्म हो रहा है। गल्ले का बाजार तो बन्द सा है। केवल व्यापारियों की दृष्टि से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी मैं कहता हूं कि अनाज का भाव घटाया जाय। वहां चारों तरफ अकाल छाया हुआ है। पूर्वी जिलों में पूर्ण रूप से अन्न का अभाव है और अकाल छाया हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या यह सेल्स टैक्स उस अकाल की छाया को, अनाज के भाव को बढ़ाने में सहायक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है, जब किसानों की दशा बड़ी दयनीय हो गई है मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्य उन लोगों के हित में जिनकी तरफ से चुन करके आये हैं उनके प्रश्नों को पेश करें और इस सरकार से कहें कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने का विरोध न करें।

मैं आपको यह बताऊं कि जब मैं उन मित्रों से व्यक्तिगत रूप से बातें करता हूं जो मेरे कांग्रेस के भाई हैं कि भाई, सेल्स टैक्स कैसा है तो वह कहते हैं कि बड़ा गलत है लेकिन हमारे सामने डिसिप्लिन का सवाल है। चुनाव के पहले तो कुछ मित्रों ने मुझसे यहां तक कहा था कि अगर हम उसका विरोध करेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगा वरना हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। मुझे बड़ा दुख है कि इन सारी बातों को समझते हुये भी आज यहां सौहार्द्रपूर्ण बातावरण में विचार नहीं किया जा रहा है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से माननीय पालीवाल जी और माननीय दीपंकर जी जो विरोधी दल के लोग हैं उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया और मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं, मैं भी विरोधी दल का हूं लेकिन इस प्रांत के रहने वालों का सौभाग्य होता अगर यह सुझाव हमारे ट्रेजरी बेंचेज के किसी भाई की ओर से आया होता, वह अधिक कल्याणकर होता और उस पर और अधिक अच्छी तरह से विचार हुआ होता।

जहां तक असंतोष की बात है, माननीय जगदीशप्रसाद जी अग्रवाल ने कहा कि उस समय तो शुरू में कुछ अवश्य हुआ था लेकिन बाद में व्यापारियों को संतोष हो गया कि उस समय काँग्रेस सरकार ने ठीक ही किया था। मैं अदब से बता देना चाहता हूं कि वे मोटे-मोटे व्यापारियों का ज्ञान रखते हैं। मैं समझता हूं कि वे स्वयं तो व्यापारी नहीं हैं लेकिन जो मोटे मोटे व्यापारी हैं उन्होंने उनको बताया होगा लेकिन सड़क पर बैठकर बेंचने वाले व्यापारी जो ८ रुपये १० रुपये का सामान लाकर बस्ती में दूकानें खोल लेते हैं और कम से कम जिस जिले से मैं आया हूं वहां कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं; रोज लाकर बेचने वाले हैं और अन्य गरीब तो ऐसा समझता नहीं है कि टैक्स लग रहा है या क्या हो रहा है वह तो समझता है कि अनाज का भाव बढ़ता जा रहा है। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मैं एक बार फिर इस सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जनता के हित में वित्त मंत्री जी से निवेदन करें, सरकार से निवेदन करें कि आज वह स्थिति है जब अन्न के भाव बढ़ते जा रहे हैं इसलिये इस पर पुनः विचार हो।

असंतोष की बात तो मैं भूल गया। इस प्रदेश में प्रत्येक महीने में एक दिन पहली तारीख को पूरे प्रदेश में गल्ले के व्यापारियों की दूकानें बन्द रहती हैं। मैं जानता हूं कि जो बड़े-बड़े व्यापारी इसकी अगुवाई कर रहे थे, क्षमा करेंगे, कि उनको दबा दिया गया है। सरकारी मशीन ने उनको बैठा दिया है। सम्भव है कि उनका सम्पर्क किन्हीं बड़े-बड़े लोगों से हो। काशी में इसका बड़ा प्रयास किया गया कि छोटे और बड़े व्यापारियों में झगड़े हो जायं।

काशी के मंत्रिगण यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन काशी में बड़े और छोटे व्यापारियों में झगड़े खड़े किये गये। करमुक्ति शुल्क के नाम पर बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी से तो लगा लेते हैं लेकिन वह छोटा व्यापारी उपभोक्ता से किस प्रकार ले ? इन सारी बातों के संबंध में अगर व्यापारी लोगों से पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं। तो इन सारी कठिनाइयों को देखते हुये वित्त मंत्री जी पुनः एक बार सोचें। ट्रेजरी बेंचेज के मेम्बरों से मैं कहूंगा कि अपने मतदाताओं की तकलीफों को देखें और आप भी वित्त मंत्री जी से निवेदन करें कि इस संशोधन विधेयक की, जो आपके समक्ष है, उसकी परिधि को बढ़ावें, पुनः एक बार सोचने का मौका दें। जनता ने प्रयास किया है कि वे इस बार न जायं और उसकी सही बातों को सोच समझ कर उन पर चर्चा करने वाले कुछ नये साथी आये हैं, जो पहले यहां उपस्थित नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार और इस बात पर विचार किया जाय और इस विधेयक की परिधि बढ़ाई जाय। आशा है कि वित्त मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक और प्रेम-पूर्वक विचार करके कोई नयी बात कहेंगे।

•श्री अधिष्ठाता--माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने एक संशोधन दिया है। मैं उन को अनुमति देता हूं कि वह उस संशोधन को पेश करें।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--श्रद्धा एवं विश्वास के योग्य अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सम्मुख जो बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ प्रस्तुत है उसमें हमारी पार्टी के नेता पं० पालीवाल जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है, "बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५७ तक दे दे। प्रवर समिति को १ अप्रैल, १९५६ के बाद किये गये सभी बिक्री-कर संशोधनों पर पुनः विचार करके उनमें समुचित संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहे।"

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पालीवाल जी के इस संशोधन का एक भाग 'बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५७ तक दे दे"। स्वीकार करने की सरकार की तरफ से घोषणा की है। एक अंश जो कि आगे का है उसे उन्होंने स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। मैं अब यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जितना इस में से स्वीकार कर लिया है उसको रख कर उसमें से शेष भाग "प्रवर समिति को १ अप्रैल, १९५६ के बाद किये गये सभी बिक्री-कर संशोधनों पर पुनः विचार करके उन में समुचित संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहे" को उस संशोधन में से निकाल दिया जाय, जिससे हम एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करने में समर्थ हो सकें।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक की धारा २ और ३ को, जो दशमलव प्रणाली से संबंध रखने वाले अंश हैं, भी वापस लेने की घोषणा की है तब हम लोग सिर्फ विरोध करने के लिये ही नहीं रहें बल्कि मैं चाहता हूं कि एक सद्भावनापूर्ण हाथ बढ़ाया जाय और उसे दोनों ओर से स्वीकार किया जाय। अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि पालीवाल जी के संशोधन में से वह अंश निकाल कर वित्त मंत्री महोदय ने जो अंश स्वीकार किया है, उसे स्वीकार करते हुये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

यद्यपि बिक्री-कर के संबंध में पूरे प्रांत में घोर असंतोष है, हर व्यक्ति को उस पर असंतोष है और जब नये बिक्री-कर का अध्यादेश १ अप्रैल सन् ५६ में हमारे राज्यपाल महोदय ने लागू किया था उसके ऊपर प्रांतव्यापी असंतोष प्रकट किया गया था, लेकिन वह सब पिछले सदन की कार्यवाही थी और उसने उसमें निर्णय लिया था। आज हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। आज हम लोगों के सम्मुख जो प्रश्न है, उस संबंध में हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम पिछली कार्यवाही को ध्यान में रखकर वर्तमान की तरफ देखें। अतीत की तरफ

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जाने से कोई लाभ नहीं है। हमें वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य का ध्यान रखना है। इसलिये मैं सदन के समय और धन की बरबादी न चाहते हुये यह प्रार्थना करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। आदरणीय पालीवाल जी के सम्मुख भी मैंने अपने संशोधन को रखा था और उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है। अतः मैं यह संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--जनाबे सदर साहब, इस सेल्स टैक्स के मसले पर सब से ज्यादा एजीटेशन रहा है जबसे कि यह मसला इस हाउस के सामने आया है। यों तो इस हाउस के सामने और जब से हमारे सूबे में कांग्रेस सरकार आयी है बहुत से एजीटेशन होते रहे हैं लेकिन जितना ज्यादा एजीटेशन और जितना ज्यादा डिसकशन इस सेल्स टैक्स के ऊपर इस हाउस में और इस हाउस के बाहर, इस शहर में और इस शहर के बाहर हुआ है शायद और किसी टैक्स के ऊपर उतना नहीं हुआ। इसके बाद हमको इस बात की तवक्को थी और इस बात की उम्मीद करते थे कि हमारी गवर्नमेंट इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर करेगी।

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो संशोधन आपने भेजा है और यह जो अमेंडमेंट में संशोधन है इसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे मैं आपको बोलने से रोकता नहीं मगर मैं यह जरूर समझता हूं कि जब आपकी बात मंजूर होने जा रही है तो फिर उस पर विशेष बोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री सैयद जरगाम हैदर--जो हमारा अमेंडमेंट है उसमें इस बात की गुजारिश की गयी है कि इसके स्कोप को वाइड कर दिया जाय। इस वक्त जो अमेंडमेंट पेश है उसमें यह अपोजीशन पैदा होती है कि उस चीज को वह वाइड करने को तैयार नहीं है। इस वक्त हाउस के सामने यह मसला रह गया है कि आया जो अमेंडमेंट है वह सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया जाय या इतने के ऊपर ही बहस की जाय कि इसको वाइड किया जाय या नही। मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त जो हालत हमारे सूबे की है और जो दुश्वारी सेल्स टैक्स के लगने की वजह से हमारे सूबे के लोगों की और तिजारती लोगों की बढ़ती है और जो अजीमुश्शान बोझा टैक्स का लोगों के ऊपर पड़ रहा है उसकी बिना पर यह निहायत जरूरी हो गया है कि इस सेल्स टैक्स की पूरी स्कीम पर गौर किया जाय कि आया नुमायां तब्दीली इस सेल्स टैक्स में करनी चाहिये या नहीं। हमारे एक बुजुर्ग ने यह फरमाया कि इस वक्त हाईकोर्ट का यह फैसला हो गया है कि जिसकी वजह से यह हमको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि डेसिमल क्वायनेज की वजह से कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही हैं इसलिये हमको अमेंडमेंट कर देना चाहिये। मैं अपनी ट्रेजरी बेंचेज के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यह सही है कि आप हाईकोर्ट के फैसले की वजह से यह तब्दीली कर रहे हैं और वह भी सही है कि डेसिमल की वजह से तब्दीली होने की जरूरत है और मैं इसको तसलीम करता हूं लेकिन आपको पब्लिक दुश्वारियों का अहतराम करना चाहिये। आपको रायआम्मा का अहतराम करना चाहिये जिसने यह एलान कर दिया है कि वह इस टैक्स के विरोध में है क्योंकि अब की बार विरोधीदल में यह नुमायां इजाफा हो गया है और ट्रेजरी बेंचेज में कमी हो गयी है। इससे पब्लिक ने इस बात का एलान कर दिया है कि वह आपकी इस टैक्सेशन की पालिसी के खिलाफ है और वह किसी तरह से मुत्तफिक नहीं है। आपको यह चीज तसलीम करनी चाहिये और पब्लिक की दुश्वारियों को देखना चाहिये। मैं उन लोगों की दुश्वारी देखकर यह कहता हूं कि इस ऐक्ट को तरमीम किया जाय। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पब्लिक की दुश्वारियों का ख्याल करते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुये आप अजसरेनौ इस बिल पर गौर करें और यह देखें कि आया इस मामले में कोई नुमायां तबदीली कर सकते हैं या नहीं। यह मसला सैलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सैयद जरगाम हैदर--श्रीमन्, मैं अभी हाउस के सामने यह अर्ज कर रहा था कि इस वक्त हमारे सामने सिर्फ यह मसला जेरे बहस रह गया है कि आया जो सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल रेफर किया जाय तो क्या वह इन ५-६ दफाओं पर गौर करे या उसके स्कोप को वाइड कर दिया जाय। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो ऐटीट्यूड अख्तियार किया है उसके बाद सेलेक्ट कमेटी के सामने अगर इसका स्कोप वाइड नहीं होता है तो डिसकस करने की कोई बड़ी प्राबलम नहीं रह जाती है। मैंने अर्ज किया कि जो इस बिल के रीजन्स बतलाये गये हैं कि किस वजह से यह बिल अमेंड किया जा रहा है, उनमें तीन बातें बयान की गयी हैं। एक तो इस बात के बारे में दुश्वारी पड़ती है कि फर्म्स की पार्टनरशिप खत्म होने पर उनसे टैक्स किस तरह से वसूल किया जाय। हालांकि इस बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन जिन साहब ने यह प्रस्ताव पेश किया और उसका समर्थन किया उन्होंने यह बात जाहिर की कि हाईकोर्ट से इसका कोई फैसला हुआ है और उसकी वजह से यह जरूरी हो गया है। इसी तरह से डैसीमल सिस्टम के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं यह कहता हूं कि जम्हूरियत में अगर हाईकोर्ट से बड़ी कोई चीज है जिसके सामने गवर्नमेंट को झुकने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिये तो वह पब्लिक ओपीनियन है। अगर पब्लिक ओपीनियन का वर्डिक्ट यह जाहिर करता है कि इस टैक्स से बड़ी कठिनाई और दुश्वारी पैदा हो रही है, तब कोई वजह नहीं कि सेंस आफ फाल्स प्रेस्टिज को छोड़ कर उसको पब्लिक ओपीनियन के सामने इस बात का एतराफ करते हुये झिझक नहीं मालूम होनी चाहिये कि सेल्स टैक्स की जो स्कीम है उस पर वह फिर स गौर करने के लिये तैयार है। इस बिल में जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पेश किये हैं और उससे जो बिल बन गया है हमारे लिये वह तकलीफों और परेशानियों का बायस होगा।

आप इस बिल की पहली दफा के सब-क्लाज (२) के प्राविजो को देखें। मैं, श्रीमन्, उसको पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर उसका तर्जुमा कर दूंगा। वह इस तरह से है:—

"Provided that the amendments to the U. P. Sales Tax Act, 1948 (herein-after called the Principal Act) made by Section 5 shall also apply in relation to assessments for any year before the commencement of this Act whether such assessments had at any stage been completed or not."

इसके मुख्तसर माने ये हैं कि सारा ऐक्ट फिलफौर नाफिज हो जायगा लेकिन इसकी दफा ५ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। अगर कोई पार्टनरशिप डिज ल्व हुई है, किसी फैमिली का इस ऐक्ट के इनफोर्समेंट से पहले पार्टीशन हो गया हो तो इसका असर उस पर भी होगा गोया कि हम उन सब लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा सकते थे और जिनके ऊपर इस मौजूदा कानून में टैक्स नहीं लगा सकते हैं।

इस सिलसिले में, मैं आपकी तवज्जह दफा ५ की तरफ दिलाऊंगा कि दफा ५ में किस किस बात का जिक्र है।

*श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने एक धारा की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस समय जो प्रश्न उठता है वह सिर्फ यह है कि आया यह संशोधन बिल प्रवर समिति में भेजा जाय या नहीं। मैं इसके बारे में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस समय किसी धारा के बारे में बता सकते हैं या जब उसकी धारा पर विचार हो तब ही बता सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--वे धारा पर बहस तो नहीं कर सकते हैं मगर धाराओं के जो प्रिंसिपिल्स हैं उन पर तो बहस कर सकते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--मेरा मतलब यह है कि जब यह प्रवर समिति में आवेगा उस वक्त अच्छी तरह से बहस हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--आपकी बात को मैं समझता हूं जैसा कि मैंने निवेदन किया प्रिंसिपिल्स की बात पर, जो धारा में प्रिंसिपिल्स इनवाल्व्ड हैं उन पर भी वे बहस कर सकते हैं और कहीं-कहीं अगर जरूरी समझते हैं तो धारा को रेफर भी कर सकते हैं।

श्री सैयद जरग़ाम हैदर--मैं अर्ज कर रहा था कि इस दफा ५ पर गौर करें। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी फेमिली में पार्टीशन हुआ हो अगर किसी फर्म का डिजोल्यूशन हुआ हो या किसी एसोसियेशन में कोई आदमी बढ़ गया हो तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। एक चीज जो मुझे बड़े ताज्जुब की और तकलीफदेह मालूम हुई और अगर इसके लिये कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं तो क्षमा करें कि यह बड़ा ही बारबरस तरीका है कि इस तरह से टैक्सेशन के प्रिंसिपिल्स को रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया जाय। हो सकता है कि ऐवान में पहली बार आने की वजह से या मेरी याददाश्त काम न दे रही हो, या मैंने उसका ठीक से मुताला न किया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का उसूल मैंने कहीं नहीं देखा है और यह डेमोक्रेटिक उसूल के बिलकुल खिलाफ है। अगर आप ५ वर्ष के बाद उसे उस समय से नाफिज कर रहे हैं तो यह बिल्कुल एक गलत सी चीज है। जाहिर है कि सन् ४८ में इस ऐक्ट का इनफोर्समेंट हुआ और हाईकोर्ट का जजमेंट भी सन् ५६ में हुआ, अब अगर इस बीच में दुश्वारियां पेश आयीं, गोया ७ वर्ष के बीच में किसी फेमिली का पार्टीशन हुआ या किसी फर्म का डिजोल्यूशन हुआ या किसी ऐसोसिएशन में कुछ आदमियों की तादाद बढ़ी और फिर आप उन पर अजसरेनव टैक्सेशन का उसूल लागू करें और उनसे वसूल करें यह कहां तक जायज हो सकता है? न मालूम ५ वर्ष पहले के कागजात कब और कहां खत्म हो गये होंगे, उस पार्टी में से न मालूम कौन मर गया होगा, या ऐसोसियेशन में बहुत से लोगों की तादाद बढ़ भी गयी होगी, फिर उनसे टैक्स वसूल करने के लिये उस समय से ऐक्ट को नाफिज करना, मेरी समझ से दुनिया के किसी मुल्क में भी इसको जायज नहीं करार दिया जा सकता। आगे यह भी लिखा है कि अगर किसी फर्म का डिजोल्यूशन हो जाय, किसी फैमिली का पार्टीशन हो जाय तो भी टैक्स के लिये सब की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी। यानी जो फर्म डिजोल्यूशन में हो, या जिस फैमिली में पार्टीशन हो गया हो, तो भी टैक्स किसी एक आदमी से आयन्दा ५,६ वर्ष तक भी उसके एसेट्स से वसूल किया जा सकेगा। अगर एक आदमी से नहीं वसूल हो सके तो दूसरे से या चाहें तो चार आदमियों से भी सेल्स टैक्स वसूल करने का अख्तियार होगा। जो टैक्स कलेक्टर होगा, जो तहसीलदार होगा जिसके जरिये से टैक्स वसूल किया जायगा यानी टैक्स कलेक्टिंग अथारिटी को इस बात का पूरा अख्तियार होगा कि अगर वह एक आदमी से चाहे तो एक आदमी से टैक्स वसूल करले और दूसरे आदमी से टैक्स न वसूल करना चाहे तो न वसूल करे। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह मनमानी बात होगी।

मैं समझता हूं कि यह उसूल बिलकुल गलत है कि ए का टैक्स बी से वसूल किया जाय या बी का टैक्स सी से वसूल किया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह से टैक्स वसूल करने का आपको कोई भी अख्तियार नहीं है। हो सकता है कि बाद में उधर से कहा जाय कि इसके लिये अदालत खुली हुई है कि जिससे टैक्स वसूल किया जाय वह जाब्ता दीवानी के अनुसार कोर्ट में जाकर अपने हिस्से के पक्ष में फैसला करावे जैसा कि अक्सर होता रहता है। लेकिन इस मामले में और उस तरह के मामले में बहुत बड़ा फर्क है। यह किसी तरह से भी जायज नहीं है कि ए का टैक्स बी से वसूल किया जाय। जब यह मसला सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां पर मुख्तलिफ सुझाव मिलेंगे जिसके जरिये आसानी के साथ इन दुश्वारियों

को रफा करने के लिये इस किस्म की बातों को रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये सही उपाय यही है कि प्रपोर्शनेटली टैक्स वसूल किया जाय। इस अन्धाधुन्ध तरीके से टैक्स लगाना मुनासिब न होगा कि अब सन् ५७ में कानून बनाया जा रहा है और सन् ४८ से टैक्स असेस किया जाय। हो सकता है कि सन् ४८ के बहुत से आदमी अब यहां मौजूद भी न हों। मैं जानता हूं कि बहुत सी मुसलमान फैमिलीज माइग्रेट कर चुकी हैं और उन की तमाम जायदाद एवेकुई प्रापर्टी करार दे दी गई होगी और कस्टोडियन के कब्जे में चली गई होगी और हम समझते हैं कि वह आसानी से अटैच भी नहीं की जा सकती। हो सकता है कि कोई मुसलमान फर्म रही हो और उसमें बहुत से हिन्दू पार्टनर भी रहे हों और बाद में वह सन् ४८ में पाकिस्तान चले गये हों और अब सन् ४८ में आप उन पर टैक्स लगाते हैं, उन की तमाम जायदाद कस्टोडियन के कब्जे में चली गई, उस से अब आप रुपया वसूल नहीं कर सकते और उसका नतीजा यह होगा कि सारा मतालबा, जो हिस्सेदार यहां बाकी रह गये हैं उनसे आप वसूल करेंगे। इसके माने यह हुये कि जो आप का मुल्क छोड़ गये, जिन्होंने गद्दारी की उनको तो आप ने उस वक्त और अब एगजेम्पशन सर्टिफिकेट दे दिया और जो यहां रहे उन को अब आप परेशान करेंगे।

मैं कहता हूं कि आप इस चीज को एवायड कीजिये, हुकूमत को पब्लिक ओपीनियन के सामने झुकना चाहिये और किसी किस्म की जैसा कि मैंने कहा सैन्स आफ प्रेसटीज फाल्स में न आना चाहिये और अपने बेशुमार चुनकर भेजने वाले लोगों की आवाज के सामने झुकते हुये उनकी बात को मानना चाहिये। हो सकता है कि आप कहें कि हमारी तादाद ज्यादा है लेकिन इसी के तो माने यह हैं कि जनता ने आप की माफ़क़त में वर्डिक्ट दिया है, और अब यह बात इन तमाम चीजों से वाजे हो गई है कि पब्लिक चाहती है इस मसले पर अजसरेनौ फिर से गौर किया जाय। मैं नहीं कहता कि इस ऐक्ट को एबालिश कर दिया जाय लेकिन पब्लिक ने जो अपनी राय जाहिर की है उससे यह बात नुमायां हो सकती है कि सेल्स टैक्स की नीति में पूरे ओवरहालिंग की जरूरत है और ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इसके स्कोप को भी वाइड किया जाय। इसलिये जो श्री पालीवाल जी का असल प्रस्ताव है जिस का पहला पोर्शन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और दूसरे मैं चाहता हूं कि उसके स्कोप को वाइड किया जाय। कमोबेश दूसरे मेम्बरान ने भी इसी चीज को पेश किया था। आखिर में मैं जनाब पालीवाल जी के प्रस्ताव की हिमायत करते हुये जो संशोधन दूसरी तरफ से पेश किया गया है जिसमें इसके स्कोप को वाइड न करने की सिफारिश की गई है उस की मुखालिफत करता हूं।

राज्य मन्त्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री सैयद जरगाम हैदर---अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से इस वक्त जो मसला मैं आप के सामने पेश करने जा रहा हूं उस का एक कांस्टीट्यूशनल बेसिस है और मैं अपने लिये यह बाइसे फख्र बात समझ रहा हूं कि आज मुझे पहली मर्तबा एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर तकरीर करने का मौका मिल रहा है, और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिल रहा है। ऐवान को मालूम है कि इस वक्त जो मिनिस्टर्स बने हैं उन में से ४ आदमी ऐसे हैं कि जिनके लिये हम कहते हैं कि वे मिनिस्टर नहीं हैं। वह नये ४ मिनिस्टर आफ स्टेट हैं। इंडियन कांस्टीट्यूशन की बिना पर कोई आदमी अगर आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो वह असेम्बली का मेम्बर नहीं रह सकता और अगर उसके बाद वह कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड करेगा तो वह डिसक्वालिफाई हो जायगा और उस की मेम्बरी खत्म हो जायगी। मैं सदर साहब की इजाजत से, जो रिलेवेन्ट आर्टिकिल इंडियन कांस्टीट्यूशन का है, आर्टिकिल १९१, उस को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि

" person shall be disqualified for being chosen, " इससे जाहिर

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

कि वह मेम्बर पहले से एलेक्ट हो चुका है लिहाजा यह पहला पोर्शन जो है वह तो यहां एप्लाई नहीं करता और इसके आगे जो अलफाज हैं कि "and for being a member" इसके माने यह हैं कि .....

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आप आर्टिकिल १९१ अंग्रेजी में पढ़ दें और उसके बाद उस का तर्जुमा कर दें ।

श्री सैयद जरगाम हैदर—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder ;"

बाद की जो चीजें हैं वह इरेलेवेंट हैं। फिर लास्ट पार्ट उसका पढ़ना चाहता हूं :—

"For the purpose of this article, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

अगर हम को किसी किस्म की सैलरी मिलती है और ऐसी सैलरी जिसके बारे में लेजिस्लेचर ने कोई एग्जेम्शन नहीं किया है, सिर्फ दो एग्जेम्शन्स हैं, एक तो यह कि जो मिनिस्टर्स है उसमें जो तनख्वाह मिलती है वह आफिस आफ प्राफिट की तारीफ में नहीं आयेंगे। पर स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को जिनको इस बात का अख्तियार दिया गया है कि वह उन कैटेगरीज को बढ़ा सकते हैं और उसमें नये-नये ऐडीशंस करते हुए कि कौन कौन आफिसेज आफ प्राफिट होंगे जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन .....

श्री अधिष्ठाता—जरा सा आप को मैं इंटरप्ट करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपका मतलब यह है कि जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, दे आर नाट मिनिस्टर्स।

श्री सैयद जरगाम हैदर—The crux of the whole case is that State Ministers are not Ministers. मिसाल के लिये मैं एक चीज अर्ज करूंगा। वह यह है कि गवर्नमेंट ने एक बिल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेजिस्लेटिव कौंसिल में इंट्रोड्यूस किया है। उस बिल में गवर्नमेंट ने खुद उन मिनिस्टर्स को जो मिनिस्टर्स आफ स्टेट हैं उनको मिनिस्टर्स तसलीम नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि कांस्टीट्युशन के सब-क्लाज (२) के मातहत मिनिस्टर होने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आती है तो रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन फार मेम्बर्स ऐक्ट में जो तरमीम ला रहे हैं उसके लाने की कोई जरूरत नहीं थी । अगर मुझे एक लीगल फ्रेजियालोजी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाय तो एडियन एवीडेंस ऐक्ट में स्टेपुल के प्रिंसिपिल के बिना पर आप खुद मिनिस्टर्स आप स्टेट को मिनिस्टर्स की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। अगर आप यह समझते थे कि यह मिनिस्टर्स हैं, अगर आप यह समझते थे कि आफिस आफ प्राफिट होल्ड करने के बावजूद उनको असेम्बली का मेंम्बर रहने का हक है तो इसके लिये अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से मेरी गुजारिश यह है कि आर्टिकिल १९१ में जो डिस्क्वालिफिकेशन हैं, उन्होंने आफिस आफ प्राफिट ऐक्सेप्ट कर लिया है और इसलिये उनकी मेम्बरशिप हमेशा के लिये खत्म हो गयी है। मैं आर्टिकिल १९२ की तरफ भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक क्वैश्चन इस वक्त इस हाउस के सामने रेज किया गया है कि आया जो मिनिस्टर्स आफ स्टेट हैं वे असेम्बली के मेंबर रह गये या नहीं रह गये हैं और उसके कंसले का सिर्फ और तनहा अख्तियार जो है वह हमारे राज्यपाल महोदय को है। इसलिये मेरी

गुजारिश होगी कि इस मामले को हमारे ऐवान की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय राज्यपाल के फैसले के लिये सुपुर्द कर दें और जिस वक्त तक राज्यपाल इस मसले के ऊपर अपना कोई फैसला नहीं देते हैं कि वह लोग इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मेम्बर रह गये हैं या नहीं रह गये हैं उन लोगों को अख्तियार नहीं होना चाहिये कि इस हाउस में आकर इस की प्रोसीडिंग्स में किसी किस्म का हिस्सा ले सकें। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं :—

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (*I*) of Artice 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

अब एक सवाल जब हाउस के सामने पैदा कर दिया गया है कि आया जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वह असेम्बली के मेंबर रह गये हैं या नहीं रह गये हैं तो मेरे ख्याल में किसी को इस मामले का बजुज गवर्नर के जुरिस्डिक्शन नहीं है। और इस मामले को इमीडिएटली ऐवान की तरफ से हम सब की तरफ से अध्यक्ष महोदय को चाहिये कि गवर्नर साहब के सुपुर्द कर दें। मेरी गुजारिश है कि अव्वल तो जो कुछ भी मेरी समझ में आता है वह यह है कि हमारे प्वाइन्ट में काफी फोर्स है। हम समझते हैं कि जो चार मिनिस्टर्स आफ स्टेट हैं उन्होंने डिस्क्वालीफिकेशन इनकर कर ली है, उन्होंने आफिस आफ प्राफिट ऐक्सेप्ट कर लिया है और अब वह किसी तरह से इस ऐवान के मेंबर नहीं रह गये हैं। लेकिन बहरहाल इसका आखिरी फैसला करने का कोई हक हमें हासिल नहीं है, इस ऐवान को नहीं है, हाईकोर्ट को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है बल्कि सिर्फ गवर्नर को यह हक दिया गया है। यह प्वाइन्ट इस वक्त हमने रेज कर दिया है, प्राइमाफेसी प्वाइन्ट हमारा स्ट्रांग है। इस वजह से मेरी अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना है कि इस मसले को गवर्नर साहब के सामने पेश किया जाय और उसके बारे में एलेक्शन कमीशन से एडवाइस करने के बाद जो गवर्नर साहब का फैसला होगा वह हमारे सामने आयेगा। यह कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट है। इसको मैंने आपके सामने रेज कर दिया है और मेरी गुजारिश है कि वह लोग इस वक्त अगर यहां मौजूद हों तो उन लोगों के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि चूंकि वह लोग अब मेंबर नहीं रह गये हैं मिस्टर मुजफ्फर हसन, मिस्टर राममूर्ति, डा० सीताराम और मिस्टर मंगला प्रसाद ये लोग जो अब इस हाउस के मेंबर नहीं रह गये हैं, उनको इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं रह गया है और अगर वह बावजूद इसके इसमें हिस्सा लेते हैं तो ५ सौ रुपया रोज के हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए जितने दिन तक कि वह यहां आते हैं। यह पैनाल्टी उनके ऊपर इम्पोज की जानी चाहिये क्योंकि उनको अब इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का कोई हक नहीं रह गया है।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन के सामने जो प्रश्न उठाया गया है वह तो केवल इस बात पर सीमित है कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट जो हैं वह मिनिस्टर्स हैं या नहीं? वह मिनिस्टर के अन्दर आते हैं या नहीं, सिर्फ इतना ही प्रश्न है और मैं समझता हूं कि जो अभी धारा १९१ पढ़ी गयी है उसमें यह तो नहीं कहीं पर लिखा गया है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वही मिनिस्टर समझा जायगा या यह कि वह जो स्टेट मिनिस्टर होगा वह मिनिस्टर नहीं समझा जायगा। सिर्फ उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह मिनिस्टर का शब्द इस्तेमाल है। यह प्रश्न अभी हमारी पार्लियामेंट में भी उठा था और वहां पर भी बयान दिया गया, अथारिटीज कोट की गईं जिसमें यह दिखलाया गया साफ तौर से कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और यहां तक कि जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वह सब उसमें शामिल हैं। तो ऐसी सूरत में जब कि केवल मिनिस्टर का शब्द इसमें इस्तेमाल है तो कैसे मेरे लायक दोस्त इस बात को कह सकते हैं कि इसमें स्टेट मिनिस्टर इन्क्लूडेड नहीं हैं। कोई भी अथारिटी इसके लिये नहीं कोट की गई कि उसमें स्टेट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

मिनिस्टर इन्क्लूडेड नहीं हैं। एक बात जो कही जाती है वह यह कही जाती है कि गवर्नमेंट एक बिल इस आदरणीय सदन के सामने लायी है जिसमें कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने की बात है और वह इस हद तक बात कह दी गई कि चूंकि ऐसा बिल लाया गया है इस वास्ते गवर्नमेंट अब बाध्य है, अब वह उसके खिलाफ कोई बात कह ही नहीं सकती है। यह चीज बिलकुल गलत है। यह इस आदरणीय सदन का और माननीय अधिष्ठाता महोदय का अधिकार है कि वह इस बात पर गौर कर सकें कि स्टेट मिनिस्टर जो हैं वह मिनिस्टर्स में आते हैं, या नहीं आते हैं, गवर्नमेंट क्या लायी है और क्या नहीं लायी है, उसकी वजह से कुछ इस बात के लिये बंधन नहीं हो जाता कि हम दूसरे विचार नहीं रख सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ऐसा बिल लायी है तो मैं समझता हूं कि रिडंडेंट है। उस बिल के लाने की कोई आंवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह हो सकता है कि आगे चलकर के कोई भी मस्ला कोई भी हक हकूक इसके बाबत आवें तो कभी भी इस मसले पर दो रायें न हो सकें इसलिये मुमकिन है कि वह लायी हो। लेकिन कानूनन वह बिल बिलकुल रिडंडेंट है। उसके लाने की कोई जरूरत नहीं थी और चूंकि शब्द मिनिस्टर का है इसलिये उसमें स्टेट मिनिस्टर भी इन्क्लूडेड है। इसलिये जो एतराज उठाया गया है वह बिलकुल ठीक नहीं है।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, इस वक्त जो सवाल इस सदन के सामने रखा गया है और उस पर जो तकरीर हुई उस तकरीर को सुनकर खुद उन्हीं आर्गुमेंट्स की बिना पर जो यहां इस वक्त पेश किये गये हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह रेजोल्यूशन जो इस वक्त इस सदन के सामने रखा गया है मानने के काबिल नहीं है।

एक बात बिलकुल सही और करेक्ट है जो कांस्टीट्यूशन के हवाले से दी गई आर्टिकिल १९२ में, जिसमें यह लिखा है कि जब कभी यह सवाल उठे कि किसी मेंबर ने, जो लेजिस्लेचर में इलेक्ट हो कर आया है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन एंटर किया हो तो वह केस गवर्नर को रेफर किया जायगा और गवर्नर यह फैसला करेगा कि आया उस मेंबर ने उस डिस्क्वालिफिकेशन में एंटर किया है या नहीं। यह आर्टिकिल जो पढ़ कर सुनाया गया १९२, उसके अल्फाजों को जरा सुन लें"

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (*1*) of Articlale 191, the question shall be referred for the decision of the Governor."

लेकिन यहां इस रिजोल्यूशन में, जिनके निस्बत यह कहा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन में उन्होंने एंटर किया है, उनके मुताल्लिक यह है कि कब्ल इसके कि गवर्नर का फैसला हो गवर्नर फैसला करेगा किस बात का, इस बात का करेगा, इन अल्फाज के एतबार से जो कि इस आर्टिकिल में आये हैं फिलवाक्य कोई डिस्क्वालिफिकेशन एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे दोस्त जिन्होंने यह रिजोल्यूशन मूव किया है वह हमसे यह फरमाते हैं कि तुम आज इस बात को मान लो कि डिस्क्वालिफिकेशन एंटर हो गया है लिहाजा यहां से निकल जाओ। अब उनकी किस्मत से या बदकिस्मती से गवर्नर को जो फैसला होगा तब देखा जायगा लेकिन अब ये यहां नहीं बैठ सकते। अब मैं हुजूर वाला की समझ के ऊपर और इस सदन के इधर के और उधर के जो मेम्बरान हैं उनकी अक्ल पर जो खुदा से इंसान को मिलती है उसके ऊपर छोड़ता हूं अपनी गुजारिश के बाद।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---तो आप यह कह दें कि मामला गवर्नर को रेफर कर दिया जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---तकरीर मैं आपके मजबूर करने से थोड़े ही करूंगा। मैं तो तकरीर अपनी खुशी से करूंगा और मैं तो जो रिजोल्यूशन है उसका जवाब देने के

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लिये खड़ा हुआ हूं। यह वाजिब नहीं है कि आप मुझे सबक पढ़ायें। जहां तक इस रिजोल्यूशन की हकीकत है उसकी निस्बत जहां तक मुझसे हो सकता था उसको मैंने अर्ज कर दिया। लिहाजा इस रिजोल्यूशन को पहले पास करिये। करो तो, हो नहीं सकता। जिसका इसमें जिक्र किया गया है और इन साहबान को यहां से किसी बिना पर खारिज कर नहीं सकते, यह तो मुमकिन है नहीं और मेरे नजदीक इस रिजोल्यूशन को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिये महज मुझे, जो आर्टिकिल्स यहां पेश किये गये हैं, जिनका हवाला दिया गया है, उनकी निस्बत अर्ज करना पड़ता है कि उनसे जो पोजीशन एस्टेब्लिश होती है वह यह होती है कि किसी मेम्बर का मिनिस्टर बन जाना ही डिस्क्वालिफिकेशन पैदा नहीं करता। जो पोजीशन कायम होती है वह इस आर्टिकिल में लिखी हुई है। आर्टिकिल १९१ का सब क्लाज २ इस तरह है—

"For purposes of this Article a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

अब उसमें डिस्टिंक्शन निकाला गया और मैं अपने दोस्त की तकरीर से समझा कि इसमें लफ्ज "मिनिस्टर" है और जो लफ्ज "मिनिस्टर आफ स्टेट" कहलाये वह 'मिनिस्टर" नहीं है। तभी तो माना जायगा कि इसके अन्दर वह नहीं आता। अगर वर्ड "मिनिस्टर" के अन्दर जो इस आर्टिकल में है "मिनिस्टर आफ स्टेट" इनक्लूड हो जाय, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं होना चाहिये। तो अब सवाल सिर्फ इतना बनता है कि आया लफ्ज "मिनिस्टर" जो है इसके अन्दर "मिनिस्टर आफ स्टेट" शामिल होता है या नहीं? मेरे नजदीक इसमें न किसी कांस्टीट्यूशन के देखने की, न किसी कानून के समझने की जरूरत है। यह एक कामनसेंस की बात है, जो मैं अभी हाउस के सामने अर्ज किये देता हूं और हाउस उसको सुनकर के खुद अपनी जगह पर फैसला कर लेगा कि वाकई जो बात मैं अर्ज करता हूं वह अपनी जगह ठीक है या नहीं।

यह तो आप तस्लीम करेंगे कि दुनिया में मिनिस्टर्स कई किस्म के होते हैं। अगर यह हो दुनिया में कि मिनिस्टर कई किस्म के होते हैं तो हों, और मेरे यहां ही ऐसा नहीं है, हिन्दुस्तान के लिए भी आप गलत समझिए, लेकिन अगर मिनिस्टर अंग्रेजी का लफ्ज है वहां अंग्रेजों के यहां भी और और कई जगह मिनिस्टर कई किस्म के होते हों—वहां कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हों, वहां कैबिनेट रैंक के भी मिनिस्टर होते हों, वहां मिनिस्टर आफ स्टेट भी होते हों, वहां डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, इन सब के आगे "मिनिस्टर" लगा हुआ है और एक जीनीज में शामिल हैं, तो सब एक ही स्पीशीज के हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन एक चीज के अन्दर शामिल हैं जो "मिनिस्टर" है।

हमारे कांस्टीट्यूशन में जो लफ्ज "मिनिस्टर" इस्तेमाल होता है उसमें जहां कि "कौंसिल्ल आफ मिनिस्टर्स" बनाना बयान किया गया है वहां लफ्ज "मिनिस्टर" का है और अब उस लफ्ज "मिनिस्टर" के सेंस में "कैबिनेट मिनिस्टर" खुद बखुद शामिल है, जो कैबिनेट रैंक का है वह भी शामिल है, जो मिनिस्टर आफ स्टेट है वह खुद बखुद शामिल है और डिप्टी मिनिस्टर खुद शामिल है। ये मुख्तलिफ किस्म के मिनिस्टर्स बन कर के फार्म कर देते हैं कि एक कौंसिल आफ मिनिस्टर्स, जैसा कि कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है।

तो वह तो एक जाहरी खयाल की बात है क्योंकि दुनिया में एक चीज, जिसका नाम कुछ हो, मुख्तलिफ किस्म की पायी जाती है और उस मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफ और वैरिएशंस होने की वजह से उनको थोड़े बहुत मुख्तलिफ नाम दिये जाते हैं, तो जो जनरल केटेगरी है, जिस जीनीज में वह सब शामिल हैं, वह उसी का हिस्सा है, चाहे वह किसी के नाम से पुकारे जाते हों। तो यह "मिनिस्टर" का लफ्ज उनके ऊपर

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इतलाक़ होता है जिन साहबान के नाम यहां पर लिये गये हैं और उनको उनके फरायज़ के सिलसिले में जो तनख्वाह मिलेगी वह उनके लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं करेगी।

दूसरी बात यह कि इसके ऊपर एक बिल पेश हो चुका है। इस सिलसिले में एक सवाल के ऊपर मैं तवज्जह दिलाऊंगा, उसको मैं निकाल नहीं सका हूं। इस मसले के ऊपर हमारी पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बहस हुई और वहां उन्होंने इस बात को कहा है कि--मैं मेमोरी से रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, इस थोड़े से अर्से में उसको निकाल नहीं सका हूं---उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारी डेफिनिट ओपीनियन है कि यहां मिनिस्टर्स दो किस्म के बनते हैं, उनसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं होती है। अब यह बहस पैदा हुई डिस्क्वालिफिकेशन बिल पेश करने के ऊपर जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है, तब तो आप साफ तौर से समझ जायंगे कि जहां पर यह बना, जहां कि पहले यह बात शुरू हुई, वहां की राय यह है और इस कांस्टीटचूशन के जो वेरियस क्लासेज हैं, आर्टिकिल्स हैं, उनको पढ़ने से यह मालूम होता है कि जो कुछ मैंने इस वक्त अर्ज किया है। और अक्ल यह बात बतलाती है और गालिबन यह बात सही होगी और आखिर में यह बात हो गई कि अगर कोई सवाल उठेगा तो गवर्नर को रेफर होगा और वह उस पर रूलिंग देंगे यानी उनका फैसला होगा तो यहां यह सवाल पैदा नहीं होता है? अगर कोई सवाल को उठाता है तो उठाये और जो इसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको गवर्नर को रेफर करे। मैं अगर कोई एजेन्सी हूं और कानून ने इसको प्रोवाइड किया हो तो मैं उसको इस्तेमाल करूं। वैसे मैं क्यों अपने आप सवाल को उठाऊं। इस कानून के होते हुए मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूं। एक बात उन्होंने यह फरमाई कि फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने का बिल क्यों लाते हैं? वह बिल आया या नहीं, मैं नहीं जानता।

एक सदस्य---जी हां, आ गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं समझता हूं कि उसी से कुछ गलतफहमी शायद पैदा हो गई है।

श्री त्रिलोकीसिंह--- चीफ मिनिस्टर साहब ने गलतफहमी पैदा की है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गलतफहमी कोई पैदा नहीं करता है बल्कि उस आदमी का दिमाग पैदा करता है।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या चीफ मिनिस्टर साहब के दिमाग़ नहीं है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं समझता हूं कि हर आदमी का दिमाग़ सही है तावक्ते कि किसी तरीके से उसके दिमाग के सही होने के बारे में शुबहात पैदा हों। मेरा खयाल तो यह है कि वह दिमाग से पैदा होने वाली बात है कि वह दुनिया के जाहिरा ऐक्शन्स में मौजूद है या नहीं? मैं इसका फैसला नहीं कर सकता हूं और मैं आपको इस खयाल से हटा भी नहीं सकता हूं। मैं आपकी या किसी की बात क्या समझूं? मैं तो इस वक्त यह कह रहा हूं कि जो इस वक्त लीगल पोजीशन है उसमें किसी तरह से वह चीज इस्टेब्लिश नहीं होती है जो आप फरमा रहे हैं? यह जो फरमाया गया कि फिर इस डिस्क्वालिफिकेशन बिल को क्यों लाया गया? इसके लिये कहा यह गया कि किसी साहब को गलतफहमी हुई और यह सवाल वहां भी उठा इसी किस्म का, तो उन्होंने कहा कि अहतियातन यह मुनासित होगा कि उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन बिल पेश कर दिया जाय। यह तो मेरी पढ़ी हुई है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, आप उसको सुन नहीं रहे हैं। अगर आप उसे सुनेंगे तो मेरी बात माननी पड़ेगी, इसीलिये आप इसको सुनना

नहीं चाहते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस हाउस में मैं ही इसको लाया हूं और मैंने ही इसको पास कराया है, इससे मैं इन्कार कैसे कर सकूंगा। मैं तो यह बतला रहा हूं कि यह कैसे आया है। यह मामला किसी अदालत में नहीं गया। लिहाजा सेफ कोर्स यह होगा कि इसको रिमूव कर दिया जाय।

श्री सैयद जरगाम हैदर--जब कोई चीज ऐक्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वह रिमूव कैसे होगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--महज आपके दिमाग से गलतफहमी दूर करना है।

श्री अधिष्ठाता--"नो कन्वरसेशन ऐक्रास दी फलोर आफ दी हाउस (No conversation across the floor of the house)। हाफिज जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने तो अर्ज कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं जो श्री सैयद जरगाम हैदर ने आपके पास प्रस्ताव भेजा है उस पर एक अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैंने यह प्रस्ताव तो नामंजूर कर दिया है, लेकिन चूंकि वैधानिक प्रश्न था उसके लिये आपको टाइम दे दिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो मैं यह मोशन करना चाहता हूं कि आर्टिकल १९२ के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न राज्यपाल महोदय के पास उनके फाइनल डेसीजन के लिये भेज दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--मैं यह जानना चाहता हूं कि नियमावली के किस नियम के अनुसार यह प्रस्ताव आप पेश करना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं विधान के अनुसार पेश कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--तो विधान की बात कहिये। विधान की बात को मैं रोकता नहीं हूं। एक वैधानिक प्रश्न हैदर साहब ने उठाया है अभी तो प्रश्न यह है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--फिर भी इस सिलसिले में आपकी आज्ञा से मैं विधान का अनुच्छेद १९२ पढ़ देता हूं:--

"If any question arises as to whether a member of the House of the Legislature has become Subjeet to any of the disqualifications mentioned in Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न उठ चुका है। वित्त मंत्री जी ने बिल पेश करके सवाल उठा दिया है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न, १९२ धारा के अनुसार जब कि इसमें "शैल" शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अवश्य भेजा जायगा, वहां भेजा जाय।

श्रीमन, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे वित्त मंत्री जी ने दलील दी कि "कौंसिल आफ मिनिस्टर्स" में 'मिनिस्टर आफ स्टेट' और डिप्टी मिनिस्टर' भी आते हैं। मैं पहली बात जो माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह यह है कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है इस समय तक जिससे हमको यह मालूम हो सके कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में कौन कौन हैं और कौन कौन नहीं हैं? मेरी जानकारी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। क्या कौंसिल आफ मिनिस्टर्स और केबिनेट एक ही चीज है या ये अलग-अलग चीजें हैं? तो पहले तो इसका नोटिफिकेशन ठीक से निकलना चाहिये कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में कौन-कौन हैं और कौन-कौन नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में कोई महानुभाव शामिल हैं और उनको एक मिनिस्टर के नाते शपथ दिला दी गयी है जैसा कि कहा और सुना जाता है तो फिर उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन रेमूवल बिल लाने की क्या आवश्यकता थी। केवल मिनिस्टर के सम्बन्ध में तो स्पष्ट विधान में लिखा हुआ है १९१ (२) में कि—

"For purposes of this Article, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Shedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

तो यह तो हिन्दुस्तान के विधान में लिखा हुआ है कि अगर वह मिनिस्टर हैं और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की परिभाषा में आते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन विधान में ही हटा दी गयी है। मैं इस बिल के आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स को पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—वह बिल हमारे सामने तो नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि बांट दिया गया है....

श्री अधिष्ठाता—मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि जो चीज हाउस के सामने नहीं है उसको आप रेफर करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे यह बतलाया गया है कि एक बिल जिस पर कौंसिल में वाद विवाद हो चुका है उसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में है—

"It has been considered that the office of a Minister of State should likewise be declared not to disqualify the holder thereof for being chosen as, and for being, member of the U. P. State Legislature."

तो उसमें बिल्कुल "शुड" शब्द का भी प्रयोग है और "फार बीइंग मेम्बर" का भी प्रयोग है। तो जब गवर्नमेंट स्वयं यह मानती है कि "कौंसिल आफ मिनिस्टर्स" में "मिनिस्टर" शब्द शामिल है तो अभी कौंसिल में इस प्रकार का विधेयक न पेश किया गया होता और उसकी आवश्यकता नहीं होती। माननीय वित्त मंत्री जी ने इंग्लैण्ड का जिक्र किया। वहां की जो प्रथा है उसके सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान एक पुस्तक की ओर जिसका नाम "कैबिनेट गवर्नमेंट बाई आइवर जिनिंग" है, दिलाता हूं। उसके पेज ३३ पर कौंसिल आफ मिनिस्टर और केबिनेट का फर्क बतलाया गया है।

इसमें लिखा हुआ है कि—

"It is, however, the rule that Cabinet ministers should be sworn of the Council, so as to apply, to them the Privy Councillors' oath."

तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में जो फर्क है उसकी गुत्थी थोड़ी बहुत इस उद्धरण ने हल कर दी है। वैसे तो इंगलैण्ड में पोस्ट मास्टर जनरल आफिस आफ प्राफिट के डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं और हाउस आफ कामन्स की जो पद्धति है उसने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में जो फर्क है उसको हल कर दिया है लेकिन हमारे यहां मिनिस्टर्स आफ स्टेट की कोई परिभाषा नहीं है। क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी कैबिनेट में आते हैं? क्या डिप्टी मिनिस्टर भी कैबिनेट के मेम्बर माने

जा सकते हैं और यों तो हम सब को मिनिस्टर आफ स्टेट कह लीजिये, क्योंकि हम सब यहां पर ओथ लेकर आये हैं लेकिन हमारे यहां जो लिखित और अलिखित परम्परा है वह यही है कि कैबिनेट ही कौसिल आफ मिनिस्टर्स में हैं और मिनिस्टर आफ स्टेट कैबिनेट के मेम्बर नहीं हैं। इसलिये हम उनको कौसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं मान सकते और इसी लिये चीफ मिनिटर साहब ने प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल विधान परिषद् में और यहां भी रखा है।

चौथी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में जो ब्रिटिश पद्धति है वह क्या है वह स्पष्टतः मिलती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह गलतफहमी दूर करने के लिये लाया गया है। सरकार को हमारी गलतफहमी दूर करने की बड़ी फिक्र है। हमारी गलतफहमियों को, किन-किन को दूर करने का वे प्रयत्न करेंगे। सरकार अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिये यह बिल लाई है, अपनी, मुल्क और विधान की गलतफहमी को दूर करने के लिये यह बिल लाई है और इसीलिये मैं इंग्लैण्ड में जो पद्धति है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है :—

"Some junior ministers, such as the Junior Lords of the Treasury, who received no salary, had to vacate their seats on appointment because their case had not been expressly provided for."

यानी कुछ जूनियर मिनिस्टर्स जिनकी नयी नियुक्ति की गई, वे आनरेरी मिनिस्टर्स थे जिनको तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको अपनी सीटें खाली करनी पड़ीं इसलिये कि उनके लिये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं था। यही सिचुयेशन यहां भी है। मिनिस्टर्स आफ स्टेट के लिये हमारे यहां जो इस लेजिस्लेचर का ला है उसमें भी मिनिस्टर्स आफ स्टेट के लिये प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसलिये ११ जुलाई से वे डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं और तब तक डिस्क्वालिफाई रहते हैं जब तक गवर्नर साहब फैसला नहीं दे देते। इसी को सस्पेंडेड कहा जाता है। नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार या तो आप पहले से ऐक्ट पास कर लेते और उसके बाद में मिनिस्टर्स आफ स्टेट को ऐप्वाइंट करते। आपने उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो रिमूव किया नहीं और नियुक्ति कर दी और अब रिमूवल आफ डिक्वालिफिकेशन का बिल ला रहे हैं। ये सारी बातें हैं। इससे स्पष्टतः सरकार की प्रणाली का दोष सिद्ध होता है। इसीलिये मैं विनीत निवेदन करता हूं कि अगर अधिष्ठाता महोदय, आप और कुछ न करें तो संविधान की मर्यादाओं को देखते हुये उसकी उच्चता की रक्षा करने के लिये इस प्रश्न को अवश्य महामहिम राज्यपाल के पास भेज दें और हमारे इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकृत करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने आदमी भेजा है। मैंने प्रोसीडिंग्ज आफ पार्लियामेंट का हवाला दिया था। सुना तो जवाब में यह कि कोई अपोजीशन के मेम्बर साहब उसको ले आये हैं मगर मैंने फिर उसको मंगवाया है। मैं चाहता हूं कि . . . .

श्री अधिष्ठाता—वह मेरे पास है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आप उसको हाउस को पढ़ कर सुना दें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय हैदर साहब ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है और उन्होंने विधान के अनुसार १९१ और १९२ की तरफ उसके सिलसिले में मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मुझे तो ताज्जुब यह मालूम हुआ कि उन्होंने यहां तक कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में गवर्नर फाइनल अथारिटी है और इस सदन को कोई अथारिटी नहीं है कि इस पर वह अपना कोई फैसला करे। जब माननीय हैदर साहब इस बात को समझते हैं कि सदन को कोई अधिकार इस बात का फैसला करने का नहीं है कि स्टेट मिनिस्टर

[श्री अधिष्ठाता]

जो हों वह डिक्वालिफाइड हों या क्वालिफाइड हों इस सदन में बैठने के लिये, तो इस प्वाइन्ट को उन्हें उठाना नहीं चाहिये था।

जहां तक यह सवाल है कि मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, मैं उनका ध्यान संविधान के आर्टिकिल १६३ व १६४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। दो आर्टिकिल हैं, १६३ और १६४ और मैं उनको पढ़ देना चाहता हूं।

"163. (I) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under the Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion."

इसके बाद आर्टिकिल १६४ की तरफ मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं, खासकर उपधारा (२) और (३) की तरफ :—

"164. (2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.

(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule".

इसके अलावा मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री हर्बर्ट मारिसन की एक किताब की तरफ दिलाना चाहता हूं जो लेटेस्ट बुक है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में। उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इस डिस्कशन को किया है कि "डिप्टी मिनिस्टर्स", "मिनिटर्स" में इन्क्लूडेड है या नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के हैं, स्टेट मिनिस्टर की रैंक के हैं, आदि। उन्होंने अन्त में कहा है कि :—

"to put the matter shortly, Ministers incharge of Departments but not members of the Cabinet have substantially the same rights and responsibilities as Cabinet Ministers, apart from the fact that they are outside the Cabinet."

इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारा ध्यान रूलिंग की तरफ दिलाया जो कि कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली में जब इस पर डिस्कशन हुआ था और वहां जब इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था तो दी गई थी। इसी तरह का एक सवाल बम्बई की लेजिस्लेटिव असेम्बली में भी उठाया गया था और सभी जगह यह निर्णय हुआ कि "डिप्टी मिनिस्टर्स", "स्टेट मिनिस्टर्स", "मिनिस्टर्स" की कैटेगरी में आते हैं।

एक सदस्य—आपने जो अंग्रेजी में पढ़ा है उसका अनुवाद हिन्दी में कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—यह सवाल यहां १८ जनवरी, १९५६ को उठा था। अपनी प्रोसीडिंग्स में भी अध्यक्ष महोदय ने उसको कोट किया था इस वास्ते मैं उसको पढ़ देता हूं :

"मैं यह बात सदन के सामने रख देता हूं कि संविधान बनाते वक्त यह प्रश्न कांस्टीटचूयेन्ट असेम्बली के सामने आया था और श्री के० टी० शाह ने यह अमेंडमेंट भी मूव किया था जिस में डिप्टी मिनिस्टर्स शब्द स्पष्टत: विधान की धाराओं में आ जाय। इस पर उस समय जो जवाब मिला था वह यह था कि जो संशोधन है उसे इसलिये स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर जो हैं वह इन्क्लड होते हैं मिनिस्टर

शब्द में।" जो कम्युनिक गवर्नर महोदय के यहां से इश्यु हुआ है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि--

"The Governor of Uttar Pradesh has been pleased to appoint with effect from the forenoon of April 10, 1957, Dr. Sampurnanand, M. L. A. to be the Chief Minister and the following persons to be the other Ministers."

दूसरे मिनिस्टर भी नियुक्त हुए हैं जो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में शामिल हैं। उसी तरह से मिनिस्टर आफ स्टेट भी उसमें शामिल होते हैं। इससे बढ़ कर अब और कोई चीज साफ नहीं हो सकती। इसमें कोई शुबहा की बात नहीं है। "मिनिस्टर आफ स्टेट" भी "मिनिस्टर" शब्द में सम्मिलित हो जाते हैं। इन तमाम बातों पर विचार करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह मिनिस्टर आफ स्टेट के बारे में माननीय सदस्य ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है वह सही नहीं है और ये चारों मिनिस्टर आफ स्टेट तनख्वाह मिलने की वजह से डिस्क्वालिफाइ नहीं होते हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, वैधानिक प्रश्न खत्म होने के बाद अब बिक्री-कर पर जो बहस हो रही थी उस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक दो प्रश्न सदन के सामने आये हैं। एक प्रश्न यह है कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय। दूसरा प्रश्न यह है कि इसका स्कोप वाइड किया जाय। इसमें एक प्रश्न तो वित्त मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया मालूम होता है कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय। परन्तु दूसरे प्रश्न पर वित्त मंत्री महोदय को आपत्ति प्रतीत होती है। बात सिर्फ यह है कि पहली अप्रैल, सन १९५६ से जो अधिनियम लागू हुआ है इस अधिनियम के मातहत हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य में क्या परिस्थिति गुजरी है और पहली अप्रैल, सन् १९५६ से लागू हुए अधिनियम से किस प्रकार हमारे राज्य में एक ताउन सा फैला है। यह पहली अप्रैल, ५६ से जो अधिनियम लागू किया गया है वह एक प्लेग की बीमारी की तरह से शुरू हो गया है जो दूकानदारों के लिये एक मौत का जरिया बन गया है। छोटे-छोटे दूकानदारों की अगर हम दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर दें तो आप तिलमिला उठेंगे। जो लोग २५, २५ और ३०, ३० रुपया मुरादाबाद के किश्तियों से कर्जा लेकर अपनी दूकानदारी चलाते थे और सड़क के किनारे अपना खोंचा लगाते थे उनके सिर पर अप्रैल, सन ५६ से यह अधिनियम मुसीबत बन कर फूट पड़ा। उनको अपने खोंचे छोड़ कर बाजारों में भाग जाना पड़ा। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ५, ५ रुपये किराया देने वाले दूकानदारों पर भी इस एक अप्रैल, ५६ के अधिनियम ने वज्रपात कर दिया। दुकानों को सभी दुकानदार बन्द करके ताला डाल कर गायब हो गये। मालूम यह पड़ता था कि शायद इन दुकानों पर कोई दुकानदार बैठता ही नहीं था। जब दूकानों के मालिकों ने उन दूकानों का ताला खोला तो उस ताले के अन्दर सिर्फ ५० रु० की बिक्री का सामान निकला। ऐसी परिस्थिति में जब आपके सामने यह संशोधन पेश हुआ और उस संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा गया कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और इसको स्कोप वाइड किया जाय तो आप इससे मुंह मोड़ते हैं इसलिये इसमें कुछ दाल में काला मालूम होता है। साफ बात तो यह है कि आज आप यह कहते हैं कि जो शरबत घोलकर हम भोली भाली जनता को पिलाने जा रहे हैं उसे छानने में छानना तो चाहते हैं, प्रवर समिति के सुपुर्द करना तो चाहते हैं, मगर छानना इतना छोटा रखना चाहते हैं कि लोटे के मुंह पर भी न समा सके। आप पहली अप्रैल, १९५६ से लागू किया हुआ अधिनियम वहां नहीं भेजना चाहते हैं। क्या आपत्ति है इसमें कि ऐसा अधिनियम जिसने सारे राज्य में आहि-आहि मचा दी है उसे आप प्रवर समिति में न भेजें। इसके लिये लोग जेलों में

[श्री शिवप्रसाद नागर]

गये, आपने १४४ लगाई और डंडे चलाने पड़े, पुलिस के द्वारा भी बड़े-बड़े अत्याचार हुए और लोगों के घर व दुकानें उजाड़ दी गईं और उन लोगों के जो कि ठेलों में सौदा लेकर सड़क पर फेरी करके सौदा बेचते थे उनके ठेलों के पहिये तक बिक गये, तो इसे प्रवर समिति में भेजने में क्या आपत्ति है ? इस कर से छोटे-छ टे दुकानदारों पर सारे राज्य में भीषण आपत्ति आई। इसे प्रवर समिति में भेजने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। बापू ने दो नारे बताये थे कि जमींदारी और सरमायेदारी का नाश हो और किसान मजदूर जिन्दाबाद हो। लेकिन आज ये नारे लगाने वाले लोगों को इस कानून द्वारा कुचला जाता है। इसमें जो संशोधन अब सरकार लाई है उनके मुताबिक बड़े-बड़े दूकानदारों, मिल मालिकों और पूंजीपतियों को राहत मिलेगी। यह बिल उन्हीं को राहत देता है। उनको आपने हर जगह बचाने की कोशिश की है। नये पैसे और पुराने पैसे के भेद को लिया जाय तो बड़े-बड़े दूकानदारों को हलवासिया जैसों को १ पाई की उल्टी बचत होती है। बड़े-बड़े शुगर मिलों और कपड़े के मिलों के समान और पुर्जों पर बिक्री-कर लागू नहीं है। हम देखते हैं कि एक ५० रुपये के चपरासी की चौथाई तनख्वाह इस कर में चली जाती है। इसलिये हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं और आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिक्री कर अधिनियम में जो संशोधन श्री पालीवाल जी के और अपोजीशन के आये हैं उनके मातहत इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और इसका स्कोप वाइड भी किया जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, हमारे साथी ने जो इस पर संशोधन दिया है, खासकर पालीवाल जी ने, मैं तो इसके बारे में ऐसा समझता हूं कि यह बिक्रीकर नहीं बल्कि जिन्दगी-कर लगाया जा रहा है। एक साल हो गया इसके ऊपर कहते कहते। कानपुर में कई दिन तक इसके ऊपर हड़ताल रही। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि महीनों हड़ताल चलेगी तो भी कुछ न होगा। आखिरकार यह चीज क्या है ? हम सदन में आये हैं। वह इसलिये आये हैं कि यहां जनता को कुछ फायदा पहुंचायेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिन्दगी की जरूरी चीजों पर, हमारे गल्ले पर, हमारे घी पर, नमक पर, तेल पर, इन चीजों पर जब टैक्स लगता है तब यह चीज जाहिर होती है कि कल्याणकारी राज्य नहीं है। गांधी जी कहते थे कि जरूरी चीजों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये, लेकिन इन्हीं चीजों पर हम टैक्स लगा रहे हैं। नमक पर टैक्स लगाया और ९ महीने भी नहीं हो पाये कि तीन संशोधन आये। इन तीन संशोधनों के आने का मतलब यह है कि सरकार ने अपनी गलती को महसूस किया। लेकिन आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर बिक्री-कर बिल्कुल ही हटा लिया जाय तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। केवल ३–४ करोड़ रुपये की वजह से तमाम छोटे-छोटे व्यापारियों को तंग करना कहां की बुद्धिमानी है। आज मूंगफली के ऊपर टैक्स है। लेकिन मूंगफली के तेल के ऊपर टैक्स नहीं है ? क्यों नहीं है ? क्योंकि उससे डालडा बनता है, क्योंकि वह इस सूबे का बहुत बड़ा पूंजीपति है। करोड़ों रुपये का फायदा इससे उसको होता है। डालडा घी पर यहां नहीं बाहर भी ऐक्सपेरीमेंट्स हुए हैं और जिन जिन देशों में ऐक्सपेरीमेंट्स हुए हैं यह मालूम हुआ है कि चूहे की छठी नस्ल डालडा के खाने से अंधी हो जाती है। इतनी खतरनाक चीज पैदा करने वाले तेल पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन आपने टैक्स लगाया है मूंगफली पर, गेहूं पर। किसान जब गेहूं लाता है तो वह यह आशा करता है कि उसके माल का उसे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले लेकिन दूकानदार इस बात की कोशिश करता है कि वह सस्ते से सस्ता उसको ले ले।

छोटे-छोटे दूकानदार जब पूंजीपतियों से गल्ला लेते हैं तो ढाई सेर रुपये का मुश्किल से मिलता है और वे दो सेर सात छटांक बेचने की कोशिश करते हैं। आप अब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोचिये कि इस में क्या मार्जिन आफ प्राफिट रहता है। कम से कम इस सूबे के अन्दर २५ लाख की आबादी ऐसी है कि जिस पर इसका असर पड़ता है। सीधे लोगों की जिन्दगी पर इसका असर पड़ रहा है। जब इस देश में अंग्रेज थे तो कभी भी इस प्रकार का सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। वह चाहते तो एक एक चीज पर टैक्स लगा सकते थे लेकिन वे गरीबों की खाल के अन्दर हड्डियों से पैसा वसूल नहीं करना चाहते थे परन्तु आज आप गरीबों की खाल तो क्या उसकी हड्डी और मांस के अन्दर जो खून है उसको भी चूसने के लिये तैयार हैं। श्री धर्मसिंह जी ने कहा कि छोटे से छोटे इन्सान को भी हिन्दुस्तान के बनाने के लिये कुछ न कुछ पैसा देना चाहिये। अगर इसी तरह से हमने ३-४ करोड़ रुपया जोड़ लिया तो क्या इसी से हिन्दोस्तान की बनावट होगी? अंग्रेजी जमाने को देखिये, जब तक अंग्रेज रहा उसने अपने १०० साल के राज्य के अन्दर एक मील रोज रेल बनायी और उन अंग्रेजों की कांट्रक्शन स्कीम्स इस, आज कल की सरकार से अधिक थी। कोई साहब कहें कि अंग्रेज तो विदेशी थे। लेकिन उन्होंने हिन्दोस्तान में सड़कें, नहरें, पुल, डाकखाने, टेलीग्राम और रेल की पटरी बिछाई, इस हिसाब से वे अच्छे थे और इस सरकार से आगे थे। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि वे हिन्दोस्तान के लिये वफादार थे या नहीं। उनकी नीति हो सकती थी कि उससे उनकी फौज चलती थी और हिन्दोस्तान से कपास लेने के लिये उसने नहरें बनायी हों, लेकिन उसने चाहे जिस कारण से किया हो, उसने इस सरकार से ज्यादा काम किया। परन्तु आज यह सरकार कहती है कि हम हिन्दोस्तान का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम इसका मुकाबला करते हैं तो पाते हैं कि यह माननीय कांग्रेस सरकार ६ रोज के अन्दर एक मील रेलवे लाइन की पटरी डालती है। इस लिए मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के निर्माण के नाम पर यह सरकार लूट कर रही है। अगर यह सरकार गरीब आदमियों को लूट कर आज उन की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही है तो, श्रीमन् उस से हिन्दुस्तान का कहां तक फायदा होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मिनिस्टर लोग इस बात को बहुत कहते हैं कि हिन्दुस्तान के कल्याणकारी राज्य के अन्दर, सूबे के अन्दर, नहरें बनानी हैं, सड़कें बनानी हैं, डाकखाने बनाने हैं, इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी हमको पैसा दे। कहां से पैसा दे, आखिर टैक्सेशन की भी कोई थ्योरी होती है। हिन्दू फिलासफी में मनु ऋषि ने कहा है कि हमारा टैक्स वैसा होना चाहिए जैसे गर्मी के दिनों में भेड़ की खाल से ऊन लेकर उसे जनता के काम में लाया जाता है, उसी तरह से फालतू पैसा जनता का लेकर जनता के काम में लगाया जाय। लेकिन आज कांग्रेस सरकार कहती है कि भेड़ की खाल से ऊन नहीं बल्कि भेड़ की खाल को ही खींच लिया जाय, यानी जो गरीब हैं उनकी खाल को खींच कर भी वह उनसे टैक्स वसूल करना चाहती है। तो इस सेल्स टैक्स से क्या फायदा होगा? ९ महीने के अन्दर ही तीन दफा अमेंडमेंट आ चुका है। यह पहली अप्रैल, १९५६ को लागू हुआ था, यही कारण है कि अब तक इस पर तीन अमेंडमेंट आ चुके। अच्छा तो यही होगा कि सरकार इस को वापस ले ले क्योंकि इसकी शुरूआत ही पहली अप्रैल से हुई जो कि ठीक नहीं समझा जाता है। वाकई में इस सेल्स टैक्स से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं मिलने वाला है।

एक तरफ तो कहा जाता है कि आखिर पैसा कहां से आवे, श्रीमन् मैं कहता हूं कि अकेले एक कानपुर शहर को ही ले लिया जाय। कानपुर शहर में ही इतनी मिलें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया जाय तो कम से कम १८ करोड़ रुपये सालाना की आमदनी हो सकती है। हिन्दुस्तान, की बात आप छोड़ दें, मैं तो कहता हूं कि इजिप्ट को ही ले लीजिये, जिसने हिम्मत के साथ स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हिन्दुस्तान में भी अगर मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, तो उन से तीन सौ-चार सौ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। १८ करोड़ रुपये की बचत तो अकेले एक कानपुर शहर से ही हो सकती है। लेकिन आप तो उनसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं जो एक-एक पैसे के लिए डेढ़-डेढ़ पैसे के लिए सड़क की पटरियों पर बैठते हैं और जो मुश्किल से ५०, ६० रुपये का गल्ला बेच पाते हैं। आप की

[श्री बलवानसिंह]

नीयत का यह हाल है कि अगर कोई डेढ़ रुपया कमाता है तो आप चाहते हैं कि वह १२ आने उस में से आप को टैक्स के रूप में दे दे। फिर उसकी गुजर आठ आने, दस आने में कैसे हो सकती है ?

कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि वे भी सोशलिज्म को मानते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की भी गुंजाइश है। मैं कहता हूं कि आखिर यह किस तरह का समाजवाद है। चीन और रूस की भी मिसालें दी गयीं। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन ऐसा देश है जहां गल्ले के ऊपर भी टैक्स पड़ता हो ? अंग्रेज जाति जो कि बड़ी धूर्त थी, उसने भी हिन्दुस्तान को खूब लूटा, लेकिन उसने भी कभी गल्ले पर टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं की। अगर हिन्दुस्तान का निर्माण करना है, सूबे का निर्माण करना है तो निर्माण के माने यह नहीं हैं कि नमक, तेल, गल्ले और कपड़े के ऊपर भी टैक्स हो। सूबे का निर्माण अगर करना है तो ऐसे मनुष्य, जो इस सूबे के अन्दर एक-एक लाख रुपये की बचत करते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए। यह चीज टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में भी दी हुई है। अगर आप कहें तो उसे मैं पेश कर सकता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन के यहां झूठे वाउचर तैयार कराये जाते हैं और इस तरह से करोड़ों रुपये की छूट उनको मिल जाती है। फिर ७ करोड़ जनता से टैक्स लेना कहां तक उचित हो सकता है ? श्रीमन्, कानपुर शहर का ही मैं एक उदाहरण देता हूं जिस के लिए कहा जाता है कि वह हमारे देश में बहुत तरक्की पर है। अंग्रेजी जमाने में दो हजार रिक्शे चलाने वाले कानपुर शहर में रिक्शे चलाया करते थे। अब आज उनकी तादाद १२ हजार हो गयी है। खूब तरक्की हुई है। यह जो रिक्शेवाला आज सड़क पर आता है वह ५-६ साल के भीतर ही टी० बी० का मरीज हो जाता है। वह जो कुछ पसीना बहाकर मजदूरी पाता है और पेट के लिए जब गल्ला लेने जाता है तो उन सात आठ आने में से भी टैक्स देता है और जो अफसर २,००० रुपया वेतन पाता है वह जब गल्ला लेने जाता है, तो वह भी गल्ले का उतना ही टैक्स देता है। फिर और गौर से देखा जाय तो जो ८-१० आने वाला मजदूर है वह अनाज ज्यादा खाता है और वह २,००० रुपया पाने वाले लोग कम अनाज खाते हैं। सेर, आध सेर वह खा पाते होंगे लेकिन जो लोग मजदूर हैं और सुबह से शाम तक हाथ पैर से मेहनत करते हैं वह ज्यादा अनाज खाते हैं और उनके मुकाबले में मालदार लोग अनाज कम खाते हैं। और इस तरह से यह टैक्स उन गरीबों को ज्यादा देना पड़ता है और मालदारों को कम। जिन की जिन्दगी अनाज पर निर्भर है उन को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उनके पास हजारों मन अनाज की खपत है। इसलिए इस सेल्स टैक्स के हम खिलाफ हैं।

इस के अलावा सरकार ने जो टैक्स का यह दायरा बांधा है कि अगर कोई व्यापारी १२ हजार रुपया साल तक की बिक्री करेगा, तो वह १८ रुपया देगा और अगर वह १२,००१ की बिक्री करेगा, तो उसे १५० रुपये देने पड़ेंगे। और अगर वह २५ हजार की बिक्री करता है तो भी उस को १५० रुपये ही देने होंगे। कितनी होशियार और अक्लमन्द सरकार है यह। यह दरें जिन्होंने बनायी हैं उनको मैं दाद देता हूं।

सरकार ने एक और ऊंचा काम किया कि उसने १८ चीजों पर एक्जेम्पशन दिया और वह ऐसे अनाजों पर दिया कि जिन के नाम आप ने और बहुतों ने कभी न सुने होंगे। तमाशा यह है कि उनमें से अधिकतर नाज इन्सान के खाने में नहीं आते, वे चिड़ियों के खाने में आते हैं और इस पर उनका कहना है कि हम ने फूडग्रेन्स पर भी एक्जेम्पशन दिया है। मैं कहता हूं कि गेहूं खास चीज थी वह क्यों नहीं छोड़ा? गेहूं पर नहीं छोड़ा तो बेकार है। मैं यह भी आप से कहूं कि एक साहब ने धमकी दी कि बहुत से लोग सेल्स टैक्स के खिलाफ हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि विरोधी दल वाले ऐसे नहीं हैं। हम जानते हैं कि कोई सरकार भी बनेगी टैक्सेशन तो होगा, लेकिन १०० रुपये तक की आय वाले पर आज के भावों में क्या टैक्स लगे? जिसके पास खाने को नहीं है, वह क्या टैक्स सरकार को दे सकता है ? इस बुनियादी सवाल को सरकार को समझना होगा।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, ठीक है। मैं तो इस के बिलकुल खिलाफ हूं कि इस तरह का सेल्स टैक्स के मुताल्लिक कोई कानून आये और उस पर सोचा भी जाय, क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को चलाया गया और उनके द्वारा टैक्सेशन करने पर भी उन का फायदा नहीं हो पा रहा है। मैंने जो-जो चीजें कहीं थीं, उन को ट्विस्ट किया गया। मैंने कहा था कि जमींदारी विनाश किया गया और उस के लिए १८० करोड़ रुपये की मांग की गयी थी, लेकिन मुश्किल से ४० करोड़ रुपया वसूल हो पाया। मंत्री जी ने कह दिया कि वह नहीं मानते कि जमींदारी अबालिशन हुआ। आज सरकार तीन-तीन बार संशोधन लाती है और बार-बार अपनी गलती महसूस करती है। आज इस सरकार में जो सब से बड़ी कमी है कि, वह जो चीज करती है उस के बारे में सोचती नहीं कि क्या गलत है और क्या ठीक है? एक बार गौर कर लिया करे और फिर उस पर मुस्तकिल रहे। मैं ने सरकार के सामने एक बात रखी थी कि आज हालत यह है कि हमारा किसान सोचने तक नहीं पाता कि उसका कब्जा उसकी जमीन पर २ साल के बाद रहेगा या नहीं? इस तरह से ६-६ मास के बाद कानून बदलते रहते हैं। इसलिए ज्यादा समय न लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि इस सेल्स टैक्स से कोई फायदा नहीं है। यह जनता के ऊपर, गरीबों के ऊपर और लाखों मनुष्यों के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि जो जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं, वह भी मयस्सर नहीं होंगी। घी को ही ले लीजिये। श्रीमन्, घी के ऊपर टैक्स है। अगर घी अच्छा होगा, और वह बेचना चाहता है तो उसके ऊपर टैक्स लग जायगा। तो वह कहेगा कि मिलावट कर दो। यानी सरकार चाहती है कि कोई शुद्ध चीज बेचने न पाये।

मैं ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स व्यर्थ है, इसको हटा दिया जाय। इसके ऊपर अमेंडमेंट का कोई सवाल नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि ६ आने सैकड़ा का सवाल है। आखिर यह टैक्स बढ़ा और अभी इस होशियार सरकार ने यह जो एक रुपये में १०० पैसे करने की योजना निकाली है इससे गरीब किसान और मजदूर कुछ सोच ही नहीं पाता। वह लोग निकाल नहीं पाते कि दस नये पैसे के कितने पुराने पैसे हुए। सरकार होशियार है, क्योंकि दो-दो, चार-चार महीने में यह सरकार ऐसी चीजें निकालती रहती है। मैं ज्यादा न कह कर माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा और खास तौर से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जनता का हित सोचे। वह सोशलिज्म का नाम लेते हैं। उसकी वह परिभाषा न दें, लेकिन कम से कम कल्याणकारी राज्य तो कोई चीज होती है। अगर कल को सरकार हट जायगी, तब वह सोचेंगे कि कितनी जबरदस्त गलती हमने की थी। ऐसा वक्त न आये कि आगे १९६२-६३ में उनको अपनी जबरदस्त भूलें महसूस हों। उम्मीद है कि सरकार वक्त आने से पहले सोचेगी कि ऐसी गलती हम दोबारा न करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि अब केवल इस बात पर इस वक्त मुबाहसा हो रहा है कि यह विधेयक अगर प्रवर समिति को भेजा जाय तो उसमें कुछ और बातों का भी विचार कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि इस बात को सरकार स्वीकार कर ले कि सेलेक्ट कमेटी इस बिल के बाहर की बातों को भी देखे। मैं इस लिए ऐसा कह रहा हूं कि जो संशोधन सरकार की तरफ से आये हैं वह असल में जो मुल्क में प्रतिक्रिया है इस विक्री-कर के सिलसिले में, उसको रिप्रेजेन्ट नहीं करते हैं। मैं उम्मीद यही करता था कि इस आम चुनाव में जो माननीय मन्त्री लोगों को घूमना पड़ा होगा सारे देश में और जो प्रतिक्रिया मिली होगी उन्हें देश की, उसके अनुरूप संशोधन आयेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें उन्होंने अनुभव की हैं बाहर, उसकी यहां इस वक्त अनुभूति नहीं दिखायी देती। तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी संशोधन आये हुए हैं उन से काम नहीं चलेगा और खास तौर से इस बात पर जोर देना और सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार के विचार में हमारे देश में क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

रह गया है जिस को यह हक है कि सरकार के टैक्सों से अपने को बरी समझे । कोई व्यक्ति, कोई शख्स या कोई जमात इसका हक रखती है कि वह सरकार के टैक्सेशन से बरी रहे ? मैं खास तौर से वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भीख मांगने वालों से वह कोई टैक्स लेना चाहते हैं या नहीं ? जो लोग अपनी इज्जत को भी बेच करके अपना पेट पालते हैं, बदकिस्मती से इस विधान सभा में इसकी भी मुझे चर्चा करने की जरूरत पड़ी, मैं इसको अपना बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं जिस वक्त इस बात की भी चर्चा करने की मैं आवश्यकता समझूं, क्या उन लोगों को भी इस टैक्स से बरी रखने का कोई प्राविजन इस अमेंडमेंट में है ? अगर एक आदमी सड़क पर बैठ कर दिन भर भीख मांगता है, क्योंकि वह कोढ़ी है और उसके लिए कोई बंदिश समाज ने नहीं कर रक्खी है, उसका कोई कसूर तो है नहीं, कोढ़ी है वह, वह बैठा हुआ सड़क पर भीख मांगता है और दिन भर और रात तक उसे चार आने या दो आने मिल सके । उन चार आनों को लेकर किसी अनाज की दूकान पर अपनी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए जाता है, तो क्या सरकार ने देश भर में ऐसी दूकानें खोल रक्खी हैं जिन पर ऐसे लोग अनाज खरीद सकें और ऐसे लोगों के लिए, जहां तक मैं जानता हूं, सरकार ने कोई बन्दिश नहीं लगा रक्खी है । मुमकिन है सरकार के ध्यान में अब तक वह बात न आयी हो लेकिन मुझे जहां तक याद है इसकी चर्चा कुछ और भी हुई है और सरकार को--आखिर सारे देश की सरकार है --इस बात की जानकारी आज भी नहीं है कि भीख मांगने वाले हमारे देश में कितने हैं । लेकिन यह बात तथ्य है, असलियत है कि, भीख मांगने वाले हमारे देश में हैं । अपनी इज्जत को भी बेच कर लोग रोजी कमाने वाले हैं । अगर हैं तो कम से कम मैं समझता हूं कि सरकार को उनसे कोई टैक्स लेने का अधिकार नहीं है । टैक्स के सिद्धान्त की बात जब मैं कहता हूं और खासतौर से बोलने की प्रेरणा हुई मुझे तब जब माननीय धर्म सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि हम अपने देश में ये टैक्स तो इसलिए लगाये हुए हैं, हर छोटे से छोटे आदमी से भी कुछ लेना चाहते हैं, जिससे मुल्क की प्लानिंग में कुछ योग मिले । कम से कम अब धर्म सिंह जी को यह जरूर कहना चाहिए धर्म के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर कि कम से कम उन्हें बख्श दीजिये, उनसे आपको कुछ लेने का अधिकार नहीं है जिनको आप कुछ देते नहीं हैं । आप भी इसे मानियेगा, अगर नहीं मानियेगा तो अख्तियार हमारा क्या है ? लेकिन इतना जरूर समझ लीजिये कि आपको कोई अख्तियार नहीं है उन लोगों से लेने का जिनको कि हम कुछ देते नहीं । टैक्स हम उन्हीं से लेते हैं जिन को हम कुछ देते हैं । क्या हम उन्हें अमन देते हैं, हम उन्हें शान्ति भी देते हैं ? क्या है उनके पास ? दिन भर भीख मांगते हैं, रात को ठिठुर कर अपनी रात सड़क पर काटते हैं, लेकिन ठंड में ठिठुर कर, भीख मांग कर ४ पैसे इकट्ठा करके दूकान पर अनाज लेने जायं तो उनको बिक्री कर जरूर देना पड़ेगा । सरकार बिक्री-कर अगर छोड़ भी दे तो कपड़े पर जो एक्साइज डयूटी लगी हुई है वह उनको जरूर देनी होगी । ऐसी हालत में आप उनको किसी हालत में कर से बरी नहीं कर कर रहे हैं । मेरी यह प्रार्थना सरकार से है कि मुमकिन है सेलेक्ट कमेटी में इस तरह का सुझाव माननीय सदस्यों का आये । जो आप एक्जेम्प्शन करते हैं उस एक्जेम्प्शन में हम कुछ बढ़ें । हम ऐसा कानून बनायें जिस कानून में इस प्रकार के लोगों पर टैक्स न पड़े । तो यह विधेयक क्यों नहीं सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है ? मैं कहूंगा कि आप इस पर विचार करें और मैं तो इस राय का हूं कि अनाज पर, कपड़े पर, जिसके बिना आदमी जिन्दा नहीं कर सकता और कुछ और चीजें हैं उन पर कतई किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए ।

मैंने कई बार आग्रहपूर्वक पूछा आपको कि कितने रुपये की आमदनी इससे होगी । मुझ पर मेहरबानी करके धर्मसिंह जी ने बताया कि भाई, अनाज पर तो २ करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है । ऐसा ही कुछ कहा गया था । ठीक याद मुझको अगर है तो कुछ और दूसरी चीजों से भी आमदनी होने वाली है । साढ़े ९ करोड़ की कमी थी, पिछले बजट में । उसको पूरा करने के लिए यह बिक्री-कर लागू किया गया था । अब उस साढ़े नौ करोड़ रुपये में से

कितना रुपया आ रहा है ? कल बड़ा उलहना था कि अपोजीशन की तरफ से सुझाव नही दिया जाता है कि आमदनी किस तरह बढ़े । मैं आमदनी का जरिया बताना चाहता हूं क्योंकि वाकई आप बड़े-बड़े काम कर रहे हैं । उस बड़े काम के लिए चाहे उसमें फिजूल खर्ची भी हो, लेकिन उसके लिए भी जरूरत है, वह रुपया आपके हाथ में आना चाहिए ।

मैं आपको बताऊं कि आखिर जो सेण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्कम टैक्स की वसूली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी क्या स्टेट गवर्नमेंट इस बात को बताने के लिए तैयार है कि इस वक्त कितने करोड़ रुपये इन्कम टैक्स के बकाया हैं अपने सूबे के ऊपर । मुझे डेढ़ वर्ष पहले की जानकारी है, पन्द्रह करोड़ रुपये जिस वक्त कि उस दफ्तर का उद्घाटन हुआ था, इन्कम टैक्स आफिस का, उस वक्त इन्कम टैक्स कमिश्नर ने बताया था कि १५ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के ऊपर बकाया हैं और उस में से ९ करोड़ रुपया अकेले कानपुर के ऊपर बकाया है, जिसकी चर्चा मैंने उस वक्त की थी । मैं जानता हूं कि यह वसूली १५ करोड़ रुपये की क्यों नहीं हुई । उसमें ऐसे लोग भी हैं अधिष्ठाता महोदय, कि जिनके जिम्मे पन्द्रह करोड़ में से बकाया है और उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वह कर्जा देती है' और थोड़ा नहीं देती है कर्जा, पचास लाख, पच्चीस लाख, तीस लाख, इस तरह की रकम कर्जा देती है । अब संकोच करने से तो काम चलेगा नहीं । मैंने कई मर्तबे यह पूछा इस हाउस में, कि साढ़े तीन करोड़ रुपये जो कर्जा पिछले वर्ष दिया गया था मार्च के पहिले, उन साढ़े तीन करोड़ कर्जा पाने वालों के ऊपर कुछ इन्कम टैक्स का बकाया तो नहीं है ? सरकार जरा बतावे तो इस बात को । लेकिन सरकार आज तक न बता सकी और आज भी सरकार को उसमें शर्म आयेगी । नहीं बतायेगी सरकार, क्योंकि है बकाया उनके ऊपर । इवेड कर रहे हैं टैक्स को । नहीं दे रहे हैं तो क्या वह रकम वसूल की गयी होती तो उससे कुछ काम चलता कि नहीं चलता ? एक तरफ मैं सरकार का ध्यान और दिलाऊं । एक बड़े भारी विशेषज्ञ यू० पी० में आये हुए थे, कोलदार साहब । गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने उनको भेजा फाइनेंशयल एक्सपर्ट के रूप में कि जाकर सारे देश में देख करके यह बताओ हमको कि जो यह पांच अरब रुपये की कमी पड़ती है फाइव इयर प्लान में वह कहां से लायी जा सकती है । क्या सीलिंग मुकर्रर कर दें लोगों के ऊपर और उससे रुपया निकालें । कोलदार साहब ने एक रिपोर्ट दी । उन्होंने कहा कि कत्तई सीलिंग मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है । साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये हर साल इवेड होते हैं । साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये जो इवेड होते हैं अगर केवल उसको वसूल कर लिया जाय---मैं भूल करता हूं, साढ़े पांच सौ करोड़ नहीं, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये जो प्रति वर्ष इवेड होते हैं अगर वह बच जायं तो साढ़े सोलह सौ करोड़ केवल अगली पंच वर्षीय योजना के भीतर आ सकते हैं, । १६ अरब रुपये । पांच अरब रुपये की कमी है । अब मैं अपने वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मन्त्री जी ने कभी कोलदार साहब की रिपोर्ट को मुलाहिजा फर्माने की कोशिश की या नहीं की ? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हम से पूछा जा रहा है कि कोलदार साहब कौन हैं और यह रिपोर्ट कौन है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किसने पूछा ?

श्री गेंदासिंह—आपके चेहरे से मुझे ऐसा ही मालूम हुआ और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी उन्होंने की और अब मैं यह समझ गया कि कोलदार साहब की रिपोर्ट को उन्होंने मुलाहिजा फर्माया है । तो अब वह मेहरबानी करके यह बतायें अपने आखिरी जवाब में कि । कोलदार साहब की रिपोर्ट में कुछ उत्तर प्रदेश की चर्चा है या नहीं है ? ये टैक्स इवेडर लोग उत्तर प्रदेश में हैं कि नहीं ? मुझे जानकारी है कि थोड़े लोग नहीं हैं, दर्जनों हैं और उन्हीं दर्जनों लोगों पर करोड़ों रुपया है और जरा सा अगर वित्त मन्त्री जी आंखें तिरछी करें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह मजाल नहीं है इनकी कि रुपया इस तरह से हजम करते रहें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से रुपया निकाला जा सकता है । आप भीख मांगने वालों से, कोढ़ियों से, भूख मरने वालों से जो एक-एक पैसे, दो-दो पैसे करके इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इससे प्लान पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि

[श्री गेंदासिंह]

सब से पैसा लेते हैं, मैं यह कहता हूं कि हमारे पास भी उस कोढ़ियों वाले पैसे में से कुछ पैसा आता है। जो कोढ़ियों वाला पैसा आता है उससे मेरी तन्दुरुस्ती कुछ खराब होती चली जा रही है, जिस दिन से वह पैसा आने लगा। मैं कुछ और मोटा हुआ होता, यह मैं हाफिज जी से कहता हूं, क्योंकि बाहर से तो कुछ खाना ठीक-ठाक मिलता है, लेकिन भिखारियों के पैसे से जो मुझे मिलता है, उससे मैं दुबला होता चला जा रहा हूं और मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि जो कुछ इस अनाज वाले पैसे में से, इस कपड़े के टैक्स में से हम लोगों को मिलता है, उससे सिवाय भट्ट जी के और सब की तन्दुरुस्ती बिगड़ेगी। उधर भी पूछ लीजिये, सब की तन्दुरुस्ती बिगड़ेगी।

एक सदस्य—राजनारायण जी की तो खराब होने की नहीं।

श्री गेंदासिंह—मैं जानता हूं कि राजनारायण जी का भी वजन कम हुआ है, पालीवाल जी का भी कम हुआ है और अगर ठीक-ठीक तोलने का काम हमको सुपुर्द कर दिया गया होता और अगर दो वर्ष पहले सम्पूर्णानन्द जी को तोला गया होता, तो मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त वह भी कम हुए हैं—मैं जरूर कम हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं। लोग कहते हैं कि मैं हाथ क्यों जोड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद हमारे हाथ जोड़ने से ही मान जायं। तो मान जाइए, कोढ़ियों से मत लीजिए, हमारे हाथ जोड़ने से भीख मांगने वालों से टैक्स मत लीजिए। इस टैक्स को इन लोगों से लेने का हम अख्तियार नहीं दे सकते और अगर देते हैं तो, हमारा अगर सचमुच कहीं परलोक होगा तो, वह बिगड़ जायगा, लोक तो हमारा बिगड़ ही रहा है।

इसलिए मैं इतनी ही बात कह करके समाप्त करूंगा कि इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय और सरकार को सोचने का मौका मिले, प्रवर समिति को भी सोचने का मौका हो और अगर कहीं यह फैसला हो गया कि ऐसे लोगों से टैक्स न लिया जाय तो हम लोगों को भी यह सोचने का मौका मिलेगा कि इस रुपये के बजाय दूसरी तरह का रुपया किस तरह से खजाने में आ सकता है। एक हमारे भाई ने बताया कि यह तो दिल्ली की चीज है, लेकिन जो यहां की हमारे लखनऊ की है, उसको तो कर डालें, अगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां बैठ करके दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन पहला काम यह है कि जिनसे उस टैक्स को लेने का कोई हक नहीं है, उनको इससे बरी कर दें और ऐसी चीजों पर से जिनके बिना आदमी भूख से मर जाता है अनाज है, कपड़ा है, जो और जरूरी चीजें हैं उन पर से कतई टैक्स हटाने का विचार करें और अगर ऐसा विचार करेंगे तो हम समझते हैं कि इस पैसे की कमी को भी पूरा करने की कोशिश की जायगी। जितनी सरकार इस पैसे से ताकत लेती है, उतनी ही उसकी ताकत घटती चली जाती है। इससे सरकार का भी भला होगा और सारे देश का भी भला होगा।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, जो तकरीरें कि बिल के सम्बन्ध में इस सदन में हुईं, उनमें से कुछ बातें ऐसी थीं, जिनको जहां तक मैं समझ सका, वह बाज साहबान ने टांन्ट के तौर पर गवर्नमेंट को कहीं। मैं उनका कोई जवाब देना नहीं चाहता हूं और मैं यह मुनासिब भी नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई बातें इस सदन के जो वाद-विवाद होते हैं उनके अन्दर आये, इसलिये कि वह इस सदन की शान और इसकी डिगन्निटी के बिलकुल खिलाफ हैं। और कुछ बातें सेल्स टैक्स के मुताल्लिक कही गयीं। मैं भी इसी प्रदेश का रहने वाला एक आदमी हूं और यहां के गांव के रहने वालों, शहर के रहने वालों और यहां की बाजारों में तिजारतें करने वालों से मैं भी गलिबन इतना ही सम्बन्ध और ताल्लुक रखता हूं जितना कि कोई और मेम्बर इस हाउस के रखते हों। जो स्थिति, जो हालत इस सेल्स टैक्स की बिना पर आपके सूबे में पैदा हुई है, उसके लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इसका मुहताज नहीं हूं कि मुझे जब कोई बतलायेगा तभी मुझे उसका इल्म होगा, बल्कि मैं उससे अपने आपको अच्छी तरह से वाकिफ समझता हूं। जो सेक्शन्स के निस्बत बातें कही गईं, वह ऐसी बातें थीं जिनके निस्बत, इसलिये जवाब देना नहीं चाहता हूं कि खास-खास जो क्लाजेज हैं, उनके बाबत में आज गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे दूं और यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाय और उन पर वहां मुबाहिसा हो तो मेरी तरफ से सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान भी, जो इसके मेम्बर होंगे, उनको जवाब मिल चुका होगा। लिहाजा मैं उन बातों का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूं। जो बातें इस बिल के सेक्शन्स के मुताल्लिक कही गई हैं, मैं उनको रिजर्व करता हूं किसी अगले मौके के लिये, और जब मौका पैदा होगा, उस समय जरूर अर्ज करूंगा।

मगर एक बात मैंने एक मोअज्जिज मेम्बर साहब से सुनी, जो उधर से बोल रहे थे, और अभी जो अपने एक मोअज्जि भाई बोल रहे थे, उनसे भी सुनी। उनके कहने पर तो मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन अभी जो तकरीर खत्म हुई उसको सुनकर मुझे जरूर ताज्जुब हुआ। इसलिये कि इस सदन में मेरे ख्याल में पिछले सदन के बहुत से मेम्बरान भी मौजूद हैं, जो पहले भी मेम्बर थे, और मुझको याद दिलाने का मौका है कि जो कुछ मैं इस वक्त अर्ज करता हूं, उसको मेम्बरान इधर के और उधर के सोचें कि, आया मैंने सही कहा या नहीं। उस ऐवान में मैं बहुत पहले अर्ज कर चुका हूं या नहीं। कोई मिल मालिक हो या कोई करोड़पति हो या कोई आदमी इस प्रदेश में ऐसा हो कि जिनसे रुपया स्टेट के खर्च के वास्ते और स्टेट के विकास के लिये वसूल किया जा सकता है और हम उनको हाथ नहीं लगाते हैं तो पहले जब इसका तजकिरा किया गया तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था और मुझे मौका उस वक्त से हुआ जब से मुझे फाइनेंस की खिदमत इस प्रदेश में सुपुर्द हुई, कि मैं इस काम के वास्ते तैयार होऊं, और मैंने दावत दी इस बात की कि, मेरे पास हिसाब लेकर बैठें। इस उत्तर प्रदेश की दौलत का भी हिसाब मौजूद है और कितनी दौलत फैली हुई है, इसका भी हिसाब मौजूद है। कितनी पैदा हो रही है और कितनी तकसीम हो रही है, किन-किन हाथों में जा रही है, किन-किन क्लासेज में बंट रही है, और किसके पास कितनी है, इसका हिसाब रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस हिसाब को देख कर अगर यह नतीजा निकले कि स्टेट के विकास के लिए जिस कदर रुपये की जरूरत है वह उनसे वसूल किया जा सकता है तो मैं अख्तियार तो कांस्टीटचूशनली नहीं रखता हूं कि मैं उनके ऊपर कुछ लगा दूं, लेकिन कोशिश करने के वास्ते जरूर तैयार हूं कि वह रुपया उनसे लेकर खर्च कर दिया जाय। मैं तो अपने नजदीक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर आप उनसे सब कुछ ले लें और वह विकास के ऊपर खर्च किया जाय तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। मुमकिन है कि गलत कहता हूं तो मेरी इस गलती को साबित कर दो। यहां खड़े होकर कुछ मैं कह दूं और वहां खड़े होकर कोई साहब कुछ कह दें तो उससे कुछ काम नहीं बनता है। काम तो करने से बनता है। हम और आप सभी चाहते हैं कि इस सूबे की तरक्की हो, इसकी बेहतरी के काम हों। तो उन बेहतरी के कामों के लिये जो जराये अख्तियार किये जा सकते हों वे अख्तियार किये जायं। मैं फिर दावत देता हूं इस पूरी महफ़िल के सामने कि इस हाउस के अन्दर जिन साहब को भी इस किस्म के मालूमात हैं और वह कोई जरिया हमको ऐसा बतला सकते हैं कि हम इस सूबे की तरक्की के वास्ते इस तरीके से रुपया हासिल कर सकते हैं तो मैं उनकी इस कोशिश का खैर मकदम करूंगा और मैं यह नहीं चाहता हूं कि वे मेरे घर में आकर बतलायें बल्कि मुझे हुक्म दें कि तुम फलां जगह हाजिर हो, मैं तुम्हें ऐसे जराये बतलाऊंगा तो मैं उस हुक्म की तामील करने के लिये हाजिर हो जाऊंगा।

श्री गेंदासिंह--आप तो बुलाते ही नहीं हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो पूरे हाउस के सामने दावत देता हूं और जो इसमें नये मेम्बरान हैं उनको भी गवाही में पेश करता हूं कि मेरी दावत को तो आप ठुकराते हैं। फिर मुझमें क्या हिम्मत हो सकती है इस बात की कि उनकी खिदमत में यह इजाजत हासिल करूं कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---दावत किस बात की हो रही है, इसको तो हाफिज साहब साफ कर दें ?

श्री अधिष्ठाता---आप बड़ी देर में आये हैं, आप नहीं समझ पायेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो आदमी पीछे रह जाते हैं उनको कभी हिस्सा मिलता नहीं है। अपनी-अपनी किस्मत है यह तो।

खैर, मैं जो अर्ज कर रहा था वह यह था कि जहाँ तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है, आप सेल्स टैक्स के उस मामले को जो इस बिल से कवर्ड नहीं है, उसके लिये चन्द साहबान या आपकी बनायी हुई कोई कमेटी मुझसे मिल करके उसमें जो काम करना चाहे तो मैं अपना पूरा कोआपरेशन देने, अपनी पूरी खिदमत पेश करने के लिये हाजिर हूं और उनको सलाह लेने, उनके मश्विरे को सुनने को और उनसे बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंच करके उस पर अमल करने के वास्ते भी तैयार हूं। मैंने तो किसी बाहरी आदमी को भी मना नहीं किया और इस सदन के मेम्बरों का तो, जैसा मैंने अर्ज किया, बड़ा कीमती मश्विरा है और उससे फायदा न उठाना यह मेरे लिये बदकिस्मती होगी। मैं समझता हूं कि मैं और कुछ न कहूं इसलिये कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में आ रहा है तो उसके बाद, जब आयेगा तो देखा जायगा।

श्री अधिष्ठाता---अब मैं माननीय लहरी जी के संशोधन को आपके सामने उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन में से शब्द "प्रवर समिति को १ अप्रैल, १९५६ के बाद किये गये सभी बिक्री-कर संशोधनों पर पुनः विचार करके उनमें समुचित संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहे।" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन के लिये मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री राजनारायण---श्रीमन, मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आपने डिवीजन मांगा और वह मंजूर किया गया, अब स्पष्टीकरण का सवाल नहीं उठता।

श्री राजनारायण---अब आप इजाजत नहीं देते तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता---इसमें इजाजत की बात ही नहीं है।

(घंटी बन्द होने के पश्चात् प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१९०,

विपक्ष में---६८।)

श्री अधिष्ठाता---अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १९५७ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५७ तक दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब माननीय पालीवाल जी कृपया उन सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर दें जिनको वे प्रवर समिति में रखना चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति के लिए निम्नलिखित सदस्य चुने जायं :--

श्री नारायणदत्त तिवारी	श्री मलखानसिंह
श्री रामनारायण त्रिपाठी	श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
श्री सैयद जरगाम हैदर	श्री शिवशरणलाल
श्री पब्बरराम	श्री जगदीशशरण अग्रवाल
श्री भूप किशोर	श्री सोहनलाल धुसिया
श्री वीरेन्द्रशाह	श्री इर्तजा हुसैन
श्री गयाबख्शसिंह	श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी
श्री गंगाप्रसाद	श्री मदनमोहन
श्री शिवमूर्तिसिंह	श्री केशव पांडेय
श्री लक्ष्मीनारायण बंसल	श्री धर्मसिंह

वित्त मंत्री समिति के पदेन सदस्य होंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि निम्नलिखित सदस्य प्रवर समिति के लिए चुने जायं --

श्री नारायणदत्त तिवारी	श्री मलखानसिंह
श्री रामनारायण त्रिपाठी	श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
श्री सैयद जरगाम हैदर	श्री शिवशरणलाल
श्री पब्बरराम	श्री जगदीशशरण अग्रवाल
श्री भूपकिशोर	श्री सोहनलाल धुसिया
श्री वीरेन्द्रशाह	श्री इर्तजा हुसैन
श्री गयाबख्शसिंह	श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी
श्री गंगाप्रसाद	श्री मदनमोहन
श्री शिवमूर्तिसिंह	श्री केशव पांडेय
श्री लक्ष्मीनारायण बंसल	श्री धर्मसिंह

वित्त मंत्री समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---मैं नियम १०० के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री को सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करता हूं।

सदन का आगामी कार्य-क्रम

श्री अधिष्ठाता---अब मैं २७ तारीख का प्रोग्राम माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं। २७ अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, १९५७, पुरःस्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल

[श्री अधिष्ठाता]

सदस्य है अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय न्याय मंत्री प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखेंगे।

२७, २९ और ३० का कार्यक्रम इस प्रकार है और साथ ही मई ४, ६, ७, ८ तथा ९ का इस प्रकार से है :—

माननीय माल मंत्री उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७, तथा माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का, वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, १९५७ तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता, निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा माननीय न्याय मंत्री प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा माननीय आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ तथा माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

माननीय स्वशासन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे तथा माननीय माल मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।

अब हम उठते हैं और २७ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर १५ मिनट पर २७ अप्रैल, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१८ अप्रैल, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६१ पर)

उत्तर प्रदेश सेल्फ आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ को संशोधत करने का

यू० पी० ऐक्ट १, १९३९।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित किया जाय;

यू० पी० ऐक्ट १, १९३९।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट नं० १, १९३९ की धारा २ का संशोधन।

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ की (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में, खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और इसे १ अप्रैल, १९४८ ई० से रखा गया समझा जाय—

"(*a*) 'motor spirit' means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) *with a flash point of or below* 145⁰ *F* which is ordinarily used for providing reasonable efficient motive power for any form of motorvehicle or for internal combustion engines."

यू० पी० ऐक्ट १, १९३९ की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में, शब्द "not exceeding two annas per gallon" निकाल दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ़ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९, मोटर स्प्रिट की फुटकर बिक्री पर कर लगाने के विचार से बनाया गया था। इस ऐक्ट के अधीन १८ वर्ष के कार्य अनुभव से यह प्रकट होता है कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत "मोटर स्प्रिट" की परिभाषा अत्यन्त व्याप्त है तथा इसके अन्तर्गत "डिज़ेल आयल" भी आ जाता है यद्यपि "डिज़ेल आयल" के लाइसेंस प्राप्त फुटकर व्यापारियों के न होने के कारण इस पर कोई कर नहीं वसूल किया जा सका। साथ ही साथ, संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन "डिज़ेल आयल" पर जब तक कि वह "मोटर स्प्रिट" की परिभाषा के अन्तर्गत है, कर नहीं लगाया जा सकता। प्रस्तावित विधेयक से यह विरोध (contradictions) दूर हो जायगा। कर लगाने के अधिकार को विस्तीर्ण बनाने के अभिप्राय से, ऐक्ट की धारा ३ में भी संशोधन किया जा रहा है। इस समय यह धारा अत्यन्त संकीर्ण है। तदनुसार विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है।

सीताराम,
आबकारी मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६१ पर)

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६।

कुछ प्रयोजनों के निमित उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६।

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र का आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (११) में शब्द "परन्तु उसे न दी गयी हो, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, देय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर उसे न तो दी गयी हों और न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो तथा इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६ की धारा १० का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १० में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१—क) के रूप में रख दिया जाय :—

"(१—क) बोर्ड सतत अनुक्रम वाली एक निगमित संस्था होगी। जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने इस नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध उसी नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५६ पर राष्ट्रपति की सहमति संदिष्ट करते हुए भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि श्रम-कल्याण बोर्ड को, जिसके द्वारा निधि प्रशासित होगी, एक निगमित संस्था होना चाहिए तथा एक ऐसी अवधि निश्चित कर देनी चाहिये जिसके पश्चात् भुगतान न की गयी मजदूरियां एकत्रित धनराशि (accumulations) के रूप में परिणत हो जायंगी तथा बोर्ड के नाम जमा कर दी जायंगी। ये सुझाव लाभदायक हैं और एक संशोधन अधिनियम द्वारा उनको समाविष्ट करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरः स्थापित किया जा रहा है।

जुगल किशोर,
श्रम मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६२ पर)

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

कुमायूं में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों (rights, title and interests) की अध्याप्ति (acquisiton) तथा वहां भूमि सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

कुमायूं में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अधिगाप्ति तथा वहां भूमि सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त कुमायूं डिवीजन में होगा।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रवृत्त होगा। शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों पर प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा विभिन्न अध्यायों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

सरकारी आस्थानों पर अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में उसका संशोधन।

२—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सम्पूर्ण अधिनियम को अथवा उसके किसी उपबन्ध को, ऐसे अपवादों तथा संशोधनों के अधीन रहते हुये, जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी भी आस्थान (estate) अथवा उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है जिस पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी का स्वामित्व हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह अधिनियम अथवा उसके उपबन्ध ऐसे अपवादों अथवा संशोधनों सहित या रहित उक्त आस्थानों पर इस प्रकार लागू किये जायं तो किसी भी अधिनियम या विनियम का, जो वहां प्रवृत्त हो, उतना अंश जितना कि इस प्रकार लागू किये गये अधिनियम या उपबन्धों अथवा उसमें किये गये किन्हीं सुधारों से असंगत हो, निरसित किया गया समझा जायगा।

परिभाषायें।

३—विषय अथवा संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का वह असिस्टेंट कलेक्टर भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत किया हो,

(२) "प्रतिकर आयुक्त" (compensation Commissioner) से तात्पर्य है धारा ३९ में अभिदिष्ट प्रतिकर आयुक्त।

(३) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) से तात्पर्य है धारा ३९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी।

(४) "वर्तमान विधि" (existing law) से तात्पर्य है वह विधि जो इस अध्याय के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त रही हो।

(५) "गांव सभा" से तात्पर्य है यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन संगठित अथवा स्थापित गांव सभा।

(६) गूंठ या सदावर्त माफी के अन्तर्गत किसी मन्दिर, देवी देवता (deity) या धार्मिक अथवा पूर्व (charitable) संस्था के पक्ष में राज्य सरकार अथवा उसकी किसी पूर्वाधिकारिणी (predecessor) सरकार द्वारा मालगुजारी की माफी अथवा उसका इसी प्रकार का कोई अन्य अभिहस्तांकन (assignment) है, जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त रहा हो।

(७) "हिस्सेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है और उसके अन्तर्गत असकोट परगने के गुजारेदार तथा अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थानों के काबिज (holders of the simple estates) भी हैं।

(८) "खैकार" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार भी हैं।

(९) "खैकारी" भूमि से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी खैकार के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।

(१०) "कुमायूं डिवीजन" से तात्पर्य है नैनीताल जिले का वह भाग जहां १९५० का जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं होता तथा अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिले।

(११) "भूमि" (land) से तात्पर्य है वह भूमि जो कृषि या उद्यानकारी अथवा पशु पालने से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए रक्खी गई हो अथवा जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा मुर्ग पालन भी है अध्यासित (held or occupied) हो किन्तु इसमें बन सम्मिलित नहीं है।

(१२) "खान" (mine) का वही अर्थ होगा जो उसे १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

(१३) "नियत" (prescribed) से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुये नियमों द्वारा नियत।

(१४) "पिछले कृषि वर्ष" से तात्पर्य है वह कृषि वर्ष जो उस वर्ष के ठीक पहले हो जिसमें निश्चित दिनांक पड़ता है।

(१५) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार।

(१६) "ठेकेदार" से तात्पर्य है किसी हिस्सेदार के खंकारी भूमि में अधिकारों का पट्टेदार (lessee)।

(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली "अबवाब" (cess) और अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थान (free-simple estate) गांव संजायत, पधाचारी भूमि, सीरतान और थोकदारी भूमि के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।

(१८) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पद "असिस्टेंट कलेक्टर" परगने का अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector incharge of a sub-division) "माल-गुजारी" तथा "महाल" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, उन्हें दिये गये हैं।

अध्याय २

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अभ्याप्ति तथा परिष्कार

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अध्याप्ति तथा परिष्कार।

४—(१) इस अध्याय के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि उसमें उल्लिखित दिनांक से (जिसे इस अधिनियम में निश्चित दिनांक के नाम से अभिहिष्ट किया गया है)—

(क) खंकारी भूमि में हिस्सेदार के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था को छोड़ कर, समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायंगे।

(ख) खंड (क) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, कुमायूं में किसी भी खातेदार के उस भूमि में जो उसके पास इस नाते हो, अधिकार, आगम तथा स्वत्व ऐसे परिष्कार तथा दायित्वों के अधीन रहते हुये होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये जायं।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति समय समय पर कुमायूं डिवीजन में केवल ऐसे जिले अथवा जिले के भाग के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किया जाय जारी करे और उपधारा (१) के सभी उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे।

धारा ४ के अधीन अध्याप्ति अथवा परिष्कारों के परिणाम।

५—यदि धारा ४ के अधीन कोई विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है तो, किसी भी संविदा अथवा लेख्य में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी तथा ऐसी व्यवस्था को छोड़ कर जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था की गई हो, निश्चित दिनांक के आरम्भ से, उस क्षेत्र पर (जिसे इस

अधिनियम में विज्ञापित क्षेत्र के नाम से अभिदिष्ट किया गया है) जिसका सम्बन्ध उक्त विज्ञप्ति से हो, पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित होंगे :—

(क) विज्ञापित क्षेत्रों की खैकारी भूमि में हिस्सेदारों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायंगे तथा वे समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे ;

(ख) गूंठ या सदावर्त माफियों से भिन्न समस्त माफियां (grants) तथा विज्ञापित क्षेत्र की खैकारी भूमि के, या में अथवा ऐसी भूमि अथवा उसकी मालगुजारी के सम्बन्ध में किसी अधिकार या विशेषाधिकार के, या में, आगम के पुष्टि-करण (confirmtions) चाहे वे प्रत्यावर्तनीय (liable to resumption) हों या न हों, समाप्त हो जायेंगे ;

(ग) (१) निश्चित दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए खैकारी भूमि के सम्बन्ध में देय (payable) समस्त लगान, अबवाब (cess), स्थानिक दरें (local rate) तथा सायर जो, उसमें हिस्सेदारों के अधिकारों, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति न होने की दशा में हिस्सेदार को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे तथा राज्य सरकार को देय होंगे न कि हिस्सेदार को, तथा इस खंड का उल्लंघन करके, की हुई कोई भी अदायगी उसके देनदार व्यक्तियों द्वारा अदायगी का वैध उत्सर्जन (valid discharge) न होंगी ;

(२) जब निश्चित दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के किसी भी अवधि के निमित्त, कोई लगान अबवाब या स्थानिक दर (local rate) या सायर हिस्सेदार को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित या अभित्यक्त कर दिया गया हो (compounded or released) तो, अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार उसे हिस्सेदार से वसूल कर सकती है तथा वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय (payable) प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकती है ;

(घ) इस प्रकार अध्याप्त खैकारी भूमि से संबद्ध मालगुजारी, अबवाब या अन्य आदेयों की समस्त बकाया, जो निश्चित दिनांक के पूर्व किसी भी अवधि के निमित्त हिस्सेदार द्वारा देय हो, उस हिस्सेदार से वसूल की जाती रहेगी तथा, वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकेगी ;

(ङ) इस प्रकार अध्याप्त खैकारी भूमि में हिस्सेदार के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व दीवानी या माल के किसी भी न्यायालय की डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में न कुर्क हो सकेंगे, और न बेंचे जा सकेंगे, तथा निश्चित दिनांक पर वर्तमान कोई कुर्की या ऐसे दिनांक के पूर्व कुर्की की कोई आज्ञा, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी न रहेगी।

(च) ऐसे किसी भीधन के लिए, जो खैकारी भूमि पर भारित हो अथवा उसके बन्धक (mortgage) द्वारा सुरक्षित हो, कोई भी दावा या दायित्व, जो हिस्सेदार द्वारा अथवा उसके विरुद्ध, निश्चित दिनांक से पूर्व प्रवर्तनीय या उपगत हुआ हो (enforceable or incurred) ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की हुई व्यवस्था को छोड़ कर, ऐसी भूमि के विरुद्ध प्रभावी न किया जा सकेगा ।

(छ) (१) खैकार द्वारा किये गये बन्धक से भिन्न प्रत्येक भोग-बन्धक (mortagage with possession) जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खैकारी भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान हो, धारा ४ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, ऐसी भूमि पर सुरक्षित धनराशि की मात्रा तक दृष्टि बन्धक (Simple mortgage) द्वारा अनुवर्तित (substituted) हुआ समझा जायगा;

(२) बन्धक-पत्र (mortgage deed) या अन्य किसी अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के होते हुए भी, उपखंड (१) के अधीन अनुवर्तित दृष्टिबन्धक पर देय घोषित धनराशि पर ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से ब्याज लगेगा, जो नियत किये जाएं ।

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के समस्त वाद तथा कार्य-वाहियां, जो निश्चित दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, तथा निश्चित दिनांक से पूर्व किसी ऐसे वाद में दी गई डिक्री या आज्ञा पर आधारित समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायेंगी ।

(झ) खैकारी भूमि में किसी भी ठेकेदार का कोई अधिकार, आगम तथा स्वत्व न रह जायेगा ।

(ञ) निश्चित दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी विज्ञापित क्षेत्र में वर्तमान समस्त महाल तथा उनके उपविभाग (sub-division) तथा, धारा ६ की उपधारा (२) में की हुई व्यवस्था को छोड़ कर, हिस्सेदार या अन्य किसी खातेदार द्वारा मालगुजारी या लगान की अदायगी के समस्त संकेत (engagement) समाप्त हो जायेंगे तथा वे प्रवर्तन में न रहेंगे ।

६--(१) इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी:--

(१) विज्ञापित क्षेत्र में स्थित किसी भी खान में, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रशासित हो, काम करते रहने के अधिकार पर;

(२) किसी भी भूमिधर, सीरदार या असामी होने की दशा में, भूमि के अधिक लाभप्रद भोग (have beneficial enjoyment) के निमित्त ऐसे सुखाधिकार (easements) अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे अधिकार के उपभोग करते रहने के

अधिकार पर, जिसका कि वह निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक पर उपभोग करता रहा हो;

(३) निश्चित दिनांक के पूर्व उपगत हुए (incurred) लगान या अन्य आदेयों (dues) की बकाया को वसूल करने के अधिकार पर--जो बकाया अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, पहले की भांति एतदर्थ अधिकारी व्यक्ति द्वारा वसूल की जा सकेगी;

(४) किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा, तथा

(५) किसी गूंठ या सदावर्त माफी के अनुसार अपने को अथवा किसी संस्था को देय धनराशि को पहले के अनुसार प्राप्त करते रहने के अधिकार पर:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बकाया लगान की कोई डिक्री या बकाया लगान न अदा करने पर बेदखली की कोई आज्ञा वादऋणी (judgement debtor) को उसके खाते से बेदखल कर के निष्पादित न की जायेगी।

(२) किसी निजी जंगल के सम्बन्ध में मालगुजारी की अदायगी का संकेत (engagement), जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे जंगल से है, प्रवृत्त बना रहेगा।

निजी कुओं, आबादी के पेड़ों, और इमारतों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों के साथ होना।

७--एतदपूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खैकारी भूमि पर स्थित सभी निजी कुयें, आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी हिस्सेदार, खैकार या दूसरे व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, की हों या उसके कब्जे में हों उसी हिस्सेदार, खैकार या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे और सम्बद्ध (appurtenant) क्षेत्र सहित उन कुओं या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायं।

कुछ भूमियों का हिस्सेदार और खैकारों के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किया जाना।

८--उस समस्त भूमि के बारे में--

(क) जो किसी खैकार के पास उसी नाते हो, और

(ख) जो उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न हो तथा किसी हिस्सेदार के पास या कब्जे में उसी नाते हो यह समझा जायगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे खैकार या हिस्सेदार, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।

सीरतानों का असामी होना।

९--प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर--

(क) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी हिस्सेदार से कब्जा मिला हो;

(ख) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी खैकार से कब्जा मिला हो, या

(ग) पधाचारी या थोकदारी भूमि का सीरतान रहा हो, जब तक वह धारा ३१ के अधीन भूमि का भूमिधर नहीं बनता, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उस पर कब्जा करने या बनाये रखने का अधिकारी होगा ।

राज्य म निहित भूमि तथा स्वत्वों को कलेक्टर अपने अधिकार में लेगा ।

१०—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) कोई खैकारी भूमि तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों, और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अध्याप्त किसी खैकारी भूमि में प्रवेश और उसका सर्वेक्षण (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो ;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books) लेखे (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, लेखे और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखे तथ दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले ।

हिस्सेदार का प्रतिकार पाने का अधिकार ।

११—प्रत्येक हिस्सेदार जिसका अधिकार, आगम या स्वत्व धारा ४ के अधीन अप्रयाप्त कर लिया जाय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा ।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के विषय में परिकल्पना (Presumption) ।

१२—धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिए लागू है, के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये या पुनरीक्षित (revised) अधिकार अभिलेखों (record of right) में पिछले वर्ग कृषि की प्रत्येक प्रविष्टि के विषय में इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायगा कि वह धारा ४ के अधीन अधिप्राप्त भूमि में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title or interest) को ठीक-ठीक व्यक्त करती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, के उपबन्धों के अधीन या किसी न्यायालय की डिगरी या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार अभिलेखों (record of rights) में किये गये किसी परिष्कार

(modification), परिवर्तन (alteration) अथवा संशोधन (correction) का, चाहे वह निश्चित दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा।

अधिकार अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना।

१३—यूनाइटेड प्रांविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को समाधान हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical mistakes) या ऐसी कोई भूल है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है (error apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उसको शुद्ध कर सकता है।

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार।

१४—धारा १२ और १३ में उल्लिखित किसी भी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही द्वारा धारा ४ के अधीन अध्याप्त खैकारी भूमि के सम्बन्ध में अपना दावा स्थापित के अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंध रखने वाले विचाराधीन वाद और व्यवहार।

१५—यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में, निश्चित दिनांक पर, ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद संस्थित किया जाय (instituted) जिसमें धारा १२ में उल्लिखित अधिकार अभिलेख की किसी प्रविष्टि की शुद्धता पर आक्षेप किया गया हो या जिसमें उसकी शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से विवादग्रस्त हो (directly or indirectly in dispute) तो उस वाद या व्यवहार को कोई भी पक्ष (party) वाद-पत्र (plaint) या आपत्ति-पत्र (objection) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसे करने से ही, यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में पक्ष (party) हो गया है।

वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र का प्रतिकर संबंधी व्यवहार (compensation Proccedings) के अभिलेख का अंग होना।

१६—धारा १५ के अधीन प्रस्तुत की गई वाद-पत्र या आपत्ति पत्र की प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार के अभिलेख का अंग हो जायगी और प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका (compensation Assessment Roll) में तत्संबंधी विवाद का विषय ऐसे विवरणों के साथ दर्ज करायेगा, जो नियत किये जायं।

प्रतिकर विवरण।

१७—(१) हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिए प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी:—

(क) हिस्सेदार अथवा हिस्सेदारों के नाम;

(ख) धारा ४ के अधीन अध्याप्त खैकारी भूमि का क्षेत्रफल;

(ग) खैकारी भूमि से हिस्सेदार की वार्षिक लगानी आय (annual rental income); तथा

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) वार्षिक लगानी आय में निम्नलिखित होंगे:—

(क) खैकार द्वारा देय लगान—

(१) नकदी में, या

(२) जब लगान नकदी में देय न हो तो कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ की धारा ७ के अधीन नकदी में परिवर्तित तथा अवधारित (commuted and determined) देय लगान के बराबर नकद मूल्य, या

(३) जब लगान देय न हो तो कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ की धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान।

हिस्सेदार को प्रतिकर।

१८—(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार का देय प्रतिकर की धनराशि धारा १७ में अभिदिष्ट (referred) लगानी आय की १२ गुना होगी।

(२) जब हिस्सेदार का स्वत्व ठेकेदार के कब्जे में हो तब धारा ४ के अधीन हिस्सेदार तथा ठेकेदार के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के सम्बन्ध में उन दोनों को देय प्रतिकर की कुल धनराशि हिस्सेदार के प्रतिकर विवरण में उल्लिखित लगानी आय के आधार पर उपधारा (१) में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार आकलित धनराशि के बराबर होगी।

(३) प्रतिकर अधिकारी उपधारा (२) के अधीन आकलित धनराशि को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये हिस्सेदार और ठेकेदार के बीच विभक्त करेगा:—

(क) ठेके या पट्टे के आरम्भ के समय दिया हुआ नजराना (premium), यदि कोई हो,

(ख) ठेके की शर्तें और प्रतिबन्ध,

(ग) ठेके की समाप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को हुयी, क्षति यदि कोई हो,

(घ) ठेके के अधीन खैकारी भूमि की लगानी आय,

(ङ) ठेकेदार द्वारा देय वार्षिक धनराशि,

(च) यह तथ्य कि हिस्सेदार के वे अधिकार जो अध्याप्ति किये जा रहे हैं उसके पास सतत अनुक्रम में थे (held in perpetuity) जब कि ठेकेदार के अधिकार सीमित प्रकार के हैं, तथा

(छ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

१९—धारा १७ के अधीन निर्मित प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों को प्रस्तुत करना।

२०—स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नियत रीति से ऐसे विवरण के सम्बन्ध में, उसके प्रकाशन से एक महीने के भीतर प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।

आपत्तियों का निस्तारण।

२१—(१) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर प्रतिकर अधिकारी यदि आवश्यक हो तो, धारा २० के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा;

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तु तआपत्ति—

(क) यह हो कि भूमि खैकारी भूमि नहीं है तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का वाद प्रश्न (issue) तैयार करेगा और तत्पश्चात् उसे परगने के अवधायक (in-charge) असिस्टेंट कलेक्टर के पास निस्तारण के निमित्त भेज देगा;

(ख) आगम का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तथा किसी सक्षम न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय न दिया हो तो प्रतिकर अधिकारी उसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के निमित्त भेज देगा।

स्पष्टीकरण—किसी दिनांक विशेष पर कोई व्यक्ति खैकार था या नहीं, इस बात से यह न समझा जायगा कि उससे इस खंड के अर्थ में आगम का कोई प्रश्न उठता है।

(३) उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से निर्णय करेगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

कलेक्टर को अपील।

२२—किसी भी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के सम्बन्ध में धारा २१ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा से, जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो, क्षुब्ध हो कलेक्टर के सामने अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

२३—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उसका अंतिम निस्तारण (disposal) हो गया हो तो विवरण (statement) में, जहां आवश्यकता होगी, संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया जायगा और प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा तथा अपनी मुहर लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर करने और मुहर लगाये जाने के पश्चात् विवरण (statement) अंतिम हो जायगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को निःशुन्क दी जायगी।

प्रतिकर का भुगतान।

२४—(१) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर धारा २३ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर एकमुठ (one lump sum) नगदी में या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जैसा भी नियत किया जाये, दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस हिस्सेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो तथा जब अदायगी से पहले हिस्सेदार मर जाये तो वह प्रतिकर अधिकारी द्वारा नियत रीति से अवधारित उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जांयगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ६९ त। ७० के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त "हिस्सेदार" के अन्तर्गत ठेकेदार भी है।

असामी या भूमिधर के कब्जे की भूमि की अध्याप्ति।

२५--(१) यदि कोई भूमिधर जिस पर धारा ८ का खंड (ख) लागू होता हो अपने मकान से संलग्न (adjoining) भूमि पर जो किसी असामी के कब्जे में हो पुनः अधिकार कराना चाहे तो वह धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियत रीति से उस भूमि को, जो २.५ नालियों से अधिक न होगी, अध्याप्ति करने के निमित्त परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र देगा।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र विधिवत् (in order) हो तो असिस्टेंट कलेक्टर प्रार्थित भूमि अथवा उसके किसी भाग की अध्याप्ति की तथा उस पर से असामी की बेदखली की नियत रीति से आज्ञा देगा और असामी को ऐसा प्रतिकर प्रदान करेगा जिसका कि वह उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन अधिकारी हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर--

(क) यदि भूमिधर के कब्जे में उसके मकान से संलग्न २.५ नाली भूमि हो तो उसका प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर देगा; अथवा

(ख) यदि भूमिधर के पास २.५ नाली से कम भूमि हो तो वह उतनी ही भूमि की अध्याप्ति की आज्ञा देगा जिसे मिला कर कुल उपलब्ध भूमि २.५ नाली हो जाये।

(३) असामी को दिया जाने वाला प्रतिकर इस धारा के अधीन अध्याप्त भूमि के सम्बन्ध में देय लगान का तिगुना होगा जो असामी द्वारा और की गयी उन्नतियों (improvements) के निमित्त, यदि कोई हो, प्रतिकर और उस प्रतिकर के अतिरिक्त (in addition to) हो जिसे असिस्टेंट कलेक्टर वृक्षों के निमित्त दिलाये।

(४) यदि कोई असामी इस धारा के उपबन्धों के अधीन केवल अपने खाते के किसी भाग से बेदखल किया जाये तो असिस्टेंट कलेक्टर अवशिष्ट भाग (remainder) के निमित्त देय लगान अवधारित करेगा।

अध्याय ३

असामियों द्वारा भूमिधरी अधिकारों की अध्याप्ति

असामी भूमिधरी अधिकार खरीदने के अधिकारी होंगे।

२०--(१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, धारा ९ के खंड (क) या (ख) में उल्लिखित वर्ग का कोई भी असामी निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार उस भूमि में, जो उक्त असामी के पास उसी नाते रही हो, भूमिधरी अधिकारों को खरीदने और अध्याप्त करने का अधिकारी होगा

(२) उपधारा (१) की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी:—

(क) जब कोई भूमिधर, या उनके एक से अधिक होने की दशा में समस्त भूमिधर, उस दिनांक पर जब धारा २२ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जाय, १९५० ई० के उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिष्कृत किया गया है, की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या एकाधिक वर्गों में से हों, अथवा

(ख) जब भूमि धारा ४१ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का कोई भाग अथवा गाटा (plot) या गाटे भी हैं ।

भूमिधरी अधिकारों के खरीद की दरें ।

२७—वह मूल्य, जिस पर सीरदार को अपने कब्जे की भूमि में भूमिधरी अधिकार खरीदने का अधिकार होगा उस लगान का १५ गुना होगा जो उस भूमि के लिये उसके द्वारा देय हो और जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा नियत रीति से अवधारित किया जायगा ।

भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र ।

२८—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र नियम प्रपत्र (form) में लेखबद्ध करके असामी द्वारा परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेंट कलेक्टर को दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खतौनी का उद्धरण (extract) भी होगा जिसमें वह गाटा या वे गाटे जिनका प्रार्थना-पत्र से सम्बन्ध है तथा उनके निमित्त देय लगान प्रदर्शित होंगे तथा उस प्रार्थना-पत्र में वे ब्योरे भी होंगे जो नियत किये जायं ।

प्रार्थना-पत्र की जांच ।

२९—(१) जब प्रार्थना-पत्र उपयुक्त आकार में हो तथा यथोचित रूप से प्रस्तुत किया गया हो तो असिस्टेंट कलेक्टर उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करवायेगा जो नियत की जाये ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जांच करने पर असिस्टेंट कलेक्टर का समाधान हो जाये कि प्रार्थी भूमिधरी अधिकारों को खरीदने का प्रत्यक्षतः (*prima facie*) अधिकारी है तो वह भूमिधरी अधिकारों को खरीदने के निमित्त प्रार्थी द्वारा देय धनराशि अवधारित करेगा तथा उसे प्रार्थी को सूचित करेगा ।

भूमिधर को नोटिस ।

३०—जब प्रार्थी धनराशि देने का प्रस्ताव करे तब असिस्टेंट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधर पर एक नोटिस तामील करवायेगा जिसमें वह उस यह पूछेगा कि उसे उक्त प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं और वह धारा २९ की उपधारा (२) के अधीन अवधारित मूल्य लेकर प्रार्थी के हाथ भूमिधरी अधिकार बेचने के लिये राजी है या नहीं ।

भूमिधरी अधिकारों का खरीदा और बेचा जाना ।

३१—(१) यदि भूमिधर प्रस्ताव स्वीकार करे और भूमिधरी अधिकार बेचना चाहे तो असिस्टेंट कलेक्टर तुरन्त वह दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा जहां बिक्री कार्यान्वित होगी तथा तदनुसार नोटिस जारी करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि भूमिधर को देगा तथा असिस्टेंट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधर अधिकारों का विक्रय सम्पन्न करायेगा तथा तदनुसार नियत प्रपत्र में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(३) यदि नोटिस के उत्तर में भूमिधर उपस्थित न हो या उपस्थित तो हो किन्तु विक्री के लिये राजी न हो अथवा असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा कहे जाने पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि न दे तो असिस्टेंट कलेक्टर प्रार्थना-पत्र खारिज कर देगा ।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त विक्रय प्रमाण-पत्र पर कोई भी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) देय न होगा ।

असामी के कब्जे की भूमियों में भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति।

३२--(१) निश्चित दिनांक से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, यह घोषित कर सकती है कि उसमें निर्दिष्ट दिनांक से उस भूमि में भूमिधरों के अधिकार, आगम और स्वत्व, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (क) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी के थे, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक (जिसे एतत्पश्चात् निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) के आरम्भ से समाप्त हो जायेंगे तथा, एतत्-पश्चात् की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, सब भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे ।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति केवल उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किये जायं, समय-समय पर जारी करे तथा उपधारा (१) के समस्त उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर, और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे ।

धारा २६ के अधीन अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के परिणाम ।

३३--जब धारा ३२ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाये तब, इस अधिनियम के अध्याय २ में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़ कर, उस क्षेत्र में (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र कहा गया है), जिससे विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्

(क) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी रहा हो, निर्दिष्ट दिनांक से धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि का (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित भूमि कहा गया है), जो उसी नाते उसके कब्जे में रही हो, सीरदार हो जायगा तथा उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन समस्त उत्तरदायित्वों के अधीन होगा जो इस अधि-नियम द्वारा अथवा उसके अधीन सीरदारों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमि का स्वामी रहा हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस भूमि पर उसी नाते कब्जा बनाये रखने का अधिकारी रहेगा।

(ग) धारा ५ के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (ज) और धारा ६ क उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस प्रकार लागू होंगे मानों पद "हिस्सेदार", "खैकारी", "भूमि "तथा "निश्चित दिनांक" के स्थान पर क्रमशः पद "भूमिधर", "विज्ञापित भूमि" तथा "निर्दिष्ट दिनांक" रख दिये गये हों।

प्रतिकर पाने का भूमिधर का अधिकार।

३४--प्रत्येक भूमिधर जिसके अधिकार, आगम अथवा स्वत्व धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि में उक्त धारा के अधीन अध्याप्त किये जायं, एतद्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा तथा उसे प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर का अवधारण तथा भुगतान।

३५--धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि के भूमिधर के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर विवरण तैयार करगा तथा तत्पश्चात् उस पर धारा १८ से २४ तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय ४

भूमि-प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण।

३६--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भी गांव सभा को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं, [जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित (uncultivated) भूमि है जो किसी खातेदार की न हो], जिन्हें नियत किया जाय, के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११८ से १२८ तक का लागू किया जाना।

३७--जब धारा ३० के अधीन कोई गांव सभा किसी क्षेत्र की भूमियों तथा वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित की जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से १२८ तक के, और उक्त अधिनियम की धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्सम्बन्धी नियमों के, उपबन्ध सम्बद्ध क्षेत्र पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

खातेदारों के वर्ग।

३८--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे :--

(१) भूमिधर,
(२) सीरदार, और
(३) असामी।

भूमिधर

३९--निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो जायंगे,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने धारा ३१ के अधीन भूमिधर के अधिकार खरीद लिये हों,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधि नयम के उपबन्धों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले।

सीरदार

४०—ऐसे व्यक्ति प्रत्येक को—

(क) जो भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के फलस्वरूप धारा ३३ के अधीन सीरदार हो जाए;

(ख) जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय;

(ग) जो इस अधिनियम तथा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लें;

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों।

वह भूमि जिसमें सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे।

४१—धारा ४० में किसी बात के रहते हुए भी निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे :—

(क) पशुचर भूमि (pasture lands) या ऐसी भूमि, जो जलमग्न हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि, जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूखंड (tracts) जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, और

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गई है।

असामी

४२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ अथवा धारा ३३ के खंड (ख) के अधीन असामी बन जाता हो,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते (holdings) के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो, और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी और रीति से अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

यू० पी० ऐक्ट, १, १९५० के अध्याय ८ व १० के उपबन्धों का लागू होना।

४३--(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं १३४ से १३९, १४२, १४६, १५२-१९५, १९७ से २११, २१२-ख, २१२-ग, २१३ से २३० और २४१ से २९४ और उक्त अधिनियम की धारा २३० और धारा २९४ के अधीन बनाये गये नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उस क्षेत्र पर लागू होंगे, जिससे धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और जिनसे मूल तत्वों पर प्रभाव न पड़ता हो तथा ऐसे किसी भी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९५१ का लागू होना। यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९५१।

४४--(१) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा संशोधित हुए ह, और तदन्तर्गत निर्मित नियम या विनियम या दी गई आज्ञाएं आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र पर लागू होंगी जिससे धारा ४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति का सम्बन्ध है, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

अधिकारियों की नियुक्ति।

४५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :--

(क) सहायक प्रतिकर आयुक्त (Assistant Compensation Commissioner) तथा

(ख) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer)।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त कुमायूं डिवीजन का प्रतिकर आयुक्त होगा।

अधिकार और कर्त्तव्य।

४६--(१) प्रतिकर आयुक्त और सहायक प्रतिकर आयुक्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों के कार्य की देखरेख तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी ऐसे अधिकारों प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा याउ सक अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ के अध्याय १२ की कुछ धाराओं के उपबन्धों का कुमायूं में लागू होना।

४७--(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३२१ से ३३६, ३३८ तथा ३४१ से ३४४ के और उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुमायूं डिवीजन पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन दी गई आज्ञाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेंगी।

४८--धारा ४३-४४ अथवा ४७ के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा इस प्रकार दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम से कम १४ दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जाएगी तथा उसमें ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें कि वह इस प्रकार रक्खी जाय।

निरसन (repeals)।

४९--जब इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ के ठीक पहिले कुमायूं डिवीजन में भौमिक अधिकारों (land tenures) से सम्बद्ध कोई विधि प्रवृत्त हो तो ऐसी विधि का उतना अंश जितना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो उक्त दिनांक से तथा उस सीमा तक जिस तक धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन यह अधिनियम प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेंगे, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस प्रकार निरसित विधि पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हों।

नियम बनाने के अधिकार।

५०--(१) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है: -

(क) धारा ४ के अधीन भूमि तथा स्वत्वों के निहित होने के पूर्व की कार्यवाहियां,

(ख) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों (suit) और कार्यवाहियों का निस्तारण,

(ग) धारा १० के अधीन भूमि तथा स्वत्वों पर अधिकार करने से सम्बद्ध विषय,

(घ) वह रीति तथा प्रपत्र जिसमें धारा १७ के अधीन प्रतिकर विवरण (Compensation statement) तैयार किया जायगा,

(ङ) विषय जो निएत जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने के अधिकारों के विषय में यह समझा जायगा कि उनके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के अधिकार भी हैं :—

(१) ऐसी कालावधि निर्धारित करना जिसमें नियमों के प्रयोजनार्थ की जाने वाली बातें कर ली जायं; चाहे निर्धारित कालावधि बढ़ाने के लिये नियमों में उल्लिखित किसी अधिकारी को अधिकार देकर अथवा न देकर,

(२) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी (officer) या प्र धिकारी (authority) के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया (procedures),

(४) उन मामलों (cases) में जिनके लिए इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवथा नहीं की गयी है, ऐसी अवधि निर्धारित करना जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जा सकें,

(५) उन मामलों में जिनके लिए अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो इस अधिनियम के अधीन वादों, अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क,

(६) इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों, अपीलों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्ध लागू करना,

(७) राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation),

(८) कार्यवाहियों का एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे के यहां स्थानान्तरण।

(४) नियम बनाने के लिये इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार इस शर्त के अधीन हैं कि नियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ही बनाये जायंगे।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम गजट में प्रकाशित होंगे और यदि कोई वाद या दिनांक निश्चित न कर दिया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बन जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिनों तक रखे जायेंगे और उनमें ऐसे समस्त परिष्कार दिये जा सकेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे परिष्कार सहित, जो आवश्यक समझे जायं तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, कुमायूं में लागू करने की व्यवस्था है। किन्तु ऐसा अनुभव हुआ है कि उस अधिनियम को बिना उसमें सारवान परिवर्तन किये हुए कुमायूं में लागू करना सम्भव नहीं है। अतएव सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

(१) प्रतिकर अदा करने पर हिस्सेदारों के अधिकारों की अध्याप्ति,

(२) कुमायूं में ऐसे भौमिक अधिकारों को पुरःस्थापित करना जो १९५० ई० के जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, राज्य के शेष भागों में पुरःस्थापित भौमिक अधिकारों के यथासम्भव अनुरूप हों, और

(३) अन्ततः सब से कमजोर श्रेणी के कृषकों को स्थायी अधिकारों का प्रदान।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७

खंडों पर टिप्पणियां

खंड १ — बिधायित होने के पश्चात् इस विधेयक का प्रसार समस्त कुमायूं डिवीजन में होगा। कुमायूं के भौमिक अभिलेख (Land Record) समय के अननुकूल (out of date) अपूर्ण तथा अविश्वसनीय है, अतः इस क्षेत्र में सारे का सारा विधेयक एकदम प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। आज कल इस क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा अभिलेखों से संबद्ध क्रियायें (Survey and record operations) चल रही हैं। अतएव विधेयक का प्रथम अध्याय जो प्रारम्भिक विषयों से सम्बद्ध है तत्काल प्रवृत्त हो जायगा तथा अवशिष्ट अध्याय बाद के दिनांकों पर, जैसे-जैसे नये अभिलेख उपलब्ध होते जायंगे, प्रवृत्त होते रहेंगे।

खंड २ — सरकारी आस्थानों की स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न होने के कारण, यह अधिनियम उचित परिष्कारों (modifications) के बिना सरकारी आस्थानों पर लागू नहीं हो सकता। अतएव यह अधिनियम सरकारी आस्थानों पर, ऐसे अपवादों और परिष्कारों सहित लागू किया जायगा जो आवश्यक हों तथा मूल विषय पर कोई प्रभाव न डालते हों।

खंड ४ — इस खंड में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की गई है :—

(क) खैकारी भूमि के सम्बन्ध में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व राज्य द्वारा अध्याप्त (acquired) हो जायंगे;

(ख) कुमायूं में अन्य खातेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन उपबन्धित परिष्कारों के अधीन रहते हुए, पहले की भांति बने रहेंगे। संक्षेपतः इसमें हिस्सेदारों और उसके खैकारों के सम्बन्ध का उल्लेख है।

खंड ५ — इस खंड में खंड ४ के अधीन अध्याप्ति आदि के सामान्य परिणामों की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह व्यवस्था भी है कि विज्ञापित क्षेत्र में खैकारी भूमि से संबद्ध समस्त बाकियां इत्यादि समाप्त हो जायंगी। तथापि गूंठ और सदावर्त माफियां बनी रहेंगी।

खंड ६ — खैकारी भूमि के सम्बन्ध में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति किसी व्यक्ति के किसी खान में काम करने के अधिकार तथा किसी सुखाधिकार (easemen) के भोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी। अध्याप्ति के दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में उपगत हुए (accused) लगान की किसी बकाया की वसूली के अधिकार पर तथा किसी व्यक्ति द्वारा किसी गूंठ अथवा सदावर्त की माफी के अनुसार देय धनराशि को प्राप्त करते रहने पर भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा। निजी जंगल अध्याप्त नहीं होंगे तथा पहले की भांति अपने स्वामियों के अधीन रहेंगे।

खंड ७ — निजी कुओं, आबादी के वृक्षों तथा खैकारी भूमि पर निर्मित भवनों का बन्दोवस्त उनके वर्तमान स्वामियों अथवा अध्यासियों के साथ किया जायगा।

हिस्सेदारों तथा बैंकारों के वास्तविक कब्जे को, अथवा उनके पास की भूमि का बन्दोबस्त उनके साथ भूमिधर की हैसियत से किया गया समझा जायगा। — खंड ८

इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सीरतान असामी बन जायंगे। — खंड ९

हिस्सेदारों को उनके अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के लिये उनकी लगानी आय का १२ गुना प्रतिकर एकमुश्त अथवा अधिकाधिक १० वार्षिक किस्तों में दिया जायगा। — खंड ११ से २४ तक।

भूमिधर अपने मकान से संलग्न तथा असामी के कब्जे की २.५ नालियों तक की भूमि पर पुनः अधिकार करने का अधिकारी होगा। असामी को वृक्षों के लिये यदि कोई हों तथा उन्नतियों के लिये, यदि कोई हों, जो असामी द्वारा की गई हों, दिये जाने वाले प्रतिकर के साथ-साथ उक्त भूमि के लिये अपने द्वारा देय लगान के तिगुने के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में और मिलेगी। — खंड २५

खंड ४ के अधीन हिस्सेदारों के स्वत्वों की अध्याप्ति के दिनांक से १ वर्ष के भीतर असामी को अपने कब्जे की भूमि के भूमिधरी अधिकारों को खरीदने का अधिकार होगा, यदि उसका भूमिधर ऐसे अधिकारों को उस धनराशि पर बेंचने को सहमत हो जो असामी द्वारा अपने भूमिधर को अदा किये जाने वाले लगान के १५ गुने के बराबर हो, भूमिधरी अधिकार खरीद लेने पर उसे राज्य सरकार को वही मालगुजारी देनी पड़ेगी जो उसका भूमिधर देता रहा हो। — खंड २६ से ३१ तक

उपर्युक्त १ वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी समय, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा लगान को बारहगुनी धनराशि के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में देने पर, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १५७ में उल्लिखित अक्षमताओं (disabilities) से ग्रस्त असामी से भिन्न किसी असामी के कब्जे की भूमि के भूमिधरी अधिकार, आगम और स्वत्व अध्याप्त कर सकती है। इस विज्ञप्ति के प्रचारित होने के पश्चात् असामियों के कब्जे की मि क सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उनके साथ उस भूमि का बन्दोबस्त सीरदार की हैसियत से हो गया है। जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में होता है, ये सीरदार अपने लगान का दसगुना अदा करने पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तथा उन्हें उस धनराशि की आधी धनराशि मालगुजारी के रूप में देनी होगी जिसे वे सीरदार, असामी या सीरतान की हैसियत से देते थे। — खंड ३२ से ३५ तक

काश्तकारों के केवल तीन वर्ग होंगे अर्थात् भूमिधर, सीरदार तथा असामी। १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के भूमि प्रबन्ध तथा उत्तराधिकार इत्यादि सम्बन्धी उपबन्ध इस क्षेत्र में ऐसे अनुकूलनों, परिष्कारों, परिवर्तनों अथवा अपवादों सहित प्रवृत्त होंगे, जो आवश्यक समझे जायं : — खंड ३६ से ४४ तक

वे विधियां या उनके अंश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हों, निरस्त हो जायंगे। — खंड ४९

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६२ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है), धारा ३ की उपधारा (२-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२-क) चकबन्दी समिति" का तात्पर्य निम्नलिखित की समिति से है—

(क) धारा ४३ की उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यगण; तथा

(ख) या तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यगण जिनकी योग्यताएं वह हों जो नियत की जायं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न हो, अथवा धारा ४३ की उपधारा (१) के अनुसार निर्वाचित सदस्यगण,

अथवा धारा ४३ की उपधारा (१-क) के अधीन नामांकित सदस्यगण।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३, १२ तथा १४ का संशोधन ।

३—धारा ३ की उपधारा (८), धारा १२ की उपधारा (२), तथा धारा १४ की उपधारा (२) और (३) में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १०-क का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा १०-क की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) और (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(३) एक ही चकबन्दी योजना के अधीन विभिन्न संयुक्त खातों में खातेदार अथवा खातेदारों के किसी समूह के अंशों को चकबद्ध करने के विचार से, चकबन्दी अधिकारी किसी भी समय स्वतः उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नियत रीति से सूचना देने के पश्चात् उन खातेदारों के अंशों को विभाजित कर सकता है।

(४) उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि इस सम्बन्ध में निर्णय, किसी उस आज्ञा के जो धारा १२ के अधीन पारित की जाय, अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १२ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (५) में शब्द "आगम (title) का प्रश्न" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"अथवा यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है या नहीं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १४ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में--

(१) खंड (घ) में शब्द "और अन्य सामान्य उपयोग" निकाल दिया जाय,

(२) खंड (घघ) में शब्द "सामान्य उपयोग के प्रयोजनों" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक प्रयोजनों" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १९ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (३) में शब्द "या सामान्य" निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २० १९५४ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा २० में--

(१) उपधारा (२) में--

(क) शब्द "पड़ने की संभावना हो" के स्थान पर शब्द "पड़ता हो" रख दिया जाय।

(ख) शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

(२) उपधारा (३) में --

(क) शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "सकेगा" रख दिया जाय।

(ख) शब्द "स्वत्व या अधिकार का प्रकार" के पश्चात् "और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के संबंध में ब्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुए" निकाल दिये जायं, तथा इनके स्थान पर शब्द "बतलाते हुये" रख दिये जायं।

(ग) प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २२ में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर" के स्थान पर शब्द "धारा २० की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित होने पर" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "आगम का प्रश्न" के पश्चात् शब्द "अथवा यह प्रश्न को कोई व्यक्ति सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है या नहीं" रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित नयी उपधारा (४) के रूप में रख दिया जाय :

"धारा २० की उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित प्रस्तावों के विवरण में उल्लिखित किसी गाटे के संबंध में आगम का प्रश्न, जिसे धारा २० के अधीन उठाया जा सकता था तथा उठाया जाना चाहिये था, किन्तु जिसे उठाया नहीं गया, धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किसी भी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"२३ (१) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) यदि धारा २० में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है, अथवा जब ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा २१ के अधीन पारित आज्ञाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक हों, प्रस्तावों के विवरण को पुष्ट करेगा।

(२) इस प्रकार पुष्ट विवरण प्रकाशित किया जायगा तथा वहां तक छोड़ कर जहां तक उसका संबंध ऐसी भूमि में हो जो सिविल जज के पास किये गये ऐसे अभिदेशों का विषय हो जो तब तक निस्तारित न किये गये हों, अंतिम होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २४ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"२४—चकबन्दी योजना उस दिनांक से प्रचलित होगी जिस दिनांक पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) योजना के प्रचलित ने धारा २३ की उपधारा (१) के अधीन होने का दिनांक। उसे पुष्ट किया हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २६ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"उपधारा २६—ए के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, खातेदार अपने को प्रदिष्ट खेतों पर चकबन्दी योजना की पुष्टि के दिनांक के पश्चात् के उस दिनांक से या उसके पश्चात् जिसे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) निश्चित करे, कब्जा पाने के अधिकारी होंगे।"

कब्जा करने का दिनांक।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ में धारा २६–क का बढ़ाया जाना।

१३––मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा २६–क के रूप में बढ़ा दिया जाय:––

"२६-क(१) धारा २७ तथा धारा ३० में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार को प्रदिष्ट भूमि पर उसका धारा २६ के अधीन कब्जा करने का अधिकार अन्तरिम होगा। जब वह उस भूमि के संबंध में हो जिसके लिये प्रस्तावों का विवरण अंतिम धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन (final) न हुआ हो।

अन्तरिम कब्जा

(२) पुष्टीकरण के दिनांक पर विचाराधीन किसी भी अभिदेश पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय के ३० दिन के भीतर कोई भी सम्बद्ध पक्ष चकबन्दी अधिकारी के पास, अथवा यदि धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित हो चुकी हो, तो तहसीलदार के पास प्रस्तावों के विवरण की अंतरिम प्रविष्टियों को हटाने तथा प्रभावित चकों की पुनर्प्रदिष्टि के संबंध में यथावश्यक आज्ञा पारित करने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है। निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन-पत्र पाने पर, यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार यथावश्यक आज्ञायें प्रचारित करेगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार की आज्ञा से क्षुब्ध हो वह, यथास्थिति बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पास अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस उपधारा के अधीन की गयी आज्ञा अंतिम होगी।"

(४) यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार पुनर्प्रदिष्ट चकों का वास्तविक कब्जा ऐसे पक्ष को दिलायेगा जिसके संबंध में उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन अंतिम आज्ञा की अपेक्षा हो तथा ऐसा करने के लिये उसे समस्त वे अधिकार, जिनके अन्तर्गत अवमान (contempt), प्रतिरोध (resistence) तथा तत्सदृश्य अन्य विषयों के अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे, जो अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के निमित्त डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होते हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा २९–ख का रखा जाना।

१४––मूल अधिनियम की धारा २९–क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २९–ख के रूप में रख दिया जाय तथा उसे सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय :––

"२९ ख (१) अध्याय ३ के अधीन निर्मित चकबन्दी योजना के अधीन तथा अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई अथवा दी जाने वाली भूमि के संबंध में, नियत रीति से तथा नकदी में खातेदार को प्रतिकर दिया जायगा जो निम्नलिखित धनराशि के बराबर होगा: ––

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर।

(क) भूमिधर द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में, तदर्थ लागू मौरूसी दरों के हिसाब से अवधारित मूल्य का चार-गुना, तथा

(ख) सीरदार द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में ऐसे मूल्य का दो गुना।

(२) जब कोई भूमि जिसके संबंध में उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय अथवा किये जाने को हो, किसी असामी के कब्जे में हो, तब यथास्थिति भूमिधर अथवा सीरदार को देय प्रतिकर में से उसकी पांच प्रतिशत धनराशि असामी को उसमें उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के संबंध में दी जायगी।

(३) राज्य सरकार, उपधारा (१) तथा (२) के अधीन देय प्रतिकर के भुगतान किये जाने की रीति तथा समय की व्यवस्था करने के निमित्त, नियम बना सकती है।"

वैधीकरण

१५—(१) शंकाओं के समाधान के निमित्त यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम के द्वारा संशोधित होने के पूर्व था उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसरण में प्रदत्त समस्त आज्ञायें, सम्पादित कार्य अथवा कार्यवाहियां, अथवा प्रचारित निदेश अथवा प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र विधि की दृष्टि में उसी प्रकार वैध तथा ठीक समझे जायेंगे मानों कि समस्त महत्वपूर्ण दिनांकों पर धारा १४ प्रवृत्त रही हो।

(२) जब इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी क्षेत्र के संबंध में मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रख्यापन प्रकाशित हो गया हो तथा चाहे चकबन्दी की कार्यवाहियां जारी हों अथवा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति निकल गई हो, तब किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आज्ञा अथवा निदेश के होते हुये भी, खातेदार को उसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई अथवा दी जाने वाली भूमि के संबंध में उस दर तथा रीति से प्रतिकर दिया जायगा जिसकी धारा १४ में अथवा उसके अधीन व्यवस्था की गयी है।

(३) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व जब किसी न्यायालय ने किसी चकबन्दी योजना अथवा उसके किसी अंश को, केवल इस आधार पर कि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) का खंड (ङ) भारत का संविधान के अनुच्छेद ३१ से अधिकारातीत है निरस्त कर दिया हो अथवा प्रदिष्टि की आज्ञा (allotment order) को रद्द कर दिया हो, किसी न्यायालय द्वारा प्रदत्त अथवा प्रचारित किसी निर्णय, डिक्री, निदेश अथवा अन्य आज्ञा के होते हुये भी उपर्युक्त योजना विधि की दृष्टि में वैध तथा ठीक समझी जायगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) राज्य सरकार चकबन्दी के व्यय की धनराशि निश्चित करेगी तथा इस प्रकार निश्चित धनराशि नियत रीति से प्रभावित व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जायगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३४ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) में शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

१८—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३६-क के रूप में रख दिया जाय:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ में एक नयी धारा ३६-क का रखा जाना।

"३६-क-यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में आगम का यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है, अथवा किसी विशेष दिनांक पर था तो इसे आगम (title) का प्रश्न नहीं समझा जायगा।

आगम का प्रश्न

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

"(५) जब इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों का अनुपालन होना हो, तब ऐसे अधिकार अथवा कर्त्तव्य उन अधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त अथवा अनुपालित किये जा सकते हैं जो उपधारा (१) में क्रमात् उसके पश्चात् वर्णित हैं।"

२०—मूल अधिनियम की धारा ४३ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४३ में संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(१) जब १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्ध समिति में निर्धारित योग्यताओं वाले सदस्य ५ से अधिक हों, तो वह अपने उक्त योग्यताओं वाले सदस्यों में से ५ अथवा ऐसी बृहत्तर संख्या में ११ से अनधिक सदस्य, जैसा कि चकबन्दी संचालक निश्चित करे, निर्वाचित करेगी :

चकबन्दी समिति

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसे क्षेत्र के लिये चकबन्दी योजना तैयार करनी हो जिसमें वे गांव पड़ते हों जो विभिन्न भूमि प्रबन्धक समितियों के मंडलों के अन्तर्गत हों, तो ये समितियां नियत रीति से अपने में से इतनी संख्या में उक्त योग्यता वाले सदस्य निर्वाचित करेंगी जिसे चकबन्दी संचालक, निश्चित करें।

(२) उपधारा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१-क) किसी उस क्षेत्र के संबंध में जिस पर, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७-क की उपधारा (२) प्रवृत्त होती हो कलेक्टर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् सम्बद्ध क्षेत्र के निवासियों में से ऐसी संख्या में योग्यता वाले सदस्य जो संख्या में कम से कम ५ अथवा अधिक से अधिक ११ होंगे, जैसा कि चकबन्दी संचालक निश्चित करे, नामांकित करेगा।"

(३) उपधारा (२) में से शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के वे सब अधिकार और दायित्व होंगे जो समिति के सदस्यों के होते हों", निकाल दिये जायं।

कतिपय कार्यवाहियों आदि के अपवाद।

२१—धारा १८ में कोई भी बात पहले से की गई अथवा हुई किसी भी बात की वैधता, अवैधता अथवा प्रभाव (effect) अथवा परिणाम (consequence) पर, अथवा पहले से अर्जित (acquired) किसी अधिकार (right) अथवा सुत आगम (accrued title), उपगत आभार (obligation incurred) अथवा दायित्व (liability) पर, अथवा पहले से प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालेगी, तथा इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व किसी सिविल जज को अभिदिष्ट (referred) कोई कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकारी (appropriate authority) द्वारा सुनी जाती रहेगी।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १४(ङङ) में सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित भूमि के लिये खातेदारों के द्वारा भूमि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम में इस भूमि के उपलक्ष में खातेदारों को प्रतिकर दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी क्योंकि इस तरह भूमि का दिया जाना एक प्रकार का दान है (Contribution) न कि अर्जन (Acquisition)। फिर भी हाई कोर्ट ने अपने हाल ही के एक निर्णय में धारा १४ (ङङ) को अवैध ठहराया है क्योंकि यह खातेदारों की भूमि को बिना प्रतिकर दिये ले लेने की व्यवस्था करने के कारण संविधान के अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है। स्पष्टतः वह योजना जिसमें कि सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये उदाहरण तथा सड़कें बनाने, पाठशालायें अवस्थित करने, आबादी का विस्तार आदि करने की कोई व्यवस्था नहीं है इस सुधार को पूर्णरूप से लाभान्वित नहीं कर सकती। मुख्यतया खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के उपलक्ष्य में नकद प्रतिकर देने की व्यवस्था करने के प्रयोजन से यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। अब तक इस संबंध में की गयी कार्यवाहियों को वैध करने के निमित्त प्रतिकर के भुगतान की व्यवस्था को पूर्वलक्षी रूप से कार्यान्वित किया गया है एवं एक वैधीकरण खंड भी जोड़ दिया गया है। अब तक प्राप्त अनुभवों के फलस्वरूप जो कठिनाइयां तथा न्यूनतायें ज्ञात हुई हैं, उन्हें इस विधेयक द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है तथा अधिनियम में प्रयुक्त पदों के संबंध में भ्रम को दूर करने के लिये और पद "आगम के प्रश्न" तथा "चकबन्दी समिति" की परिभाषा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३२—क के सदृश्य स्पष्ट कर दी गयी है। जोत चकबन्दी को अधिक प्रभावशील बनाने के निमित्त चकबन्दी अधिकारी को स्वतः संयुक्त खातों के विभाजित करने के लिये अधिकृत करने के संबंध में एक उपबन्ध जोड़ दिया गया है। एकाधिक गांवों से संबद्ध चकबन्दी योजना की भी व्यवस्था की गई है।

चरण सिंह,
माल-मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए०—पी०—२४ एल० ए०—१९५७—७९६।